खण्ड-286, अंक-4
गुरूवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(10 दिसम्बर, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १० दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३९७

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद , श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती

प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री

रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख. श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार , चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पाण्डिया, श्री
शिवबचन, श्री

धारज सिंह, श्री
शिशवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्ता, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वमी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिय, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती,
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्री
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १० दिसम्बर, १९७०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों का स्थगित होना

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या पंचायत राज मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों के चुनाव अचानक रोकने का क्या कारण है और सरकार भविष्य में कब चुनाव कराने जा रही है ?

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री भारत सिंह चौहान)—

मंत्रि मंडल में परिवर्तन के कारण गांव पंचायतों के निर्वाचन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिये गये थे । अध्यादेश जो पहली सरकार ने जारी किया उसकी कुछ बातों पर आपत्तियां उठाई गईं । उन पर पुनः विचार आवश्यक समझा गया । अब निर्वाचन मार्च, अप्रैल १९७१ में कराने का विचार है परन्तु अभी निश्चित रूप से निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

वह क्या-क्या आपत्तियां हैं जो उठायी गयी हैं जिनकी वजह से चुनाव रोकना पड़ा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठायी थी कि जो पिछले प्रधान हैं उनके जो चुनाव रोके गये तो अध्यादेश में परिवर्तन होना चाहिये और सुझाव मुख्य मंत्री जी को दिये थे । उसी आधार पर विचार करने के लिए यह सब हुआ और उस पर विचार हो रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आपत्तियां उठायी गयीं उनका सुधार वह कब तक कर लेंगे?

श्री मलिखान सिंह—

बहुत जल्दी किया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री जी बतायेंगे कि गांव पंचायतों के चुनाव कब से प्रदेश में रुके पड़े हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

यह तो माननीय सदस्य को भी मालूम है, बहुत पुराना है । अब जल्दी से जल्दी हो जायगा, यह मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जब तक जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के चुनाव नहीं होते, जिला परिषद् के कार्य को ठीक रूप से संचालित करने के लिये कोई समिति स्थानीय विधायकों की नियुक्त करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

इस समय तो कोई बात नहीं है लकिन सदस्य जो कह रहे हैं उस पर यदि सब लोग कहेंगे तो विचार किया जायगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अभी उत्तर में यह फरमाया है कि मार्च तक विचार है कि चुनाव हो जाय, लेकिन निश्चित तरीके से नहीं कहा जा सकता है और फिर बाद को मंत्री जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी, तो मार्च के बीच में , वह कौन सा समय हो सकता है जब आप चुनाव करा देंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

मेरे खयाल से प्रश्न के उत्तर में मार्च और अप्रैल दोनों बातें कहीं गयी हैं। तो अप्रैल से आगे नहीं जायगा, इतना मैं कह सकता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी ने कहा कि वह पिछला आर्डिनेंस निकला था उस पर कुछ आपत्तियां उठाई गयीं थीं , तो इस बात की भी कोई आपित्त उठायी गयी थी कि प्रधान के लिये देवनागरी लिपि में हिन्दी जानने के बजाय अगर वह उर्दू जानता हो तो वह भी क्वालीफाइड हो ?

श्री मलिखान सिंह—

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

सरकार को जानकारी है कि जिस समय प्रधानों के चुनाव कराने का निश्चय हुआ था उस समय उनसे चार्ज ले लिया गया था और इस समय सारे बस्ते सेक्रेटरीज के पास हैं, तो इस समय गांव पंचायतों का कार्य कैसे संचालित हो रहा है ?

श्री भारत सिंह चौहान—

उन सबका चार्ज वापस कर दिया गया है, सेक्रेटरियों के पास कोई चार्ज नहीं है । यदि कहीं से ऐसी शिकायत मिलेगी तो हस्तक्षेप किया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

ग्राम प्रधानों के लिये यह व्यवस्था थी कि उन्हें देवनागरी लिपि पढ़ने-लिखने का अच्छा ज्ञान होना चाहिये ताकि रिटर्निग आफिसर को मनमानी करने की छूट न हो । तो क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री भारत सिंह चौहान—

अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह निश्चय कर चुकी है कि पुराने प्रधानों को लड़ने का हक होना चाहिये क्या वह हक दिया जायगा ?

श्री मलिखान सिंह—

मैंने कह दिया कि यह सब विचाराधीन है ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आर्डिनेस निकला था उस पर जो आपत्ति हुई क्या उसके कारण से विलम्ब है जिससे कि चुनाव मार्च–अप्रैल तक कराने की बात की जा रही है, जल्द से जल्द न कराने का क्या कारण है ?

श्री मलिखान सिंह—

वह आर्डिनेस जो निकाला गया था उसकी जगह विधेयक पास कराना है, यही कारण है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित व अतारांकित प्रश्न]

टिहरी गढ़वाल में धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के लिये ली गई जमीन के मुआवजा का भुगतान

*१—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग निर्माण से भूमि कटान का पूरा मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

जी हां। पूरा मुआवजा भुगतान न करने का कारण यह है कि कुछ सम्बन्धित भू-स्वामी मुआवजा लेने के लिये उपस्थित नहीं हुये।

*२—श्री इन्द्रमणि—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायगा ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

चूंकि सम्बन्धित व्यक्ति मुआवजा वितरण के समय उपस्थित नहीं थे इसलिये उनका रुपया उनके नाम ट्रेजरी में रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया। यह रुपया व्यपगत हो चुका है क्योंकि उसको जमा किये हुये ३ वर्ष से अधिक समय हो चुका है। उस धनराशि को पुनः मान्य कराने के लिये महालेखाकार को ७ अगस्त, १९७० को प्रार्थना-पत्र भेजा गया। उनकी स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित भू-स्वामियों को बुलाया जावेगा तथा उनको मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री इन्द्रमणि—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो अपने उत्तर में बताया है कि 'कुछ संबंधित' तो इस उत्तर का क्या आधार है कि वह व्यक्ति नहीं आये ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवननारायण सिंह)—

८०४ व्यक्तियों को २९,३५५ रुपया मुआवजा का भुगतान किया गया है और ५०२ व्यक्तियों का भुगतान किया जाना अभी बाकी है।

श्री इन्द्रमणि—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन भू-स्वामियों की कितनी जमीन है जिसको पिछली सरकार ने सड़क बनाने के लिये अपने अधीन किया था ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

वह तो १९६२ में ली गई थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जमीन जब सन् ६२ में ली गई थी और आज भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया जिसका कारण सरकार ने बताया कि लोग लेने नहीं आये, तो सरकार ने क्या कोई कोशिश की कि वह मुआवजा पा जायं ? जैसे क्या उनको मनीआर्डर फीस काटकर उनका धन मनीआर्डर से भेजा गया ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मुझे जो यहां इन्फार्मेशन है उसके मुताबिक यह है कि यह रुपया संबंधित व्यक्तियों की इन्तजार करने के बाद जब वे लोग नहीं लेने आये, ट्रेजरी में जमा कर दिया गया । चूंकि इसको जमा किये हुए ३ वर्ष से अधिक का समय हो गया था इसलिये वह व्यपगत हो गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं आया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मनीआर्डर फीस काट कर उस रुपये को संबंधित व्यक्तियों के घरों पर भेजने का प्रयत्न किया गया ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जहां तक मेरा खयाल है उन्हें मनीआर्डर नहीं भेजा गया ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मुआवजे को देर से देने की प्रायः शिकायतें आती रहती हैं तो सरकार के विचार में वह मुआवजा कितनी मियाद में दिया जाना चाहिये और क्या सरकार ने इसके बारे में कोई नियम बनाये हैं ? और यदि नहीं बनाये हैं तो ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

यह आप ठीक कह रहे हैं । मेरी नजर में भी कुछ ऐसे केसेज आये थे जहां पर बहुत दिनों तक प्रोजेक्ट के लिए जमीन को प्रयोग में लेने के बाद भी मुआविजा नहीं दिया गया । यह बड़े खेद की बात है और मैं इसको मानता हूं और मेरे इस सवाल को अभी अपने अधिकारियों से छेड़ा है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें जल्द से जल्द की जायं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, सन् १९६२ से यह मुआवजा लटका हुआ था और सन् १९७० अर्थात् ८ वर्ष हो गये हैं और जो भू-स्वामी थे, उनको एक पाई भी नहीं मिल पाई, कारण कुछ भी हो । तो कौन-कौन से प्रयास सरकार द्वारा किये गये जिनके बावजूद भी संबंधित व्यक्तियों को यह रकम नहीं दी जा सकी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

वहां के लोगों को कहला दिया गया और कोई प्रयास नहीं हुआ लेकिन उसमें ८०० आदमियों को मुवावजा दे दिया गया । अधिकारियों को यह उम्मीद रही कि पहाड़ी इलाका होने के कारण धीरे-धीरे लोग मुआवजा लेने आ जायेंगे लेकिन मैं यह मानता हूं कि इन सब बातों में जल्दी करनी चाहिये । मैं जब दिल्ली में मिनिस्टर था तो मैंने इस बात का फैसला

किया था कि जिन लोगों की जमीन ली जाती है उनको शीघ्र ही मुआवजा मिलना चाहिये। अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहां भी कुछ सुधार करने का प्रयास करूंगा।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं भी इस संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। यह प्रश्न माननीय बड़ोनी जी का है, पहले उन्हें पूछने दें।

श्री इन्द्रमणी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिन भूस्वमियों की जमीन सन् १९६२ में ली गई थी, उन जमींनों से मालगुजारी भी ली जा रही है? यदि हां, तो उस मालगुजारी को खत्म करने की कृपा करेंगे?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मैं इस शिकायत की जांच करा लूंगा मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मेर ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री प्यारे लाल—

श्रीमन्, मेरा सारा इलाका मुआवजे के प्रश्न से पीड़ित है, मुझे एक प्रश्न करने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न के संबंध में ६–७ प्रश्नों से अधिक नहीं होने चाहिये। इस बारे में बहुत हो गये हैं। अब आप कृपया बैठें।

प्यारेलाल—

श्रीमन्, गाजियाबाद का सारा इलाका मुआविजे के प्रश्न से पीड़ित है। अब तक तो, श्रीमन्, प्रश्न हो जाता। मुझे प्रश्न के पूछने की आज्ञा न देकर, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।

बिहार प्रान्त के जिला शाहाबाद में हुई घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों की, बलिया के थाने नरही की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बालिया जिलान्तर्गत नरही थाने के नरही गांव से ८५ व्यक्ति बिहार राज्य के शाहाबाद जिलान्तर्गत बक्सर थाने से उमरपुर दियारा में २३ अक्तूबर सन् १९६९ को की गई ११ व्यक्तियों के हत्याकांड में अभियुक्त हैं? यदि हां, तो इन अभियुतों में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने अभी बाकी हैं बाकी है?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिह)—

विहार प्रांत के जिला शाहाबाद के अन्तर्गत दिनांक २३-१०-६९ को हुई घटना, जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, के संबंध में उक्त प्रदेश के थाना बक्सर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे संबंधित कुछ अभियुक्तों की सूची थाना नरही, जिला बलिया पर प्राप्त हुई। उक्त सूची में उल्लिखित अभियुक्तों में से २१ को थाना नरही की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा तथा ३ ने बलिया के न्यायालय में आत्म समर्पण किया। इसके अतरिक्त ४४ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ जा०फौ० की कार्यवाही की गई जिनमें से ३९ अभियुक्तों

ने बिहार के न्यायालयों में आत्म-समर्पण किया। ५ अभियुक्तों को बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार अब केवल २ अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि जिस उमरपुर दियारा में यह घटना घटी है वह १० जून के बाद उत्तर प्रदेश बिहार सीमा अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आ गया है? यदि हां, तो मुकदमा किस धारा में दर्ज हुआ है? और उसमें कितने लोगों की हत्या करने का जिक्र है?

गृह मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, वह गांव उत्तर प्रदेश में आ गया या नहीं उसकी सूचना तो उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह मुकदमा १४७,१४८,१४९, ३२४,२०१ व ४३६ में दर्ज हुआ है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या यह बात सत्य है कि ११ व्यक्तियों की हत्या हुई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह सूचना तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बिहार का मामला है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो सरकारी उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई बताई गई है, निश्चित संख्या नहीं मालूम है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में फिर से जानकारी करके यह बताने की कृपा करेगी कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने बताया कि घटना बिहार प्रदेश की है और बिहार पुलिस ने जितने आदमियों के खिलाफ गिरफ्तारी या दूसरी कार्यवाही के लिये यहां उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। कितने आदमी घटनास्थल पर मरे इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है।

श्री उबित नारायण (जिला फतेहपुर)—

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न किया गया था इसमें सबसे मुख्य बात यह पूछी गई थी कि क्या यह सही है कि ११ व्यक्तियों की हत्या हुई है? और उसी पर सरकार के पास सूचना नहीं है। प्रश्न में ही यह है तो क्या जानकारी की गई और क्या जवाब लेकर आया गया?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मन्त्री कृपया स्पष्ट करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मैंने उत्तर दिया कि यह बिहार प्रदेश का मामला है। उन्होंने जिनके खिलाफ लिखा, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। अब कितनों की मृत्यु हुई यह सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बिहार गवर्नमेन्ट को लिखते तो वे जवाब दे देते कि कितने आदमियों की मृत्यु हुई है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जो सूचना उपलब्ध हैं मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या बिहार सरकार ने लिख भेजा है कि कुछ आदमियों की मृत्यु हुई है या कुछ निश्चित सूचना दी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अभी उदित नारायण शर्मा जी ने जो कहा उसका जिक्र कहीं प्रश्न में नहीं है। प्रश्न में तो अभियुक्तों के बारे में पूछा गया है, जिसका कि मैंने उत्तर दिया। दूसरे अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा उसके बारे में निवेदन यह है कि बिहार सरकार ने तो किन्हीं अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के बारे में लिख कर भेजा था। (व्यवधान)

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

बिहार सरकार ने आपको एफ० आई० आर० भेजी थी ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

यह रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें सभी अभियुक्तों के नाम हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मरने वालों की संख्या भेजी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

संख्या नहीं भेजी है।

श्री रामलाल राही—

एफ० आई० आर० भेजी है ?.... (व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गोविन्द सिंह—

आप अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दें कि जब प्रश्न में ११ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है तो मंत्री जी को पूरी सूचना के साथ आना चाहिये था। उनके पास पूरे फैक्ट्स नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सरकार ने इसका जवाब १८-६-७० को भेजा है। अभी शम्भूनाथ जी ने बताया कि १० जून को यह गांव उत्तर प्रदेश में आ गया, तो पूरी सूचना सरकार को देना चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न को आप देखिये। इस प्रश्न में ८५ व्यक्तियों के अभियुक्त होने तथा उनमें से कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं और कितनों की बाकी है, इस बात पर मुख्य जोर दिया गया है। कितने व्यक्ति मारे गये यह प्रश्न नहीं पूछा गया है। यह तो आपकी सूचना है। अभियुक्तों के बारे में जो चीज आपने पूछी है, उसके बारे में मंत्री जी ने बता दिया।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह उमरपुर ग्राम जो पहले बिहार में था और घटना के समय भी बिहार राज्य में था, वह स्थानान्तरित होकर बलिया में आ गया है, तो पहले वहां का जो मामला वहीं न्यायायालय में विचाराधीन था, वह अब पंचनिर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित होकर आ गया है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं ।

जिला चमोली में ग्वालदम थराली फलपट्टी के लिये भूमि उपलब्ध करना

*३(क)—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला चमोली की ग्वालदम थराली फलपट्टी योजना के लिये वन विभाग से कितनी और कब तक भूमि उपलब्ध करने का विचार है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

ग्वालदम थराली फलपट्टी योजना के लिये कोई वन भूमि उपलब्ध नहीं है ।

श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वन भूमि उपलब्ध कराने के लिये क्या-क्या सरकार को कठिनाइयां हैं जिससे कि इस फल–पट्टी योजना के अन्तर्गत लोगों को जमीन नहीं दी जा रही है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सरकार तो पहले इसी जमीन को देने को थी, लेकिन वन विभाग ने मना किया कि यहां पर चीर, देवदार और ऐश के कीमती पेंड़ हैं, इसलिये इसे यहां न लिया जाए ।

श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार जांच करने की कृपा करेगी कि वहां पर इस तरह के जंगलात नहीं हैं, कि जो लोगों को दिये जा सकें ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के जंगल चकराता पहाड़ियों में भी हैं और वहां पर सरकार ने फलपट्टी योजना बड़ी अच्छी तरह से चलाई है, सरकार इस बात के लिये जांच करायेगी कि वहां पर भी फलपट्टी योजना सफलता पूर्वक चलाई जा सकती है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं । इसके लिये ६४ प्रार्थना-पत्र भी आए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैंने आज्ञा नहीं दी है । एक जगह के प्रश्न के स्थान पर यदि दूसरी जगह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैंने केवल उदाहरण चकराता का दिया है, किन्तु मैंने आश्वासन चमोली के लिये ही चाहा है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब तो मुख्य मंत्री ने दे दिया है ।

श्री गोविन्द सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, वहां पर देवदार और चीर आदि के कितने पृथक-पृथक पेड़ हैं, क्या इसकी भी जांच की जाएगी ? तथा उनकी कीमत कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—

बानू जी का यह प्रश्न नहीं था । अब उसकी इंक्वायरी की मांग की गई, वह करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्वालदम थराली फल पट्टी योजना क्या है और कितनी भूमि वन विभाग की आती है और कितनी भूमि दूसरे विभाग की आती है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

अगर नोटिस मिले तो पूरी जांच करा लूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो प्रश्न है इससे सम्बन्धित सारी बातें फाइल पर आनी चाहिये कि यह फल पट्टी योजना है, इसमें वन विभाग की इतनी भूमि है और दूसरे विभाग की इतनी भूमि है । सरकार को इसके लिये भी नोटिस चाहिये तो क्या यह सही उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह है कि क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला चमोली की ग्वालदम थराली फल पट्टी योजना के लिये वन विभाग से कितनी और कब तक भूमि उपलब्ध करने का विचार है ? वह केवल पूछना चाहते थे कि आप कब तक भूमि उपलब्ध करेंगे । अब अगर आप यह पूछें कि कौन सी चीज है, फल पट्टी योजना क्या है, इसको एक्सप्लेन करें । यह उन्हें मालूम हो, जरूरी नहीं है । उन्होंने नोटिस मांगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वन विभाग के मंत्री माननीय राम किंकर हैं । यह वन विभाग से ही सम्बन्धित होता है तो उसमें जो फारेस्ट डिवीजन है उसमें दो जिले आते हैं । इसलिये वन विभाग ने उत्तर नहीं दिया है, सीमान्त विभाग ने दिया है जिसके पास फल पट्टी योजना की सारी फाइल होगी ।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें नहीं मालूम तो कैसे उत्तर दें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शायद उप मन्त्री जी को पता हो ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उन्हें पता हो तो बतला दें ।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जमीन के बारे में प्रश्न था, उसी की सूचना है ।

जिला सीतापुर के ग्राम कोडरी के कुछ व्यक्तियों की जबरदस्ती नसबन्दी

*४—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार को ज्ञात है कि फरवरी,१९७० में जिलाधिकारी, सीतापुर ने ग्राम कोडरी, थाना सन्दना ,तहसील मिश्रिख (सीतापुर) के तीन हरिजन और एक पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के बयान जिनकी जबरिया नसबन्दी की गई है, लिये हैं और इससे पूर्व सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर, श्री त्यागी जी भी जांच करने मौके पर गये और बयानात लिये हैं ? यदि हां, तो दोनों अधिकारियों के बयानात से सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह —

जिला सीतापुर के ग्राम कोड़री के कुछ निवासियों ने जिला मैजिस्ट्रेट को यह शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया कि उनकी जबरदस्ती नसबन्दी थानाध्यक्ष तथा लेखपाल के दबाव से कराई गई । इस विषय में पहले सर्किल अफसर और बाद में जिला मैजिस्ट्रेट ने गांव में जाकर जांच की तथा इन दोनों ने शिकायत कर्त्ता तथा अन्य कुछ व्यक्तियों के बयान लिये । जांच से अरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री रामलाल राही —

क्या जिलाधिकारी व सर्किल पुलिस इन्सपेक्टर की जांच के बाद पुनः जबरिया हरिजनों को लाकर अदालत में बयान हल्फी लगवाये गये हैं ? यदि हां,तो उन बयान हलफियों में सम्बन्धित लोगों से क्या लिखवाया गया है ?

श्री राजेन्द्र प्रपात सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह तो ठीक है कि जांच के पश्चात चार व्यक्तियों के शपथ-पत्र न्यायालय में दाखिल हुए परन्तु जबरियां हलफनामा दिलाने के आरोप सिद्ध नहीं हुए । हलफनामा में सम्बन्धित व्यक्तियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि नसबन्दी उनकी स्वेच्छा से हुई ।

श्री रामलाल राही —

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन चार व्यक्तियों के हलफनामे दाखिल हुए हैं उनके बयानात जिलाधीश और पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके पर जाकर लिये थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा —

जी हां, लिये थे ।

श्री रामलाल राही —

जिन लोगों की नशबन्दी हुई उनके बयानात लिये । क्या जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये थे उनकी तस्दीक की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तस्दीक की है ।

श्री रामलाल राही —

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र की तस्दीक की और चार्ज साबित हो गया तो फिर यह उत्तर की जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए, कहां तक सही है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह —

जिलाधीश जब अपने कार्यालय में थे तो ये लोग वहां पहुचे और उन्होंने हल्फनामा दिया और कहा कि गांव में जो बयान दिया वह दवाब में आकर दिया क्योंकि वे डरते थे इसलिये हां कह दिया। ब्लाक प्रमुख के समझाने बुझाने से नशबन्दी करायी है इसलिये कोई आपत्ति नहीं ह।

श्री रामलाल राही—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बयान हल्फी सब इन्सपेक्टर साहब के सामने हुआ उसकी शिकायत की गई और इसकी तस्दीक की गई कि हमारी जबरदस्ती नसबन्दी की गई। फिर जिलाधीश के सामने भी पहुंच कर कहा कि उसकी जबदस्ती नसबन्दी की गई है। इसी को उनके बंगले पर भी आकर उसने कहा। जो अधिकारी थे उन्होंने उससे जबरदस्ती बयान हल्फी करवाई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो बयान उन्होंने दिया वह अदालत में दिया है और जिलाधीश के बंगले पर नहीं दिया है।

श्री गोविन्द सिंह—

जिन लोगों की नसबन्दी की बात कही गई है उनकी उम्र क्या है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह—

बयान हल्फी में तो उम्र लिखी रहती है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

जबरिया नसबन्दी के बारे में इन्क्वायरी हुई और २,२ अधिकारियों ने उसकी जांच की। उसकी नोटिस में तो यह चीज थी फिर मंत्री जी कहते हैं कि उनकी उम्र नहीं मालूम।

श्री अध्यक्ष—

मालूम होते हुये भी क्या वे नहीं बतलायेंगे ? यह आरोप ठीक नहीं है।

श्री राम लाल राही—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश और सब इन्सपेक्टर साहब ने जांच की थी और सचिव भी उसकी जांच करने गये थे परन्तु मौके पर न जाकर जिला सीतापुर पहुंच कर अधिकारियों से मिलकर लौट आये ? साथ ही यह बयान हल्फी करवाई गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

सदन को बाजार की तरह से न करें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

जो पुलिस इंस्पेक्टर ने बयान लिया है, जिलाधीश ने बयान लिया है उसको क्या पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, पुलिस इन्सपेक्टर ने कोई जांच नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष —

श्री हरिवंस सहाय, प्रश्न संख्या ६ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी —

सरकार की ओर से जिलाधीश का प्रयोग किया गया है । बार-बार यह कहा जाता है तो क्या जिलाधीश फिर जिले का ईश्वर बना दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है । अभी तक इसका प्रयोग सभी लोग करते आ रहे हैं ।

श्री नाराणदत्त तिवारी—

सही शब्द क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जिला अधिकारी होना चाहिये ।

(श्री हरिवंस सहाय)

श्री मैनेजर सिंह —

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी . . . .

श्री मैनेजर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष —

जो सवाल आ रहे हैं वह इससे रुक जायेंगे, इसलिये यह ठीक नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं ऐसा नहीं चाहता हूं लेकिन.....

श्री अध्यक्ष—

अभी तक केवल ५ सवाल हुये हैं ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । प्रश्न संख्या ६ लिया जाय ।

हाकिम तहसील पडरौना तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना

*६—श्री हरिवंस सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अप्रैल, १९७० के अन्तिम सप्ताह में उन्हें यह शिकायत मिली कि हाकिम तहसील, पडरौना, जिला देवरिया अपनी कार में नेपाल राज्य से तस्करी का माल लाते हुये पुलिस थाना निचलोल, जिला गोरखपुर द्वारा पकड़े जाने पर पुलिस को डांट फटकार बता कर बच निकलने में सफल हो गये ? यदि हां, तो उस शिकायत की क्या कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी हां, इस प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ था। किन्तु इस घटना के बारे में जो जानकारी शासन को पहले ही प्राप्त हो चुकी थी उसके अनुसार पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने पर हाकिम तहसील पडरौना की कार में कोई तस्करी का सामान नहीं मिला। उक्त तलाशी के सम्बन्ध में हाकिम तहसील पडरौना तथा पुलिस कर्मचारियों ने एक दूसरे के विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाये हैं। यह मामला अग्रिम जांच के लिये सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है। जांच जारी है।

श्री हरिवंस सहाय—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित परगनाधीश, पडरौना और पुलिस अधिकारियों के बीच अभद्र बातचीत हुई तो वह क्या अभद्र बात थी ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

एक दूसरे के बीच गाली गलौज हुआ जिसकी शिकायत आई है।

श्री अध्यक्ष—

सुनाई नहीं दिया है।

श्रीमती इन्द्र मोहिनी —

एक दूसरे के बीच गाली गलौज हुआ जिसके बारे में दोनों ने शिकायत की है।

श्री हरिवंस सहाय—

माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि हाकिम परगना, पडरौना, जिला गोरखपुर में क्या करने गये थे और जब उनको पुलिस ने रोका तो उनके साथ परगनाधीश, सलेमपुर भी मौजूद थे, तो पुलिस को क्या मिला ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

वह लोग भैंसालोटन भ्रमण करने गये थे और वहां से लौट रहे थे और पुलिस को कुछ नहीं मिला।

श्री राम गोपाल संड—

मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नैपाल बार्डर पर बड़े पैमाने पर तस्करी होती है तो क्या इसके लिये सरकार सतर्कता आयोग नियुक्त करेगी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

तस्करी का सवाल तो इसमें उठता नहीं है। पुलिस ने समझा कि तस्करी का सामान जा रहा है तो उसने तलाशी लेना चाही, उसमें कुछ कहा सुनी हो गई। इसकी जांच की जा रही है और उसका जो नतीजा होगा उसको पेश करेंगे।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे यह लोग छुट्टी के दिन भ्रमण करने गये थे या दफ्तर वाले दिन गये थे ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

यह कहना मुश्किल है। मेरे पास जो इन्फार्मेशन है वह यह है कि वह भैंसालोटन गये थे और वहां से लौट रहे थे।

श्री रामकरन (गोरखपुर)---

क्या वह अपने अधिकृत क्षेत्र से बाहर गये थे या अपने ही क्षेत्र में थे। उनमें और एक छोटे पुलिस के कर्मचारी में गाली गलौज हुई, उसकी गम्भीरता को देखते हुये क्या उनको मुअत्तिल करायेंगे ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

मैंने पहले ही कहा कि सी०आई०डी० की जांच हो रही है। जो भी तथ्य होगा सामने रखा जायगा।

श्री राम करन (गोरखपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारी के बीच गाली गलौज हुई, तो क्या उससे यह सम्भव नहीं है कि उनके पास कोई सामान निकला हो और जो जांच हो रही है उसकी कम्पलेन्ट क्या है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

मैंने गाली गलौज बताया तो।

श्री माता प्रसाद---

क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० ने पुलिस के ऊपर क्या आरोप लगाये और पुलिस ने कौन से आरोप एस०डी०एम० पर लगाये ? एक दूसरे पर लगाये गये आरोप कौन कौन से हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

शुरू में ही एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और वहां पुलिस ने तलाशी ली। यह तो पुलिस ने किया। आरोप में यह भी है कि ड्राइवर को पीटा गया। जैसा मैंने कहा सी०आई०डी० की जांच हो रही है, जब तक उनकी रिपोर्ट न आ जाय, मेरा कुछ कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)---

मेरे पास इसकी कुछ जानकारी है। इसके खिलाफ इस प्रकार के अनेक प्रकार के पत्र भेजे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप यहां सबूत तो दे नहीं सकते। आपको सरकार से जानकारी लेनी है न कि देनी है और जितनी जानकारी सरकार की ओर से दी जायगी, वही ठीक होगी।

देवप्रयाग जल विद्युत् योजना का पूर्ण न होना

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देव प्रयाग जल विद्युत् योजना को पूरा करने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया था ? इस योजना के अभी तक पूरी न होने का क्या कारण है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

देव प्रयाग जल-विद्युत् योजना वित्तीय वर्ष १९६९–७० में पूर्ण होनी थी। परन्तु मेसर्स ज्योति, लिमिटेड द्वारा मशीनों से सम्बन्धित कुछ पार्ट्स सप्लाई करने में विलम्ब के कारण एवं फर्म द्वारा इरेक्शन इन्जीनियर मशीन, आदि लगाने के लिये देर से भेजने के कारण योजना पूर्व प्रस्तावित समय पर पूर्ण नहीं हो पाई।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स ज्योति, लिमिटेड से पार्ट्स तथा इन्जीनियरिंग मशीनों को पहुंचाने के लिये क्या समय तय हुआ था ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

इसमें समय की बात नहीं थी। उनसे कहा गया था कि जल्दी कर दें। यह सब कम्पलीट हो चुका है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

यह योजना किस सन् से आरम्भ हुई थी और अब भी वे पार्ट्स वहां क्यों नहीं पहुंचे ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

यह योजना १९६९–७० में चालू हुयी थी और इसका काम पूरा हो चुका है। पार्ट्स भी आ चुके हैं। अब इसको थोड़े दिनों में सिर्फ चालू करना बाकी रह गया है, वह कर देंगे।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मेरा प्रश्न यह था कि इस योजना को शुरू किये हुये कितने वर्ष हो गये हैं और कब तक यह पूरी हो जायगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

१९६९–७० में यह योजना पूरी होने को थी। कुछ बिजली का सामान सप्लाई न होने से और उस तरफ पुल न होने से इसमें कुछ विलम्ब हो गया। अब सिविल वर्क पूरा हो चुका है, मशीनें भी आ गयी हैं और इरेक्शन इंजीनियर भी आ गया है लिहाजा यह योजना पूरी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या इस जल विद्युत् योजना में यमुना हाइडल की बड़ी ट्रान्समिशन लाइन मिलाने की योजना भी है कि ताकि उससे देव प्रयाग के गांव तथा ऊपर चमोली जिले के इलाकों में भी बिजली पहुंचाई जा सकेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह बहुत छोटी सी योजना है । पौढ़ी क्षेत्र में हमारा गोटी छेड़ा का एक हाइडल स्टेशन बना था । उसका पानी देव प्रयाग क्षेत्र में गिरता है । इसको इस्तेमाल करने के लिये देव प्रयाग विद्युत योजना बनाई गयी और जो ट्रान्समिशन लाइन है वह पौड़ी, श्रीनगर, कीरतिनगर और देव प्रयाग को बिजली देती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो योजना बन रही है वह देव प्रयाग को बिजली देने की है ? पावर लोड कम होने से क्या आसपास के गांवों को बिजली नहीं दी जा सकती और क्या उसे किसी अन्य ट्रान्समिशन लाइन से कनेक्ट करके वहां के अन्य क्षेत्र को बिजली नहीं दी जा सकती ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

देव प्रयाग के आसपास बिजली दे रहे हैं । अभी तक डीजल स्टेशन से बिजली दी जा रही है लेकिन जब हाइडल स्टेशन बन जायगा तो डीजल वाली बिजली बच जायगी और उससे अन्य क्षेत्रों को भी बिजली दी जा सकेगी ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मेसर्स ज्योति, लिमिटेड के साथ कोई रिटन कांट्रेक्ट था जिसके जरिये सामान सप्लाई करने की मियाद निश्चित थी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

एग्रीमेंट के सम्बन्ध में कोई सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन उसमें कुछ देर हो रही थी । साधारणतया बिजली की मशीनें जो खास तौर से बनाते हैं उनके बनाने में देर हो जाती है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

यदि यह योजना जल्दी चालू हो जायगी तो कितने गांवों को इससे बिजली देना सम्भव होगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह तो जो बिजली स्टेशन हैं उसे सप्लीमेंट करेंगी यानी जो बिजली पौढ़ी में बन रही है वह सप्लीमेंट होगी क्योंकि डीजल सेट में बड़ा खर्च आता है ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि कब तक यह योजना कार्यान्वित हो जावेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मशीनें पहुंच गयी हैं, सिविल काम पूरा हो गया हे, इरेक्शन इंजीनियर भी पहुंच गया है। स्पष्ट आश्वासन देना तो सम्भव नहीं है किन्तु जहां पर बिजली देने की बात थी वहां बिजली चालू है । इसके पूरे होने पर डीजल स्टेशन के बदले हाइडल से बिजली दी जाने लगेगी ।

श्री इन्द्रमणी—

देवप्रयाग जो क्षेत्र का मुख्यालय है, उसमें बिजली दी जायगी या नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

देव प्रयाग में तो बिजली पहुंच गयी । पैसा अगर वहां जमा कर दिया जायगा तो बिजली देने में उनको क्या दिक्कत है ?

*८-९—श्री रामधारी शास्त्री—

[मन्त्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

वाराणसी जिले के ग्राम तिवारीपुर में पड़ी डकैती

*१०—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद वाराणसी के पुलिस थाना रोहनिया के अन्तर्गत ग्राम तिवारीपुर में ४ मई, सन् १९७० की रात में सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें डाकू लगभग ५०,००० रुपये की सम्पत्ति लेकर भाग गये तथा ग्रामीण और डाकुओं के मध्य गहरा संघर्ष हुआ ? यदि हां, तो उस संघर्ष में कितने आदमी मरे तथा घायल हुये ? क्या मरे हुये व्यक्तियों में कोई डाकू भी था ? यदि हां, तो क्या उसकी शिनाख्त हो चुकी है ? सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वाराणसी जिले में थाना रोहनियां के अन्तर्गत नहीं वरन् थाना मिर्जामुराद के अन्तर्गत, प्राप्त सूचना के अनुसार २/३ मई, १९७० की रात्रि (न कि ४ मई, १९७० की रात) में १२-१३ अज्ञात सशस्त्र डकैतों ने तिवारीपुर गांव में डकैती डाली । ग्रामीणों व डाकुओं के बीच संघर्ष हुआ। एक ग्रामीण तथा एक डाकू घटनास्थल पर ही मारे गये और ९ ग्रामीण घायल हुये जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई । मृतक डकैत की शिनाख्त हो चुकी है । डाकू लगभग ८,१०० रु० की सम्पत्ति लूट ले गये । इस सम्बन्ध में धारा ३९५/३९६/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर विवेचना आरम्भ की गई । विवेचना से १२ डकैतों के नाम मालूम हो पाये हैं । इनमें से ५ को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

जिला आजमगढ़ के ग्राम अकबरपुर में श्री तारकेश्वर सिंह पर हमला

*११—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अकबरपुर में २७ मार्च, १९७० को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता, श्री तारकेश्वर सिंह, पर कुछ लोगों ने कातिलाना हमला किया ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की और अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

थाना मऊ, जिला आजमगढ़, में अंकित कराई गई रिपोर्ट के अनुसार श्री तारकेश्वर सिंह, जब ग्राम अकबरपुर में हरिजनों के ऊपर जमीन्दारों द्वारा होने वाले अत्याचार की जांच तथा मजदूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने साथियों के साथ दिनांक २७-३-७० को पूछ तांछ कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने उनके ऊपर हमला करके उन्हें चोटें पहुंचाई । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा १४७/३२३ भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक अदद तफतीश मुकदमा कायम किया गया । दिनांक ४ जून, १९७० को श्री तारकेश्वर सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के आदेश दिये जाने पर जांच आरम्भ की गई । नामजद ७ अभियुक्तों में से ५ गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। शेष २ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

श्री श्याम लाल—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि थाने में एफ० आई० आर० कब दर्ज हुई और अभियुक्त कब गिरफ्तार हुये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

२८-३-७० को रिपोर्ट दर्ज हुई जो अदम तफतीश हुई। ४-६-७० को श्री तारकेश्वर सिंह ने तफतीश के लिये कप्तान साहब को दरख्वास्त दी और उस पर तफतीश की गयी। जब कार्यवाही हुई तो लोग इधर उधर भागे। जब उनके विरुद्ध ७७-७८ की कार्यवाही की गयी तो वे लोग अदालत में हाजिर हो गये।

श्री श्याम लाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ७ अभियुक्तों में से ५ को ही गिरफ्तार किया गया और अदालत में उनके खिलाफ मामला दायर किया गया। जिन दो व्यक्तियों ने अदालत में आत्म समर्पण किया उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पहले ५ ही गिरफ्तार हुये थे अतः उन्हीं के खिलाफ अदालत में रिपोर्ट लगायी गयी। दो के खिलाफ जब ७७-७८ की कार्यवाही की गयी, उसके फलस्वरूप ही वे अदालत में हाजिर हुये।

श्री श्याम लाल--

क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किन कारणों से उन दो व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट नहीं लगायी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर २४-११-७० को वे अदालत में हाजिर हुये हैं। उसके पहले वे मफरूर थे इसलिये कार्यवाही नहीं हो सकी। अब कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिन पर हमला किया गया वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे तो क्या हमला करने वाले नक्सलवादी थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इसमें नक्सलवादी वगैरा की कोई बात नहीं है। गांव के जमींदार द्वारा हरिजनों के ऊपर ज्यादती करने की बात थी। उन्होंने उनकी मजदूरी वगैरा नहीं दी थी। तारकेश्वर सिंह ने उनका पक्ष लिया। वहीं उनसे कहा सुनी और मारपीट हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या तारकेश्वर सिंह जी की चोटों का मुआयना हुआ था, यदि हां तो क्या रिपोर्ट है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मामूली सी चोट आयी थी। यहां पर उसका कोई उल्लेख नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह--

यह एफ० आई० आर० में कागनीजिबिल आफेन्स लिखाया गया था, फिर अदम तफतीश लिखने की क्या जरूरत थी, क्या मुकदमा दर्ज नहीं किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर चोटें तो मामूली थीं। रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, लेकिन अदम तफतीश लिख दिया गया। जब कप्तान साहब को एप्रोच किया गया तब उन्होंने तफतीश के आदेश दे दिये।

श्री गोविन्द सिंह—

प्रश्न स्पष्ट है कि जब जुर्म कागनीजेबिल है तो फिर मुकदमा क्यों नहीं रजिस्टर किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस की बात है ।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, जब एक मुकदमा काबिल दस्तंदाजी पुलिस है तो फिर उसको रजिस्टर न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

उनके पास जो फैक्ट्स हैं वे उन्होंने बता दिये हैं ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी तरफ से क्या थानों को ये आदेश हैं कि चोटों को देखकर मुकदमा दायर करें और दफाओं को देखकर न किया करें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जैसी चोटें होती हैं, जैसे वाकयात और अपराध होते हैं, उसी के आधार पर इन्दराज किये जाते हैं और इसी प्रकार के आदेश हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब १२ बज चुके हैं, इसको समाप्त कीजिये ।

जिला गढ़वाल में गौणीछेड़ा जल विद्युत् योजना का परित्याग

*१२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में गौणी छेड़ा विद्युत् योजना से बेजरों, बीरांघाल तथा थैलीसेण ग्राम समूहों को जो बिजली दिये जाने की योजना थी, वह गोणी छेड़ा योजना किन विशेष कारणों से समाप्त की गई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गौणी छेड़ा जल विद्युत् योजना इसलिये समाप्त कर दी गयी क्योंकि बेजरों विरोखाल तथा थालीसेन ग्राम समूहों को बिजली पहुंचाने हेतु मासी से बेजरों तक ११ के० बी० लाइन बनाने की योजना आर्थिक दृष्टिकोंण से अधिक उचित समझी गई ।

*१३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना से जो सिंचाई के लिये पानी मिलने वाला था वह किस योजना से मिलेगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गौणी छेड़ा जल विद्युत् योजना केवल विद्युत् उत्पादन एवं सम्बन्धित ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ही प्रस्तावित की गयी थी । इस योजना से ग्रामों को सिंचाई के लिये पानी देने का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

फर्रुखाबाद, इटावा तथा एटा जिलों में डकैतों के नेताओं की गिरफ्तारी पर पुरस्कार की घोषणा

*१४—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर तथा एटा में डकैतों के कितने गिरोह काम कर रहे हैं और क्या उन डकैतों के नाम पुलिस के पास दर्ज हैं जिसको जिन्दा या मरा पकड़े जाने पर इनाम की घोषणायें हुई हैं ? यदि हां, तो उस का गजट क्यों नहीं हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला फर्रुखाबाद, इटावा तथा एटा में डकैतों के ७ गिरोह सक्रिय हैं। शाहजहांपुर में कोई गिरोह सक्रिय नहीं है (इनमें से चार गिरोहों के नेताओं के लिये हर डकैत नेता पर १,००० रु० का पुरस्कार घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त पांच अन्य डकैतों को पकड़ने के लिये १० रु० से लेकर ५० रु० तक के पुरस्कार घोषित किये गये हैं। ऐसी घोषणाओं को गजट में प्रकाशित करने की प्रथा नहीं है।

जिला चमोली में ठेकेदारों के भुगतान

*१५—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली) श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, चमोली, में कितने ठेकेदार ऐसे है जिनके बिलों के भुगतान दिनांक १० मई, १९७० तक नहीं हो पाये हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

दिनांक १०-५-७० तक जनपद, चमोली, में सार्वजनिक निर्माण कार्यों से संबंधित ८३ ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ था।

*१६—श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जनपद, चमोली, के कितने ठेकेदारों ने पंच फैसले की व्यवस्था करने का निवेदन शासन से किया था और कितने ठेकेदारों के दावों पर पंच-फैसला हो चुका है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जनपद, चमोली, में सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्धित ५१ ठेकेदारों ने पंच फैसले की व्यवस्था करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे। उनमें से ६ मामलों में पंच फैसला हो चुका है।

*१७-१८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

कानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में डकैती, कत्ल तथा राहजनी की घटनाएं

*१९—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर), श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा), श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर) तथा श्री अजब सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि २८ मार्च, १९७० से १० मई, १९७० तक कानपुर ग्रामीण क्षेत्र में कितने कत्ल, डकैती, राहजनी, आत्महत्या, नकबजनी तथा बल्वे की रिपोर्टें थानों में हुई और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त समय के मध्य में डकैतियों का प्रतिदिन का औसत क्या रहा और उक्त समय में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र कौन रहा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

२८ मार्च, ७० से १० मई, ७० तक कानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कत्ल की १०, डकैती की १७, राहजनी की १७, आत्म हत्या की ३, नकबजनी की ११४ घटनायें होने की रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुई। इसी अवधि में बल्वे की ३३ घटनाओं से संबंधित ४० रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुई। इनके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

उक्त अवधि में डकैतियों का प्रतिदिन का औसत .३९ रहा। इस अवधि में श्री लक्ष्मन प्रसाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र थे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५२ पर)

टिहरी-गढ़वाल में धन शाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग के निर्माण के कारण ग्राम सेमा भरदार वालों की भूमि का मुआवजा

*२०—श्री इन्द्रमणी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में घनशाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के निर्माण से मील नं० ४१ व तथा ४२ में ग्राम सेमा भरदार वालों की जमीन तथा सामूहिक गूलों की क्षति का मुआविजा क्यों नहीं दिया गया ? क्या सरकार निकट भविष्य में इनको मुआविजा देगी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

कथित मार्ग के निर्माण से उसके मील नं० ४१ तथा ४२ में ग्राम सेमा भरदार वालों की भूमि को जो क्षति पहुंची उसका कुल मुआवजा २,७७६.६७ रुपये स्वीकृत किया गया जिसमें से २,७५१.९२ रु० सम्बन्धित भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है। अब केवल २४.७५ रु० एक व्यक्ति को वितरण हेतु शेष है क्योंकि वह व्यक्ति सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट द्वारा कई बार बुलाने पर भी अभी तक धन लेने नहीं गया।

सामूहिक गुलों की क्षति के विषय में उक्त ग्राम वालों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

मऊ नगरपालिका के अध्यक्ष पर आक्रमण

*२१—श्री श्याम लाल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्ग नगर पालिका मऊनाथभंजन के अध्यक्ष, श्री राम गोपाल खन्डेलवाल, पर २९ जनवरी, १९७० की रात्रि में कुछ लोगों ने

गोली चला कर कातिलाना हमला किया ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक २६–१–७० को ८ बज कर १५ मिनट पर रात्रि में थाना मऊ, जिला आजमगढ़, पर इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त हुई कि उसी दिन रात में श्री राम गोपाल खण्डेलवाल, चेयरमैन, नगरपालिका, मऊ पर कुछ लोगों ने गोली से आक्रमण किया जिससे उनके बायें कूल्हे में चोट आई ।

इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें विवेचना के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

प्रदेश में बिक्री कर की वसूली को स्थगित करना

*२२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २० फरवरी, १९७० से २१ अप्रैल, १९७० तक राज्य सरकार द्वारा कितने सेल्स टैक्स की वसूली का स्टे किया गया और किन किन लोगों का ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

२०–२–७० से २१–४–७० तक शासन द्वारा कुल रुपया १,१४,८०१.८४ पैसे बिक्री-कर की वसूली स्थगित की गई । संबंधित व्यापारियों के नाम निम्नलिखित हैं:—

१—मेसर्स चन्द्र शेखर रामचरन, कालपी, जालौन
२—मेसर्स बाबू लाल, आजमगढ़
३—मेसर्स सहकारी संघ, कोपागंज, आजमगढ़
४—मेसर्स मुनीर अहमद, टांडा, फैजाबाद
५—मेसर्स आइरन स्टोर्स, अकबरपुर, फैजाबाद
६—मेसर्स रमेश मेडिकल स्टोर्स, कानपुर
७—मेसर्स मुईनउद्दीन, कानपुर
८—सहादतगंज,लखनऊ के पांच व्यापारी
९—मेसर्स कमरूउद्दीन, बाराबंकी
१०—मेसर्स रिलायबिल मशीनरी स्टोर्स, लखनऊ ।
११—मेसर्स बिशन सिंह एण्ड संस, गाजियाबाद
१२—मेसर्स सी० पी० टिम्बर स्टोर्स, लखनऊ
१३—मेसर्स धर्म जीत ओम प्रकाश, अलीगढ़

*२३–२४—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

तहसील लखीमपुर तथा मौहम्मदी में अग्निकांड से पीड़ित किसानों को लकड़ी खरीदने में सहायता

*२५—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी), श्री तेजनरायन (जिला खीरी), श्री सेवा राम (जिला खीरी) तथा श्री माखन लाल (जिला खीरी)—

क्या वन मन्त्री को इस बात की सूचना है कि मार्च-अप्रैल, १९७० ई० में माल विभाग तहसील लखीमपुर खीरी ने श्री डी० एफ० ओ०, साउथ-खीरी को परगना कुकुरा-पैला,

हैदराबाद, आटावा, पिपरिया भूड़, आदि परगनों के ओलागर्दी तथा अग्नि-कांड पीड़ित किसानों को रिवाज या रियायत के मुताबिक साया (छाया) बनाने हेतु लकड़ी दिये जाने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह))--

जिला खीरी की तहसील लखीमपुर तथा मोहम्मदी में १० मार्च, १९७० को ओलागर्दी के फलस्वरुप पीड़ित किसानों से वन विभाग द्वारा लकड़ी की सहायता दिये जाने की कोई संस्तुति नहीं की गई, परन्तु मार्च-अप्रैल, १९७० में उन्हीं तहसीलों में अग्निकांडों के सम्बन्ध में कुछ ग्रामों के पीड़ित किसानों को वन विभाग द्वारा छप्पर बनाने हेतु लकड़ी दिलाये जाने के लिये संस्तुति की गई। उस पर डी० एस० ओ० साउथ द्वारा संबंधित रेन्ज आफिसरों को आवश्यक आदेश अग्निकांड पीड़ितों को लकड़ी खरीदने में सहायता प्रदान करने हेतु जारी कर दिये गये थे ।

देहरादून जिले में चाय के बागों के मालिकों द्वारा भूमि का विक्रय

*२६--श्री गोविन्द सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को यह विदित है कि जिला देहरादून में चाय बागान के मालिकान बागान पर हदबन्दी कानून लागू न होने के कारण चाय बागों को खत्म कर उनकी हजारों बीघे जमीन बेच कर इस महत्वपूर्ण उद्योग को नष्ट कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये शासन ने क्या कदम उठाये ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

वर्ष १९६५-६९ के बीच इस जनपद में चाय के बागों के कुछ मालिकों ने अपनी भूमि पूर्णतः या अंशतः भवन व कृषि हेतु बेच दिया या उसे कृषि योग्य बना लिया। इस क्रय-विक्रय को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं क्योंकि ऐसा करना कानूनन संभव नहीं है ।

जिला गोंडा में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर नियुक्तियां तथा तत्सम्बन्धी चुनाव

*२७--श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में कितने सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद के लिये स्थान रिक्त हैं जिन पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं ? यह स्थान कितने दिनों से रिक्त हैं ? इस पर अब तक स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं की गईं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

गोण्डा जिले में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के ५ पद रिक्त हैं जिन पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ये पद निम्नलिखित तिथि से रिक्त हैं---

(१) ७-३-६७ से
(२) १-८-६८ से
(३) २६-४-६९ से
(४) १५-६-६९ से
(५) २५-१-७० से

स्थायी नियुक्तियां इस कारण नहीं हो सकीं कि सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की सूची पर केवल १ उम्मीदवार का नाम शेष रह गया था जिसका रिकार्ड अच्छा न होने के कारण नियुक्त करना सम्भव नहीं था ।

*२८--श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)--

क्या गोंडा जिले में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद के उम्मीदवार का कोई चुनाव किया गया है ? यदि हां, तो चुनाव कब किया गया ? क्या चुने गये उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो प्रकाशन में इतने बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी हां, चुनाव ६-१०-६९ को किया गया। चुने गये उम्मीदवार की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

गांव सभा, गनेशपुर, बडनपुर तथा भीतपुर, जिला बाराबंकी के भूमिहीनों में जमीन का वितरण

*२९--श्री शिव कैलाश--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव सभा, गनेशपुर, बडनपुर, भीतपुर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी, में कितने एकड़ जमीन गांव सभा सम्पत्ति रजिस्टर में १९६८-६९ तक दर्ज थी और उसमें से कितने एकड़ भूमि हीन हरिजनों को पट्टे पर दी गई ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जनपद, बाराबंकी की गांव सभा बड़नपुर में १० एकड़, गनेशपुर में ३४ एकड़ तथा भीतपुर में ११ एकड़ भूमि गांव सभा सम्पत्ति रजिस्टर में १९६८-६९ तक दर्ज थी। इसमें में से कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है क्यों कि यह भूमि गांव सभा के कुल क्षेत्रफल के ८ प्रतिशत से कम है।

ग्राम डडसरी, जिला अलीगढ़ में भूमिहीनों को पट्टे पर दी गई जमीन

*३०--श्री जगदीश गांधी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम डडेसरी, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़, में सन् १९६६ में कितने भूमिहीनों को पट्टे किये गये ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

प्रश्नगत गांव सभा में वर्ष १९६६ में दो पट्टे किये गये थे।

*३१--श्री जगदीश गांधी--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त पट्टे पर दी जाने वाली भूमि में श्मशान तथा अन्य सार्वजनिक कार्य हेतु छोड़ी गई भूमि का भी पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

श्मशान तथा अन्य निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के लिये सुरक्षित भूमि का कोई पट्टा नहीं दिया गया।

चीनी मिलों की निजी जमीनों तथा सीलिंग से प्राप्त हुई अतिरिक्त जमीनों को पट्टे पर देना

*३२-३३—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार प्रदेश की चीनी मिलों के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि किन-किन चीनी मिलों के पास उनके फार्म हैं और उनका रकबा क्या है ? इन फार्मों से कितनी-कितनी भूमि जोत हदबन्दी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त घोषित की गई ?

अतिरिक्त घोषित की गई भूमि में कितनी भूमि पर सरकार को पृथक्-पृथक् कब्जा मिल गया है तथा कितनी-कितनी भूमि पृथक्-पृथक्, उन्हीं मिल मालिकों को अस्थायी पट्टों पर दे दी गई है और उन पट्टों की मियाद कब समाप्त हो रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

दोनों प्रश्नों से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५३ ४५९ पर)

*३४—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

टाउन एरिया, बड़हलगंज, जिला गोरखपुर, द्वारा सरयू नदी के देवारे की भूमि को अपने कब्जे में लेने हेतु प्रार्थना-पत्र

*३५—श्री त्रिवेनी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की ओर से कोई स्मृति-पत्र दिनांक १९ अक्तूबर, १९६९ को अथवा उसके आस-पास जिलाधिकारी, गोरखपुर को मिला है कि सरयू नदी के देवारे की भूमि की व्यवस्था तथा उस पर लगे झाऊ, खर तथा रेता का कब्जा टाऊन एरिया को दिलाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

चेयरमैन, टाउन एरिया, बड़हलगंज ने एक प्रार्थना-पत्र परगना अधिकारी, बांसगांव को १९ अक्तूबर, १९६९ को दिया था । उस पर जांच कराने के बाद कलेक्टर इस निर्णय पर पहुंचे कि विवादग्रस्त भूमि आजमगढ़ जिले के अधिकार क्षेत्र में है । कलेक्टर द्वारा बताई गई स्थिति की जांच कराई जा रही है क्योंकि राजस्व अधिकार क्षेत्र के लिये आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों के बीच नदी की धारा सीमा नहीं है ।

आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील के बन्दोवस्त अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*३६—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मन्त्री यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के तहसील लालगंज के वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी के खिलाफ लालगंज की जनता की ओर से १९६९ में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को भेजा गया ? यदि हां, तो आज तक उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ? क्या उस जांच की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां । १९६९ में आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील के बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र ग्राम मेहनगर की जनता की ओर से दिये गये थे । आरोप

मुख्यतः जाति-वाद के आधार पर पक्षपात करने के थे उन पर जांच कराई गई थी । बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुये थे । जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

जिला मेरठ के ग्राम भुवा तथा बेला की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा

*३७—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या माल मन्त्री को ज्ञात है कि गंगा नदी की धारा के कटाव के कारण मेरठ जिले के ग्राम भुवा व बेला आदि की भूमि जिला बिजनौर के ग्राम जहानाबाद की ओर आ गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लगभग ५०० एकड़ भूमि पर बहुत से व्यक्तियों ने ७—८ वर्ष से नाजायज खेती कर रखी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां । गंगा नदी के रुख बदलने के फलस्वरूप जिला मेरठ के ग्राम भुवा व बेला की १,१०६ एकड़ जमीन नदी के दूसरी ओर चली गई है, और उसमें से ६५५ एकड़ भूमि पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है । यह कब्जा काश्तकारों के नाम अंकित भूमि पर है । अतः अनधिकृत काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्यवाही संबंधित काश्तकारों द्वारा की जा सकती है, शासन द्वारा नहीं ।

जिला गढ़वाल में गोणी जल विद्युत् योजना

*३८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में गोणी छोड़ा जल विद्युत् योजना के सर्वेक्षण पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गौणी छोड़ा जल विद्युत् योजना के सर्वेक्षण पर ७३० रु० (सात सौ तीस रु०) व्यय हुआ है ।

*३९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो इस योजना में किन-किन ग्रामों को बिजली मिलेगी और किन-किन ग्रामों को सिंचाई के लिये पानी मिलेगा ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

गौणी छोड़ा जल विद्युत् योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

जिला मेरठ के ग्रामों का विद्युतीकरण

*४०—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेरठ जिले के कौन से गांवों को बिजली देने के लिये निश्चय किया गया था ? उनमें से कितने गांव को बिजली ३१ मार्च, १९६९ तक दी गई और कौन-कौन से गांवों में बिजली नहीं दी जा सकी तथा इसका कारण क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसे गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिनकी जनसंख्या ५०० से अधिक थी तथा जिनके विद्युतीकरण के लिये ११ के० वी० की लाइन डेढ़ मील हर १,००० जनसंख्या से अधिक नहीं बनती थी। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये धन की उपलब्धतानुसार संपूर्ण मेरठ जनपद में मार्च, ३१, १९६९ तक ३९७ ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स लगाकर किया गया।

थाना महोली, जिला सीतापुर के दारोगा पर कालिका के कत्ल करने के आरोप की जांच

*४१–४२—श्री रामलाल राही—

क्या पुलिस मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना महोली, जिला सीतापुर की पुलिस ने महोली रेलवे स्टेशन के किसी कर्मचारी की सूचना पर रेलवे की हद में या लाइन के नजदीक कालिका नामक व्यक्ति की लाश दिनांक १८ अक्तूबर, १९६९ को बरामद किया था और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेजी थी ? यदि हां, तो मृतक के शरीर पर कितने व किस-किस की चोटें पाई गईं ?

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित मृतक की मां ने जांच के सिलसिले में थाना महोली पर यह आरोप लगाया है कि यह कत्ल स्वयं दरोगा जी ने किया है, या करवाया है, इस सिलसिले में प्रार्थना-पत्र भी अधिकारियों को दिये थे ? यदि हां, तो क्या जांच-पड़ताल की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक १८–१०–६९ को स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन, महोली द्वारा थाना महोली पर इस आशय की सूचना भेजी गई थी कि एक व्यक्ति कटना नदी के निकट रेलवे लाइन पर ट्रेन से दबकर मर गया जिस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जहां पर पूछ-तांछ से मृतक का नाम कालिका, पुत्र जालिम प्रसाद ज्ञात हुआ। पंचायतनामा कराने के बाद शव को उसी दिन पोस्टमार्टम परीक्षा के लिये रवाना किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर १४ चोटें पाई गईं जो फटे घाव व खराशें थीं। इस संबंध में मृतक की मां ने थाना महोली के दरोगा के विरुद्ध उसके लड़के की हत्या करा दिये जाने के बारे में शिकायती-पत्र दिया था जिसकी जांच पड़ताल कराई गई। जांच से आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई।

गैठी छेड़ा जल विद्युत् योजना के ट्रांसफार्मर का टूटना तथा इसे पुनः लगाना

*४३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गैठी छेड़ा जल विद्युत् योजना के लिये जो मशीन दिनांक १२ अप्रैल, १९७० को पहाड़ से गिरकर टूट गई है उसकी लागत क्या थी और उस मशीन की कितनी हानि हुई है तथा इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ट्रान्सफार्मर की लागत लगभग १२,००० रु० थी और इसकी मरम्मत कराने में करीब ३,००० रु० लग जायेगा। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

*४४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन की व्यवस्था कब तक हो जायगी और कैसे गौठी छेड़ा पहुंचाई जायगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

चूंकि यह ट्रान्सफार्मर अतिरिक्त में रखने की व्यवस्था के लिये था इसलिये इसी ट्रान्सफार्मर को स्थानीय मरम्मत करने के पश्चात् विद्युत-गृह पर लगा दिया जायेगा। दूसरे ट्रान्सफार्मर की अभी आवश्यकता नहीं है।

१६ अप्रैल, १९७० को एस० पी० की उपस्थिति में थाना कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में धारा ३९५ के अन्तर्गत लिखाई गयी रिपोर्ट

*४५—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६ अप्रैल, १९७० को दिन में ९ बजकर ३० मिनट पर जो एफ० आई० आर० थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में धारा ३९५ आई० पी०सी० दर्ज कराई गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, दिनांक १६-४-७० को थाना कुंडा पर धारा ३९५ भा० दं० वि० के अधीन एक रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। इस मामले में सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा जांच के पश्चात् फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

*४६—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि जिस समय यह रिपोर्ट लिखाई गई थाना कुंडा में ही हल्का सी० ओ० और एस० पी० दोनों मौजूद थे परन्तु कोई अधिकारी घटना-स्थल पर १५ मई, १९७० तक नहीं पहुंचा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह सही है कि जिस समय उक्त रिपोर्ट लिखी गई उस समय सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक थाना कुंडा में मौजूद थे। रिपोर्ट झूठी होने का आभास होने तथा अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण क्षेत्राधिकारी या पुलिस अधीक्षक कथित डकैती के घटनास्थल पर १३-५-७० के पूर्व नहीं गये। उप पुलिस अधीक्षक १३-५-७० को घटनास्थल पर गये थे।

जिला मेरठ के ब्लाक परीक्षतगढ़ में जंगली जानवरों द्वारा बच्चों की हत्या

*४७—श्री मंजूर अहमद तथा श्री श्यामलाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक परीक्षतगढ़ के जंगल में ऐसे खूंखार जानवर हैं जो रात में बच्चों को उठा कर खा जाते हैं? यदि हां, तो सरकार ने जानवरों को मारने या पकड़वाने के लिये कोई व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जी हां। ब्लाक परीक्षतगढ़ के जंगल में लकड़बग्घे और भेड़िये पाये जाते हैं जिनके द्वारा जन, १९७० तक ७ बच्चें उठाये जाने की सूचना मिली थी यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई लिखित रिपोर्ट थाने अथवा ब्लाक या वन विभाग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई।

इन जानवरों को मारने या पकड़ने के लिये इन्तजाम कर दिया गया है। लेखपालों द्वारा मुनादी करा दी गई है तथा लाइसेन्सदारों को भी आमंत्रित किया गय है कि इन जानवरों को मारने पर सरकार की ओर से इनाम दिया जायेगा। तब से और किसी दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा जनता भी इस सम्बन्ध में सतर्क व सचेष्ट है।

इटावा जिले के कस्बे भरथना से मुडेना तक बिजली का विस्तार

*४८--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिले के भरथना कस्बे में जो बिजली का सब-स्टेशन है उससे आगे मुडेना गांव तक लाइन को कब तक बढ़ाया जायगा ? क्या यह सही है कि इस लाइन के बीच में पड़ने वाले ग्राम खन्ता व काटमऊ के तमाम लोगों द्वारा एरियर तथा प्राथमिक फीस जमा की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस विद्युत् लाइन को न बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

इटावा जनपद के अन्तर्गत भरथना सब-स्टेशन से मुडेना गांव तक लाईन बढ़ाये जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । ग्राम सन्ता व काटमऊ के किसी भी व्यक्ति ने प्राथमिकता शुल्क नहीं जमा किया है ।

*४९--श्री रामदेव--

[द्वितीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ में निहित होने के कारण निरस्त]

अधीक्षण अभियन्ता क्रय एवं भण्डार राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शिकोहाबाद से जी० आई० पाइप की खरीद

*५०--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री रामदेव तथा श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा १९६४ ई० शिकोहाबाद की किसी फर्म से जी० आई० पाइप क्रय किया गया था ? यदि हां, तो उसकी कुल कीमत कितनी थी और वह पाइप १९६४ से १५ मई, १९७० तक वर्षवार कितनी और कहां लगाई गई और कितनी कीमत की पाइप अब भी विभाग में पड़ी है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

१९६४ में राज्य विद्युत परिषद् के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा वर्ष १९६४ में कोई जी० आई० पाइप क्रय नहीं किया गया था ।

वर्ष १९६४ में इंडियन जनरल इंडस्ट्रीज, शिकोहाबाद, से अधीक्षण अभियन्ता (क्रय एवं भण्डार) द्वारा जी० आई० पाइप क्रय किया गया था जिसकी कुल लागत १.७५ लाख रुपये थी । क्रय किये हुये पाइप को विभाग के विभिन्न कार्यों में समय-समय पर इस्तेमाल किया गया । निश्चित-रूप से यह बताना कठिन है कि वह पाइप १९६४ से १५-५-७० तक वर्षवार कितनी और कहां-कहां लगायी गयी । इस समय विभाग के भण्डार में १/२ इंच साइज की जी० आई० पाइप नहीं के बराबर है ।

ओबरा वाष्प विद्युत् योजना हेतु कपूर इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, बम्बई को मशीनों का ठेका देना

*५१--श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामदेव तथा श्री जयराम यादव--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् ने ओबरा मिर्जापुर की पांच मशीनें लगाने के लिये मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग बाम्बे को कांट्रैक्ट, जिसका टेंडर अधिक था, दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

ओबरा वाष्प विद्युत योजना की पांच मशीनों के निर्माण हेतु मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बम्बई को ठेका दिया था। परन्तु यह कथन सत्य नहीं है कि उनका टेन्डर अधिक था।

गांधी शताब्दी तथा १९७०-७१ में जिला चमोली में पेय जल सम्बन्धी योजनायें

*५२---श्री शेरसिंह दानू---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर जनपद चमोली के अन्तर्गत विभाग में कितनी पेयजल योजनायें तैयार कीं और कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर जनपद चमोली के लिये ४६ पेयजल योजनायें तैयार की गई जिनमें से ४४ पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

*५३---श्री शेरसिंह दानू---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९७०-७१ के लिये जनपद चमोली की कितनी और कौन-कौन सी पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

वर्ष १९७०-७१ में जनपद चमोली के लिये सलग्नक में उल्लिखित ८७ पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं। इन सब योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६०-४६१ पर)

थाना अमरोहा जिला मुरादाबाद में डकैती तथा चोरी की घटनायें

*५४---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मन्त्री बतालाने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९६९ से मई, १९७० तक थाना अमरोहा, जिला मुरादाबाद में कितनी गोली मारने, डकैती व चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुयीं और उनमें से कितने केसेज की फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, कितने में चार्जशीट लगाई गई ? क्या यह सही है कि दिनांक ८ अप्रैल, १९७० दिन के १० बजे मुहल्ला नट बाजार, अमरोहा, जिला मुरादाबाद में एक घर में घुसकर डकैतों ने औरतों को मारा-पीटा और लूट मचाई ? यदि हां, तो इस घटना में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

दिनांक १-१-६९ से ३१-५-७० तक थाना अमरोहा, जिला मुरादाबाद में गोली मारने डकैती तथा चोरी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

दिनांक ८-४-७० को श्री बृज किशोर निवासी मोहल्ला शाह अली सराय, थाना अमरोहा, मुरादाबाद ने थाना अमरोहा ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई के दिन के करीब १०-५० बजे कुछ व्यक्ति रिवाल्वर, चाकू से लैस होकर उसके घर में घुसे और प्रार्थी की स्त्री व लड़की को धमकाया और बांध दिया और समान लूट ले गये।

उक्त सूचना पर थाना अमरोहा पर एक मुकदमा धारा ३९२/३९८ भा०दं० वि० के अन्तर्गत कायम हुआ तथा उसी दिन जांच आरम्भ की गई जो अभी जारी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६२ पर)

मेंहदावल, जिला बस्ती में ताजिये का कर्बला तक न ले जाना

*५५—श्री लालसा प्रसाद (जिला बस्ती), श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री कृष्णकान्त—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेंहदावल कस्बा, जिला बस्ती में दिनांक २५ मई, १९७० तक ताजिया नहीं उठा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कारण बता सकती है कि ताजिया क्यों नहीं उठा ? तथा क्या उसको उठाने की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। ताजिया ले जाने के रास्ते में टेलीफोन के तार पड़ते थे जिनके कारण ताजियादारों ने स्वयं ताजिये रोक दिये। स्थानीय अधिकारियों ने तार कटवा दिये फिर भी ताजियादार ताजिये कर्बला न लेजाकर अपने घर वापस ले गये। उपरोक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा कोई अन्य व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला कानपुर के ग्राम मकरंदपुर निवासी, श्री जगन्नाथ प्रसाद पर आक्रमण तथा मृत्यु के पूर्व उनका बयान

*५६—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर), श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती), श्री रामलाल राही, श्री माखन लाल तथा श्री नारायणदास (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ प्रसाद, ग्राम मकरदपुर, पोस्ट सजेती, जिला कानपुर ३ मई, १९७० को ग्राम जलाला, मौली, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर कथित आतंकवादियों द्वारा जमुना नदी की गरम बालू में नंगे पैर दौड़ा कर लाठियों से बुरी तरह घायल किये गये थे जिसकी सूचना ३ मई, १९७० की रात को ही उनके लड़के शिवराम ने कोतवाली कानपुर में की थी ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरन्द्र वर्मा—

दिनांक ४-५-७० को थाना कोतवाली कानपुर पर वादी शिवराम प्रसाद निवासी ग्राम मकरंदपुर, थाना सजेती, जिला कानपुर ने इस आशय की सूचना दी कि उनके पिता, श्री जगन्नाथ प्रसाद को ग्राम जलाला, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में १७-१८ आदमियों ने मारा और उन्हें मारते-पीटते उसी थाने के अन्तर्गत मौली जमुना घाट तक ले गये और वहीं अधमरी हालत में छोड़ दिया और उनका सामान छीन ले गये। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर धारा १४७/१४८/३०७/३९५/३९७ ता० हि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की विवेचना थाना कुरारा की पुलिस द्वारा की गयी और १७ अभ्युक्तों के विरुद्ध चालान अदालत भेजा गया।

*५७—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री सोहन लाल धुसिया, श्री रामलाल राही, श्री माखन लाल तथा श्री नारायण दास—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद, उर्सला अस्पताल, कानपुर में दाखिल किये गये थे और उसी रात उनके स्वास्थ्य की दशा अधिक गिर जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा उनका बयान भी लिया गया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री प्रथम रिपोर्ट की सूचना तथा मजिस्ट्रेट द्वारा लिये गये बयान की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। प्रथम रिपोर्ट की सूचना तथा बयान नजायी की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६३-४६४ पर)

शाहजहांपुर, बदायूं तथा बरेली के देशी शराब के ठेकेदारों से बकाया की वसूली

*५८—श्री रामकुमार शास्त्री तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

प्रथम सत्र (१९७०) के ४थे सोमवार (४-५-७०) के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बिक्री-कर मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३ १/२ लाख रुपया बकाया है उसकी वसूली हेतु कितने ठेकेदारों की कुड़की की गई और कितने जेल भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

शाहजहांपुर, बदायूं तथा बरेली जिलों के देशी शराब के ठेकेदारों से बकाया की वसूली के प्रसंग में तीन बकायादारों की कुर्की हुई तथा ५ बकायादारों को हवालात में बंद किया गया। अन्य बकायादारों से वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उत्पीड़क कार्यवाही की जायेगी।

बिक्री-कर आयुक्त द्वारा बिक्री-कर कार्यालय, गोरखपुर को भेजे गये प्रार्थना-पत्र तथा अनुसूचित जातियों की नियुक्ति

*५९—श्री राम जियावन (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या बिक्री-कर मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के बिक्री-कर विभाग के कार्यालय में जनवरी, १९७० से मई, १९७० तक कितने लोगों को कर्णिक पद पर रक्खा गया है ? इनमें से कितने परिगणित एवं पिछड़ी जाति के हैं ? तथा कितने पहले से टंकण कार्य जानते थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

माह जनवरी, १९७० से मई, १९७० तक जनपद गोरखपुर के बिक्री-कर कार्यालय में किसी नैत्यक लिपिक एवं टंककों की नियुक्ति नहीं हुई हैं।

*६०—श्री राम जियावन तथा श्री शफीक अहमद खां—

क्या मन्त्री इस सम्बन्ध में यह भी जांच कर बतायेंगे कि कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र उचित कार्यवाही हेतु बिक्री-कर विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधिकारी द्वारा भेजे गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्री-कर गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर के कार्यालय की स्थापना १७-९-६९ को होने के पश्चात् कुल १० प्रार्थना-पत्र बिक्री-कर विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त द्वारा उचित कार्यवाही हेतु भेजे गये थे जिनमें से तीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति देवरिया, बहराइच तथा गोण्डा के मण्डल कार्यालयों में की गई। इन तीन अभ्यर्थियों में दो अभ्यर्थी छटनी शुदा कर्मचारी तथा एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है।

जिला बलिया के परगनाधिकारी बांसडीह द्वारा की गई गांव सभा की भूमि सम्बन्धी एकतरफा डिग्रियां

*६१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिलान्तर्गत बांसडीह परगनाधिकारी के न्यायालय द्वारा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट, सन् १९५१ की धाराओं के अन्तर्गत सन्

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

१९६२ लगायत १९६७ तक किन-किन मुकदमों में कितनी-कितनी गांव सभा की भूमि पर एकतरफा डिग्रियां कब-कब की गई हैं और इन एकतरफा डिग्रियों को निरस्त कराने के लिये किन-किन मकदमों में ३१ मार्च, १९७० तक गांव सभा या राज्य सरकार द्वारा तजबिसानियां हो चुकी हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

बलिया जिले में परगनाधिकारी बांसडीह के न्यायालय से गांव सभा की भूमि पर उल्लिखित अवधि में कथित अधिनियमों के अन्तर्गत ४३ मुकदमों में विभिन्न तिथियों को एकतरफा डिग्रियां हुई जिनमें से १५ डिग्रियों के निरस्तीकरण हेतु ३१ मार्च, १९७० तक कार्यवाही की जा चुकी है। उपरोक्त मुकदमों से संबंधित अन्य विवरण के लिये सदस्य महोदय मेरे कार्यालय में उपलब्ध सूची जोकि काफी विस्तृत होने के कारण संलग्न नहीं की जा सकी, का अवलोकन कर सकते हैं।

जिला फतेहपुर में चकबन्दी हुए क्षेत्रों की पुनः चकबन्दी कराना तथा कुछ क्षेत्रों की चकबन्दी को स्थगित करना

*६२—श्री जयनारायन सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद, में नवम्बर, सन् १९६९ में इस जनपद के उस क्षेत्र में जहां चकबन्दी हो चुकी है, जिला अधिकारी ने दोबारा चकबन्दी कराने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जनपद में दोबारा चकबन्दी कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जिलाधिकारी, फतेहपुर ने तहसील फतेहपुर के ५६३ ग्रामों में पुनः चकबन्दी कराने की सिफारिश की ह जहां चकबन्दी हो चुकी है। अभी प्रदेश के सब चकबन्दी योग्य क्षेत्रों में चकबन्दी समाप्त नहीं हुई है। और उसके पूर्व किसी क्षेत्र में दुबारा चकबन्दी कराने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

*६३—श्री जयनारायन सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के उन ३४५ ग्रामों में जहां चकबन्दी रामगंगा परियोजना के कारण रोक दी गई थी, शीघ्र चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

रामगंगा परियोजना के कारण वंचित ग्रामों में सन् १९७२ से पूर्व चकबन्दी कराना सम्भव न होगा क्योंकि सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार नहरों व रजबहों का निर्माण उक्त समय तक ही पूर्ण हो सकेगा।

जिला फर्रुखाबाद में नायब तहसीलदार सदर के विरुद्ध आरोप

*६४—श्री मरहम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० तक फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के कुछ नायब तहसीलदारों की राज्य सरकार के पास जनता की लिखित शिकायतें भेजी गयीं, जिनमें बाढ़-पीड़ितों को सरकारी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ी की बात है ? यदि हां, तो किन-किन नायब तहसीलदारों की क्या-क्या शिकायतें राज्य सरकार तथा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुई थीं ? उनकी

जांच किस-किस अधिकारी के द्वारा कराई गई और जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां। एक शिकायती-पत्र शासन में प्राप्त हुआ था जिसमें श्री मकबूल अहमद खां, नायब तहसीलदार, सदर तहसील, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बाढ़-पीड़ितों को चना ठीक से नहीं बांटा और सरकारी अनुदान की राशि बांट कर स्वयं खा गये। जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ने इस सम्बन्ध में जांच कराई। आरोप नि राधार पाये गये। अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

जिला आजमगढ़ के ग्राम अमुवारी-नरायनपुर, तप्पा बेलारी की भूमि प्रबन्ध समिति की जमीन पर अवैध कब्जा

*६५—श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अंमुवारी-नरायनपुर, तप्पा बेलारी, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में आ० नं० १९३०/१८-रकबा ४-२१५ की जो भूमि प्रबन्ध समिति की सम्पत्ति है पर किन्हीं लोगों ने अवैधानिक कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो कब्जा करने वाले कौन लोग हैं ? क्या सरकार नाजायज कब्जा हटवाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

ग्राम अंमुवारी–नरायनपुर, तप्पा बिलारी, परगना, व तहसील सगड़ी में स्थित है। तप्पा बिलारी में नदी है। उक्त ग्राम में आराजी नम्बर १९३०/१८–रकबा ४–२१५ को मौके पर सर्वश्री देवनाथ, रमाशंकर, पुत्रगण सौदागर व सन्त सेवक व विन्ध्याचल ने मेड़ बनाकर घेर लिया है। परन्तु यह नम्बर मौका पर मजरूआ नहीं है। खतौनी वर्ष १३७५–७७ फसली में उक्त भूमि श्री देवता आदि के नाम भूमिधरी के रूप में अंकित है। यह उल्लेख पुराने अभिलेखों के देखने पर गलत मालूम हुआ है और उसको शुद्ध करने के उपरान्त उन व्यक्तियों के कब्जे हटाने की वैधानिक कार्यवाही न्यायालय में चल रही है।

वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में चकबन्दी कार्य की प्रगति

*६६—श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला वाराणसी की तहसील, ज्ञानपुर में चकबन्दी का कार्य अब तक किस स्तर पर है ? और क्या पैमाइश के सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हो गया ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र हैं जो विचाराधीन हैं और कितने समय से ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जिला वाराणसी की तहसील, ज्ञानपुर में १,०२१ ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत थे जिनमें से १,०१९ ग्रामों में चकों के पुष्टीकरण तथा कब्जा बदलने का कार्य पूरा हो चुका है। केवल दो ग्रामों में अभी चक बनाना बाकी है। पुष्टीकृत १,०१९ ग्रामों में से ८८८ ग्रामों के अन्तिम अभि लेख तैयार किये जा चुके हैं जिनमें से ५६५ ग्राम धारा ५२ के अन्तर्गत भी प्रख्यापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार अभी १३३ ग्रामों के अन्तिम अभिलेखों की तैयारी तथा ४५६ ग्रामों की धारा ५२ में प्रख्यापन का कार्य अवशेष है। जिसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

पैमाइश के सभी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण अभी नहीं हो सका है। पैमाइश संबंधी १५ सितम्बर, १९७० तक केवल ३,८९३ प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु अवशेष थे जिनमें से ६०२ प्रार्थना-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे शेष ३,५१६ प्रार्थना-पत्र एक वर्ष के भीतर के।

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में कागजात दुरुस्ती अभियान तथा अतिरिक्त परगनाधिकारी की नियुक्ति

*६७—श्री कृष्णकान्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में सन् १९६८–६९ में परगनाधिकारी, बिसवां ने कागजात दुरुस्ती का जो अभियान चलाया था उसमें बहुत से गलत आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर इस इस प्रकार आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में सन् १९६८–६९ में परगनाधिकारी, बिसवां ने कागजात दुरुस्ती का कोई अभियान नहीं चलाया। अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

*६८—श्री कृष्णकान्त—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के परगना कोडरी तथा तम्बौर में लैन्ड रेवेन्यू रिकार्ड की दुरुस्तगी हेतु कोई अतिरिक्त परगनाधिकारी की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी नहीं। ऐसी किसी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

सीतापुर जिले के परगना कोडरी उत्तरी में चकबन्दी कार्य तथा कुछ लोगों द्वारा भूमि पर कब्जा

*६९—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के परगना, कोडरी उत्तरी, तहसील सिधौली में चकबन्दी करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी नहीं।

*७०—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि सीतापुर जनपद की तहसील सिधौली के परगना कोडरी उत्तरी में अन्य जिलों के लोग जबरदस्ती भूमि पर कब्जा किये हुये हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी नहीं, प्राप्त सूचना के अनुसार इस जिले में अन्य जिले के लोगों ने जबरदस्ती भूमि पर कब्जा नहीं किया है।

जिला बिजनौर के परगना अफजलगढ़ तथा बढ़ापुर में अनधिकृत काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने सम्बन्धी कार्यवाही

*७१—श्री सत्तार अहमद (जिला बिजनौर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना अफजलगढ़ व बढ़ापुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर में पहाड़ के तराई के इलाके में जो बंजर आराजी और साथ में वन की आराजी पर नाजायज कब्जा है ? उसको खाली करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

परगना अफजलगढ़ के उपनिवेश क्षेत्र में अनधिकृत काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-ग्रहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० द्वारा संशोधित किया गया है, के अन्तर्गत की जा रही है।

बढ़ापुर परगने की वन विभाग की भूमि पर से अनधिकृत कब्जा हटाया जा चुका है।

फतेहपुर के ग्राम चिरली की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा नया रास्ता बनाने हेतु पास किया गया प्रस्ताव

*७२—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर, तहसील बिन्दकी, परगना कोड़ा, ग्राम चिरली की ग्राम सभा भूमि प्रबन्धक समिति एवं काश्तकारों ने गांव की समस्या हल करने हेतु चक रोड रास्ता, नाली बनाने हेतु अपनी सहमति हलफनामा, सहित दिसम्बर, १९६९ को उचित कार्यवाही हेतु सरकार को दिया था ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

ऐसा कोई हलफनामा सरकार को नहीं दिया गया था। बल्कि गांव चिरली के कुछ काश्तकारों की भूमि में से होकर एक नया रास्ता खुलवाने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था जिससे कि रास्ते में प्रयोग होने वाली काश्तकारों की जमीन के बदले उन्हें गांव सभा की भूमि दी जा सकें। परन्तु इस पर प्रधान एवं काश्तकारों ने अमल नहीं किया।

चकबन्दी अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट तथा पदोन्नति

*७३—श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में चकबन्दी अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट उनकी सेवाओं की अवधि के आधार पर बनी है तथा उसको सरकार ने प्रकाशित कराया है ? यदि प्रकाशित नहीं की जा सकी है, तो वह कब तक प्रकाशित क राई जायेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

चकबन्दी अधिकारियों तथा समकक्ष पदों की ग्रेडेशन लिस्ट उनकी सेवाओं के आधार पर बनाई गयी है जिन्हें आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रकाशित कर दी गयी है।

*७४--श्री मोतीलाल यादव--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कितने चकबन्दी अधिकारियों को प्रोमोशन देकर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी बनाया गया है ? क्या प्रमोटेड सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों, चकबन्दी अधिकारियों की बनी सीनियार्टी तथा जूनियार्टी लिस्ट के आधार पर प्रमोशन दिया गया है ? यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो कितने सीनियर चकबन्दी अधिकारियों को प्रोमोटेड नहीं किया गया है तथा उसका क्या कारण है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

पिछले तीन वर्षों में चकबन्दी अधिकारियों का समकक्ष पदों से पदोन्नति द्वारा १२ सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। "ज्येष्ठता के आधार पर सुयोग्यता" के प्रचलित नियम के अनुसार वह पदोन्नति दी गयी । इसके अनुसार १५ चकबन्दी अधिकारी या समकक्ष पदों के अधिकारी जो पदोन्नति के योग्य नहीं पाये गये, उन्हें अवक्रमित किया गया ।

*७५-७५ (क)--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*७६-७७--श्री रामधारी शास्त्री--

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*७८--श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जमनाबाद फार्म तथा पिपरा फार्म की सीलिंग द्वारा घोषित अतिरिक्त भूमि को पट्टे पर देना

*७९--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुनाबाद फार्म और पिपरा फार्म, जिला खीरी-लखीमपुर में सीलिंग से क्रमशः ढाई हजार एकड़ भूमि निकाली गई थी और जिनकी जमीन निकाली गई उन्हीं को तथा उनके सम्बन्धियों को पट्टे दे दिये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

लखीमपुर-खीरी जिले में हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला के जमनाबाद फार्म एवं अवध शुगर मिल, हरगांव, जिला सीतापुर के पिपरा फार्म की क्रमशः २,५५५.४६ एकड़ एवं ३,४५२.२७ एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित हुई । जमनाबाद फार्म की सारी भूमि के पट्टे मिल के पक्ष में ५ वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी रूप से कर दिये गये थे । उक्त पट्टे की मियाद ३०-६-७० को समाप्त हो गई है और भूमि को कृषि विभाग को अनुसंधानशाला एवं बीज विकास के हेतु दिये जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । पिपरा फार्म की भूमि के सम्बन्ध में मिल वालों ने जिला जज, सीतापुर के यहां अपील दायर की थी । मामला हाल ही में रिमांड होकर प्रिस्क्राइब्ड अथारिटी के पास आया है और विचाराधीन है ।

सीतापुर जिले के ग्राम गुजरा में चकबन्दी कार्य का स्थगित होना

*८०--श्री कृष्णकान्त--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर के ग्राम गुजरा में सन् १९६० से चकबन्दी कार्य आरम्भ हुआ था ? उसके अब तक पूर्ण न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी हां, सन् १९६० में कार्य आरम्भ हुआ था। कार्य पूर्ण इस कारण न हो पाया कि पहले उच्च न्यायालय में की गयी कार्यवाही रद्द करके विनिमय अनुपात के स्तर से फिर से करने का आदेश दिया। एक दूसरे रिट पिटीशन में स्थगन आदेश के कारण भी कार्य स्थगित करना पड़ा।

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें तथा उनका निलम्बन

*८१--श्री कृष्ण कान्त--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में सन् १९६९-७० में कितने लेखपाल निलम्बित तथा स्थानान्तरित किये गये, उनके विरुद्ध क्या शिकायतें थीं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां में सन् १९६९-७० (१-४-६९ से ३१-३-७०) तक १५ लेखपाल निलम्बित किये गये हैं। इनके विरुद्ध कार्य में शिथिलता, उदासीनता एवं गलत इन्द्राज के आरोप थे। इसी अवधि में इस तहसील के ४९ लेखपालों का स्थानान्तरण किया गया, जिसमें २० लेखपालों का स्थानान्तरण एक क्षेत्र पर ५ वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर तथा २९ लेखपालों का प्रशासनिक आधार पर किया गया। इन २९ में से कुछ के खिलाफ कार्य खराब, लापरवाही आदि की शिकायतें थीं और कुल किसी क्षेत्र के लिये उपयुक्त या अनुपयुक्त होने के कारण स्थानान्तरित किये गये।

*८२--श्री कल्पनाथ सिंह--

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

चकबन्दी अधिकारियों को लोक-सेवा आयोग से अप्रूव कराना तथा उनकी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति करना

*८३--श्री मोतीलाल यादव--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रूव करने से बचे हुये चकबन्दी अधिकारियों को शीघ्र अप्रूव कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक शेष अनअप्रूव्ड चकबन्दी अधिकारियों को अप्रूव कराया जायगा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

चकबन्दी विभाग में काम करने वाले सभी चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति को अप्रूव करने के प्रस्ताव लोक-सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं।

*८४--श्री मोतीलाल यादव--

क्या सरकार को यह भी पता है कि संविद सरकार ने चकबन्दी विभाग के सीनियर चकबन्दी अधिकारियों को ही प्रमोट कर के बन्दोबस्त अधिकारी बनाने का निश्चय किया ? यदि हां, तो उस नीति को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—
[दो मंत्रियों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद की तहसील सोरांव की कछारी भूमि का भूमिहीन हरिजनों में वितरण

२—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव कछारी में कितनी भूमि ग्राम समाज सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित है ? क्या उस भूमि को भूमिहीन हरिजनों में शीघ्र वितरित किया जायगा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

तहसील सोरांव में कछारी क्षेत्र के गांवों के गांव सभा सम्पत्ति रजिस्टरों में अंकित भूमि ४,४३६ एकड़ है। जिसमें सुरक्षित आदि भूमि को निकाल कर खाली भूमि को हरिजनों तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों में शीघ्र वितरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला देवरिया में फर्जी बैनामे

३—श्री रामपति (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में जनवरी, १९६७ से फरवरी, १९७० तक कुल कितने फर्जी बैनामें होने की सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुई है तथा उनमें से कितने बैनामों के मुकदमे कायम करके पुलिस द्वारा जांच की गई है तथा कितने शेष हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

उल्लिखित अवधि में कुल ८ फर्जी बैनामों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से १ मुकदमे में प्रमाण के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई व एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है। शेष ६ मुकदमे विवेचनाधीन हैं।

देवरिया जिले की सिंचाई हेतु बिजली का बजट तथा बिजली लेने हेतु प्रार्थना-पत्र

४—श्री रामपूजन पटेल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद में वर्ष १९६८–६९ और १९६९–७० में सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये कितना बजट था और उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

देवरिया जनपद में सिंचाई के लिये बिजली देने हेतु वर्ष १९६८–६९ में १७ लाख रुपया व वर्ष १९६९–७० में १५ लाख रुपये का बजट था। इन वर्षों में क्रमशः रु० ३९,१३,५७७.०३ व रु०२०,८१,०७१.०१ उक्त कार्य में व्यय किया गया।

५—श्री राम पूजन पटेल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६८–६९ और १९६९–७० में देवरिया जनपद में कितने लोगों ने सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के लिये दरख्वास्तें दीं और उक्त वर्षों में कितने को कनेक्शन मिला ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

देवरिया जनपद में वर्ष १९६८-६९ में ७३० व १९६९-७० में ८०१ उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र दिये। इन वर्षों में क्रमशः ४९५ व ५४० उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन दिया गया।

जिला चमोली में विना बिजली वाले विकास क्षेत्र तथा विद्युतीकरण की व्यवस्था

६---श्री शेर सिंह दानू---

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे विकास क्षेत्र हैं जहां अभी तक एक भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जिला चमोली में अभी तीन विकास क्षेत्र (नारायनगढ़, थराली तथा गेरसेन) ऐसे हैं जहां किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

७---श्री शेर सिंह दानू---

क्या बिजली मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०-७१ के अन्दर चमोली के किन-किन गांवों को बिजली देने का प्राविधान है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

सूचना संलग्न व्योरे में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

जिला झांसी में ग्रामों का विद्युतीकरण तथा सुखवां-ढुकवां बांध जल विद्युत योजना

८---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कितने ग्रामों का तथा वर्ष १९७०-७१ में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में झांसी जनपद के ७१ ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। वर्ष १९७०-७१ में १७ ग्रामों का चयन विद्युतीकरण हेतु किया गया है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

९---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में निर्मित सुखवां-ढुकुवां बांध जल विद्युत् योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

जिला झांसी में सुखवां टुकवां बांध जल विद्युत् योजना पूर्ण करने की कोई योजना नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री महमूद बट इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासक थे जिनके आतंक से इलाहाबाद के लोगों को बड़ी परेशानी रही है। उन्होंने बी० के० डी० के कार्यकर्ता को गोली से मरवा दिया तथा संगम पर मल्लाहों के ऊपर गोली चलवा कर....

श्री अध्यक्ष—

आपने मुझे लिख कर दिया है।

श्री राजितराम पांडेय—

श्रीमन्, आप पहले मुझे सुन लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आपने शिकायत लिखित दी है।

श्री राजितराम पांडेय—

उनके ऊपर ३०७ व ३०२ का मुकदमा कायम हुआ जिसकी इंक्वायरी जिलाधीश, माननीय चतुर्वेदी जी ने की। लेकिन बट साहब ने सरकार के ऊपर जोर डालकर उनका स्थानान्तरण करा दिया है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह शाम को होगा। (व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय—

उस समय कुम्भ का मेला लगा हुआ था और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ६ महीने तक कुछ न किया जाय। (व्यवधान) बट साहब इस कत्ल के मामले को छिपाना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होगा और मामले को दबाया जायेगा तो कैसे जनता को न्याय मिल सकेगा? मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यह हाई कोर्ट के जज ने लिखा कि जब तक कुम्भ का मेला चल रहा है तब तक कुछ न किया जाय। अगर ऐसा किया गया तो मेले में अनुभवहीनता के कारण कुछ दुर्घटना हो सकती है जैसा कि पिछले कुम्भ में हुआ था। और जो बट के ऊपर मुकदमा चल रहा है, वह भी चतुर्वेदी के हटने से ऐसा जाहिर होता है कि सरकार दबाना चाहती है और अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जाय ६ महीने तक। (व्यवधान) अब भी कुम्भ का मेला लगने जा रहा है। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री के निजी सचिव, श्री यशपाल कपूर द्वारा सदस्यों पर कथित दल बदलने के लिये दबाव डालने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रस्तुत करूं। श्रीमन्, यह तो सही है कि आप माननीय राजितराम जी की बात पर ध्यान देंगे। मेरा प्रश्न यह है कि

यहां पर प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव, श्री यशपाल कपूर बलरामपुर अस्पताल में बीमारी के कारण हैं। यह नहीं मालूम कि दिल्ली में न हो कर यहां वे क्यों हैं? [× × × ×] (व्यवधान) मैं तथ्य बयान कर रहा हूं। माननीय सदस्यों के कार्य करने की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। हमारे माननीय शचीन्द्रनाथ जी बख्शी अस्पताल में थे। (व्यवधान) इन्दिरा गांधी के नाम से क्यों नाराज होते हैं? श्रीमन्, जब तक ये नाराज होते रहेंगे तब तक मैं खड़ा रहूंगा.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं श्रीमन्, अपनी बात तो कह लूं। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं तो मैं अपनी व्यवस्था की बात कह लूं। मैं तो समझता था कि माननीय सदस्य, नैनीताल, पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के बड़े माहिर हैं लेकिन व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या हमारे माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य हैं उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है? [× × × ×] यह बड़े संकट की बात है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कृपया श्री बख्शी जी को जरूर सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आपने एक शिकायत भेजी थी और उसमें आपने यह बात कही थी कि विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। मैंने कहा कि आप शिकायत करते हैं और बख्शी जी की कुछ लिखित शिकायत नहीं है, यह तो बख्शी जी को लिखना चाहिये। आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं है जबकि बख्शी जी मौजूद हैं। जो कुछ भी आपको भेजना है लिख कर हमारे पास भेजिये। व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने भेजा। मैंने कहा कि आपको लिखित भेजना चाहिये और बख्शी जी को भेजना चाहिये। लेकिन आप खुद खड़े हो गये। यह अव्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं।

दूसरी चीज यह है कि किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में जो यहां मौजूद नहीं है इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न उठा देना यह भी अव्यवस्था है। बख्शी जी लिख कर दें कि उनके ऊपर क्या दबाव डाला गया। मैंने पूछा आपसे कि वह यह भी बतायें कि उनके ऊपर दबाव किस तरह का डाला गया क्योंकि सवाल यह है कि यहां के कार्य में बाधा पड़ती है ऐसा कोई दबाव डालने की अगर बात होती है तो विशेषाधिकार का प्रश्न होता है लेकिन अगर बातचीत करते-करते आपसे कोई कह दे कि आप क्रान्ति दल में शामिल हो जाइये और आप परवाह नहीं करते तो वह दूसरी बात हो जाती है। दबाव को भी निश्चित बताना पड़ेगा कि किस तरह का दबाव डाला गया। तो लिखित आप दें नहीं तो यहां पर खड़े होकर सदन का समय नहीं लेना चाहिये।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, बख्शी जी यहां पर बैठे हैं।

[× × × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

मैं नित्यानन्द स्वामी को सपोर्ट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, श्री यशपाल कपूर के पास बख्शी जी स्वयं गये थे और उनसे कहा था कि हमें मिनिस्टर बना दो, हम आपकी पार्टी में आ जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मिनिस्टर बनने वाले नहीं चाहिये।

(घोर व्यवधान)

(बहुत से सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे।)

श्री नित्यानप्द स्वामी—

अभी यहां पर श्री कन्हैयालाल सोनकर ने जो गलत बयानी की है उनके विरुद्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की नोटिस आपको देता हूं।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

मुझे भी एक मिनट बोलने का अवसर दिया जाय क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आपके ऊपर आक्षेप हुआ है तो आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति का जिक्र यहां पर नहीं कर सकते।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मैं भी बोलना चाहता हूं, मुझे भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने की आज्ञा दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि अभी उन्होंने बख्शी जी के ऊपर आक्षेप किया है उसका स्पष्टीकरण करने के लिये मैंने उनको इजाजत दी है लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति की चर्चा इसमें नहीं होगी।

श्री रामलाल राही—

मुझे बोलने की इजाजत दी जाय। मैं भी खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी सोनकर जी ने बीच में एक बात कही। उन्होंने बख्शी जी पर आक्षेप किया तो उसी के स्पष्टीकरण के लिये उनको इजाजत दी है।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी:—

मान्यवर, महोदय, आपकी आज्ञा से जितनी बातें यहां पर मेरे सम्बन्ध में कही गई है उनको ही बतलाऊंगा। मैं इधर एक महीने से अस्पताल में भर्ती था। बलरामपुर अस्पताल में मैं लगातार ३० दिन तक भर्ती था। रविवार को ही वहां से डिस्चार्ज होकर आया हूं। इसी दौरान तीन सप्ताह के पहले जिनका अभी नाम लिया गया है, मुझे मालूम नहीं वह इन्दिरा जी के कौन हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या और कोई, वह आकर भर्ती हो गये। वह ८ नम्बर में थे और मैं ६ नम्बर में था। उनके पास से लगातार आदमी मेरे पास आते रहे। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं चलने-फिरने के लायक नहीं था। खून के दस्त हो रहे थे या डाक्टरी रिपोर्ट थी। मान्यवर, वह कौन हैं यह मुझे मालूम नहीं लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहां की हालत देखकर जेलखाने की ही याद आती है। वह ब्रिटिश जमाने की जल थी। वह दिल्ली की नामर्द सरकार के जमाने की जेल नहीं थी। वह अंग्रेजी सरकार का जमाना रहा। वह हमारे हेल्थ मिनिस्टर वहां अस्पताल में कई दिन से हैं लेकिन उनके लिये टेलीफोन उनके कमरे में नहीं लगा लेकिन वे सेक्रेटरी साहब जैसे ही वहां अस्पताल में आये तो उनके कमरे के अन्दर १५ मिनट के अन्दर ही टेलीफोन लगाया गया। वे सेक्रेटरी हैं तो १५ मिनट के अन्दर ही टेलीफोन लगा दिया गया। मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है तो बताया गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट लगा रही है। [× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित दे दीजिए। अब आप बैठिये.....

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी—

मुझे बीमारी की हालत में परेशान कर दिया। मैं गोली चलाने वाला आदमी हूं, मैं मरने-मारने में स्पेशलाइज करता हूं। मेरे बराबर विरोधी दल में कोई जेल नहीं गया और मेरे माफिक आदमी को पैसे का लालच दिया जाता है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें कृपा करके।

श्री मोहन लाल कपूर—

मैं यशपाल कपूर जिन्होंने बख्शी जी को दबाव दिया है, के विरुद्ध प्रिविलेज का नोटिस देता हूं। (व्यवधान) इन्द्रा जी असेम्बली को बन्द करना चाहती हैं, यह उनकी स्कीम है और कुछ नहीं.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बड़े ही दुख के साथ आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि ये वयोवृद्ध क्रान्तिकारी सदस्य, वाराणसी उन दिनों बीमार थे और बहुत दिनों से बलरामपुर अस्पताल में थ। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनसे कुशल-प्रश्न करने का। वह स्वस्थ हुए और आज सदन में उस्थित हैं, यह हर्ष का विषय है। लेकिन श्रीमन्, जिस भावना से प्रेरित होकर हमारे इन सम्मानित सदस्य ने आज एक बाहरी व्यक्ति पर जो आरोप लगाये हैं वह किसी प्रकार

[× × × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

भी उनकी व्यक्तिगत गरिमा और उनकी प्रतिभा के अनुकूल नहीं है, यह नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूं। श्रीमन्, कौन नहीं जानता, जिसने समाचार-पत्र पढ़े होंगे या जो बलरामपुर अस्पताल गये होंगे कि यशपाल कपूर कैसे सख्त बीमार हुए, रायबरेली से बेहोशी की अवस्था में बलरामपुर लाये गये ? कौन नहीं जानता, अगर मेरी सूचना सही है, इस प्रदेश के कई मंत्री उनको देखने के लिये गये (व्यवधान)। यह कहा गया कि बहाना बना कर पड़े थे और रेकार्ड में वह बात आ गयी कि प्रधान मन्त्री ने गलत दबाव डलवाया है, यह रेकार्ड ठीक होना चाहिये।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

मेरी जानकारी है कि वह बिलकुल स्वस्थ हैं, मुझ से ज्यादा स्वस्थ ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अस्पताल के रेकार्ड मंगा कर देखें। उनको हैब्लोग्लोबिल ऐनिमिया की बीमारी हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष—

यह सब काट दिया जायगा, जो बातचीत अभी हुई है। जो चीज उन्होंने कही है वह सब काट दी जायगी, जो उनके सम्बन्ध में कहा है वह नहीं आयेगा। केवल जब वह लिख कर देंगे और उस पर मैं इजाजत दूंगा तभी यह बहस हो सकती है। इस तरह से अव्यवस्था के प्रश्न पर बहस नहीं चलने दी जा सकती है। अब इसको यहीं खत्म किया जाय।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए कहा गया है और यह सब गलत कहा गया है। आज यह प्रदेश और सारा देश प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की प्रगतिशील नीतियों के साथ है।

(व्यवधान)

(आवाजें—नहीं—नहीं।)

श्री अध्यक्ष—

अब श्री त्रिवेणी सहाय, सदस्य विधान सभा याचिका उपस्थित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तिवारी जी से कह दीजिये कि सन् १९७२ तक अभी इंतजार करें।

(बहुत से सदस्यों ने एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा)

श्री अध्यक्ष---

आप सब अब कृपा करके बैठें, अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

आपने मुझे अपनी बात कहने के लिये इजाजत दी है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

(श्री हर नरायन के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब आप कंट्रोल कीजिये, इस तरह से बिना मेरी अनुमति के बीच-बीच में बोलते हैं, यह चीज गलत है, मैं नेता विरोधी दल से भी कहूंगा कि आगे की कार्यवाही चलने दें और अपने लोगों को रोकें। यह नई-नई बात निकालते हैं, यह सब अव्यवस्था की बात है, मैं इस सबकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो मैं सदन को १५ मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बज कर २८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बज कर ४३ मिनट पर सदन की कार्यवाही, श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ के संबंध में याचिका

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने गलत बयानी की है उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप याचिका उपस्थित कीजिये।

श्री त्रिवेणी सहाय---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका, अधिनियम, १९५९ तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ में संशोधनों की प्रार्थना से सम्बन्धित श्री रामसुन्दर शास्त्री, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या याचिका भी पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

यह याचिका, याचिका समिति के पास चली जायेगी। इस पर वहीं डिस्कशन होगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार के जो प्रश्न आये हैं वे मैंने देखे नहीं हैं क्योंकि आज कार्य-मंत्रणा समिति थी उसी का कार्य अखिरी समय तक चलता रहा। इनको कल करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक १० दिसम्बर, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :---

१---उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स एन्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० पर एक घंटा, इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर एक घंटा तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० के लिये आज सायंकाल ४ बजे तक का समय दिया जाय।

२---उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०, तथा विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०, १४ दिसम्बर, १९७० की बैठक में लिये जायं और उन पर विचार तथा पारण के प्रस्तावों पर क्रमशः डेढ़ घंटे, दो घंटे और आध घंटे का समय रखा जाय।

इसके अतिरिक्त इसी दिनांक को इन तीनों विधेयकों के पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव और उस प्रदेश में कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी असोसिएशन की प्रान्तीय शाखा की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प भी लिया जाय। इस पर कोई बहस नहीं होगी।

३---भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव १५ दिसम्बर, १९७० को रक्खे जायं।

४---दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० को विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर विवाद के उपरान्त सायंकाल पांच बजे चीनी मिल के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विवाद होगा।

ये प्रस्ताव हैं।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार करता है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

कल सवा ६ एकड़ लगान माफी वाले प्रस्ताव के बारे में आश्वासन दिया गया था मगर वह इस कार्यक्रम में कहीं नहीं दिखाई देता।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

१५ तारीख को ४ बजे तक इसे पारित करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

उस रोज हमारे कई भाई विरोध पक्ष के कार्य-मंत्रणा समिति में नहीं आ पाये इसलिये कल की कार्यसूची में सारे विषय रख दिये गये थे। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह सब तय हुआ है। कुछ मतभेद हुआ मगर बाद में यह प्रोग्राम तय हुआ जो आपके सामने रखा गया है। उसके बारे में यह तय हुआ है कि बजट के पहले उसे हो जाना चाहिये। तो उसके लिये १५ तारीख निश्चित की गयी है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

कार्य मंत्रणा समिति में एक बात हमारी तरफ से और उठाई गयी थी और वह थी विश्व-विद्यालय अध्यादेश के अननुमोदन की। नियमानुसार ३ दिन के अन्दर वह आना चाहिये। ३ दिन की छुट्टी है, अतः सोमवार को उसे भी आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अध्यादेश तो बहुत से हैं, उस पर भी अननुमोदन के प्रस्ताव हैं। ३ दिन तो सभी के खत्म हो जायेंगे। तीन दिन के बाद सभी आयेंगे। उनके लिये मैं तारीख निश्चित कर दूंगा। बाकी कोई नहीं रहेगा। अब जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है उसे तो स्वीकार कर ही लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में अभी रखा गया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व कृत हुआ)

इसका मतलब यह हुआ कि दो बजे तक इंटरटेनमेंट वाला विधेयक चलेगा, उसके बाद एक घंटा स्टैम्प वाला, फिर ४ बजे तक तीसरा चलेगा। इसके बाद साढ़े ४ तक नियम ५१ वगैरह की सूचनाओं को मैं लूंगा और एक वक्तव्य भी आज होना है। उसके बाद साढ़े ४ बजे से दो घंटे तक उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी जो गिरफ्तारी आदि के बारे में है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वाले विधेयक के लिए दो घंटे का समय स्वीकृत हुआ था . . .

श्री अध्यक्ष—

जितना समय है उस हिसाब से आप समय लगा लीजिये। ४ बजे तक तीनों विधेयक खत्म होने हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसके लिए दो घंटे का समय तय हुआ था वह मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह तय हुआ था कि जो समय बचेगा उसके अनुसार समय दिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

जब कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हो चुकी और उसकी सिफारिशों को यह सदन सर्व सम्मति से स्वीकार कर चुका, उस वक्त किसी ने कोई आपत्ति उठाई नहीं, बाजपेयी जी ने भी उस समय नहीं कहा, तो अब कोई आपत्ति उठनी ही नहीं चाहिये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

मैं व्यवस्था के अन्दर बोल रही हूं, संसदीय मंत्री जी ने जो बात कही थी। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि विरोधी दल को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का जो अधिकार है, उसमें समय की कटौती न की जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी वाले विधेयक पर बाकी समय में बहस होगी । तो यदि ४ बजे के बाद भी आपको उस पर बहस करनी है, तो ४ बजे के बजाय साढ़े चार का समय कर दिया जाय ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

आपने और सब ने दो घंटे का फैसला किया था । तो आप समय बढ़वा दें, लेकिन हमारा समय न काटें ।

श्री अध्यक्ष—

समय बढ़ेगा तो आपको समय मिल सकता है । आपने तीनों विधेयकों को पास करने का आज निश्चय किया है, यह बात बिलकुल स्पष्ट है । इसी से यह भी हुआ कि रिकार्ड पर यह चीज आये कि विरोधी दल वाले कितने रीजनेबिल हैं कि उन्होंने तीन विधेयों को आज पास कर दिया और तीन को १४ तारीख को पास करने के लिये कह दिया । मैंने तो आपसे बराबर कहा था कि आप समय के लिए गणित को सोच लीजिये । आपने नहीं सोचा तो मेरी लाचारी है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

संसदीय मंत्री जी बता दें कि उन्होंने डेढ़ घंटा, दो घंटा नहीं कहा था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बहिन जी जो कहती हैं मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, केवल यही कहना चाहता हूं कि तय यह हुआ था बाद में तिवारी जी से बात होकर कि एक घंटे में तो इन्टरटेनमेंट एंड बैटिंग टैक्स वाला चलेगा और उसके बाद एक घंटे तक इंडियन स्टाम्प वाले पर बहस होगी और उसके बाद जो आज इलेक्ट्रिसिटी वाला है, वह पास होगा । उसमें बहिन जी की दो घंटे की बात थी वह दो घंटे समय चाहती थीं, लेकिन बाद में यही हुआ था जो मैंने कहा । यदि इतना ही समय चाहती हैं, तो ४ बजे के बजाय साढ़े ४ बजे तक कर दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस चीज को विधान सभा के रिकार्ड में भी ला दिया कि विरोधी दल वाले बड़े रीजनेबिल हैं । आपने जो साढ़े ४ बजे तक का अब समय निश्चित करने की बात कही है, वही ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप देर तक बैठने को तैयार हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं । तो साढ़े ४ बजे तक बिजली वाला काम हो जाये और उसके बाद ५ बजे से गृहमंत्री के वक्तव्य को लेंगे । क्योंकि नियम ५१ आदि को भी निपटाना है । फिर ५ बजे से ७ बजे तक हम बैठेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

जब समय ही बढ़ रहा है, तो उस पर दो घंटे के बजाय आप ३ घंटे का समय रख दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो उस समय देखा जायेगा, लेकिन ढाई घंटे से अधिक समय नहीं दिया जा सकता है ।

न्याय मंत्री द्वारा श्री रामलाल राही के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

श्रीमन्, अभी कुछ समय पहले जब मैं यहां नहीं था, मेरे बारे में श्री बाबूलाल जी ने यह जिक्र किया कि मैंने किसी अभियुक्त के बारे में कह दिया है कि मुकदमा वापस हो । तो मैं यह कहना चाहता हूं और उन्हें यह आश्वासन देना चाहता था कि कभी न तो इस तरह से मुकदमा वापस होता है, न मेरे कहने से कोई छूटता है । हां, इतना है कि कोई दरख्वास्त आती है तो मैं नियमतः उसे जिले में भेज देता हूं ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

जो बात अभी उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने बाबूलाल का नाम लेकर कही वह बात मैंने कही थी और मेरा नाम रामलाल राही है । मैंने यह बात नहीं कही थी, मैंने कहा था कि इस सदन के एक माननीय सदस्य जिनका स्टेटमेंट पेपरों में आया है कि मेरे दल ने जो जनसंघ जैसे साम्प्रदायिक दलों से गठबंधन कर लिया है, मैं उससे क्षुब्ध हूं। वह विरोध पक्ष में न चले जायें, इससे रोकने के लिए उन्हें खुश करने के लिए यह कुत्सित काम किया गया है वर्तमान सरकार के मंत्री द्वारा ।

श्रीमन्, वह सदस्य ऐसा न हो कि विरोध में चले जायं । उनके भाई जेल में बन्द हैं, आप उनके पास गये और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की जमानत नहीं हो रही है । तो आपने सीतापुर सिविल सर्जन को फोन किया कि एक सर्टीफिकेट इसको बना दिया जाय जिससे जमानत हो जाय । तो आप जिम्मेदार व्यक्ति होकर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालते हैं, यह ठीक नहीं है । यह अदालत का काम है कि वह जमानत ले या न ले । आपने सिविल सर्जन पर दबाव डाला है । क्या आप इस तरह से उस आदमी को गलत तरीके से कार्य कराने का प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं ? क्या आप इंसाफ होने में धांधलेबाजी नहीं कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मेरे मित्र गलत, झूठ और मिथ्या बात कर रहे हैं । मुझे मालूम नहीं कि क्या स्टेटमेंट दिया गया और वह जनसंघ में चले गये या नहीं । यह भी गलत है कि मैंने किसी सदस्य से बात की है या किसी को बुलाया है । कुछ लोग किसी समय मेरे पास आये और मुकदमेंबाजी के बारे में जिक्र किया लेकिन सिविल सर्जन की जो बात है, वह बिलकुल गलत है । मैंने सिविल सर्जन से बात नहीं की है और मैं उनको जानता भी नहीं हूं । व्यक्तिगत दोष के कारण ऐसी बात कहना ठीक नहीं है । आप इस बात को आपसी द्वेष के कारण सदन में ला रहे हैं, यह अवांछनीय है और यह नहीं होना चाहिये । यदि ऐसा है तो मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं आपके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाऊं ।

श्री रामलाल राही—

मेरा कोई विरोध न तो माननीय मंत्री जी से है और न सदस्य महोदय से है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

आप भी अपने कामों के लिये मेरे पास आते रहे हैं । मान्यवर, मैं इसीलिये कहता हूं कि मेरे प्रिविलेज मोशन की बात स्वीकार करें । मैं नोटिस देता हूं । मुझे मालूम है कि यह मेरे पास किन-किन कामों के लिये आये हैं । दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रथा यहां नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं चाहता हूं कि झूठ शब्द का प्रयोग हुआ है यह असंसदीय है, इसको असत्य कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं झूठ शब्द को वापस लेता हूं। इसको असत्य कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सागर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इसको पुर:स्थापन का प्रश्न नहीं आया है। इसका उल्लेख भी नहीं है। इसको देखने की आवश्यकता है, तो इसके लिये अनुज्ञा न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

अनुज्ञा के बाद भी आप अपोज कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियमों में दो अधिकार हैं। या तो पहले ही गजट कर दें। अगर गजट हो जाता है कोई विधेयक तो फिर उसका पुर:स्थापन नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

वह तो अनुज्ञा मांग रहे हैं। अब मैं उसको नहीं ले रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आइन्दा के लिए मैं चाहता हूं कि पुर:स्थापन के पहले मालूम तो हो कि कौन-सा विधेयक है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो यह है "उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०...

श्री नारायणदत्त तिवारी—

न तो यह पिजियन होल में ही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—

वहां रख दिया गया है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। ठीक है पिजियन होल में रखवा दिया है। लेकिन हमारी भी डिफीकल्टी देखें। हमें पता न चले क्या चीज है तो किस के लिये हम अनुज्ञा दे दें। पिजियन होल में रखा हुआ है हम तो जानते नहीं। हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। इसलिए कोई परिपाटी बननी चाहिए कि सदस्य जान सकें, समझ सकें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

यह बहुत अहम प्रश्न है। जो विधेयक पुरःस्थापित होते हैं और जिनके लिए अनुज्ञा मांगी जाती है तो माननीय सदस्यों को दो दिन पहले मिलने चाहिए सुविधा की दृष्टि से चाहे नियमों में कुछ भी हो। जब इधर बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि पिजियन होल में है। जब बाजपेयी जी थीं तो यह भी पिजियन होल दिखलाती थीं। आप अपनी व्यवस्था दीजिये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय सदस्य, क्या आप चाहते हैं, क्या हो रहा है, बिना जाने हुए कैसे अनुज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा, मैं आज नहीं ले रहा हूं। सोमवार को आ जायेगा। हमने जो निश्चय किया है सोमवार को कौन-कौन से बिल आने चाहिए, वह आयेंगे। अब इन्टरटेनमेंट टैक्स के ऊपर है। "मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमन्त्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय, विवाद जारी" कौन माननीय सदस्य बोलेंगे ?

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐन्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० (क्रमागत)†

*श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पेश किये गये इस विधेयक का मैं शख्त विरोध करती हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो हमको मालूम है कि इस सरकार को गरीबों और बेरोजगारों से कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं है। मैं उसकी बाबत आगे चलकर कुछ सबूत देने के लिये बात बतलाऊंगी। मगर जो दो-चार दिन से बातें चल रही हैं, उससे बार-बार यह जाहिर हो रहा है कि यह सरकार इसलिये बनी है कि सरकार के मंत्री बनें, सरकारी बेंचेज में हमारे एम० एल० एज० बैठें, एक शान शौकत रहे। जनता ने तो न जाने कब वोट दिया था, उसे याद करने से क्या फायदा। आज जो इन्टरटेनमेंट टैक्स निकला है उसे सोचकर यह शेर याद आता है :

कभी उन पर, कभी हालात पर रोना आया,
बात निकली तो हरेक बात पर रोना आया।

(इस समय १ बज कर १२ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

हमारी हजारों और लाखों जनता जो हमको वोट देती है और उनके रिप्रेजेन्टेटिव यहां पर बैठे हैं वह बजाय इस बात को सोचने के कि वे किस तरह से उनकी बेरोजगारी को दूर करें, गरीबी को दूर करें और किस तरह से उनकी जिन्दगी में थोड़ी-सी खुशी ला सकें, रोशनी ला सकें। ऐसी चीजों को कर रहे हैं कि उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†९ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही से।

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला---]

और दुखी बना दें। अध्यक्ष महोदय, मुझको तो यह मालूम होता है कि सरकारी बेंचेज में जो लोग बैठे हैं उनका कोई मकसद ही नहीं है और इसीलिये उनको हमारी इस जनता के कोई वोट देने का मकसद भी नहीं है। बड़ी-बड़ी उम्मीदों को लेकर, बड़े-बड़े इरादों की ख्वाहिश करके हमारी जनता ने उनको वोट दिया था परन्तु उसी गरीब और बेरोजगार जनता, वह जनता जो सदा परेशान हाल रही है और जिसके पास रहने के लिये घर नहीं है और जो अपनी जिन्दगी में हर तरह से परेशान है उसके पास जो एक इन्टरटेनमेंट का जरिया था वह भी आपने उस से छीन लिया है। इसके बिना उसका जीवन और भी भार हो जायगा। मंहगाई हर दिन बढ़ती जा रही है। बजाय इसके आप बढ़ती हुई मंहगाई को रोकें उसको और थोड़ा-सा इन्टरटेनमेंट प्रदान करें ताकि वह अपने जीवन के दुखी दिनों को कुछ तो भुला सके, आपने इसका उल्टा ही किया है।

मैं आप से यह पूंछना चाहती हूं कि यह जो आपने इन्टरटेनमेंट टैक्स को बढ़ाया है उसका भार किस पर पड़ेगा, उससे नुक्सान किसका होगा? आप का कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि आप तो पूंजीपतियों के साथी हैं। आपके बारे में तो उसी दिन मालूम हो गया था जिस दिन बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और आपने उसकी सख्त मुखालिफत की थी। आज जो गरीब लोग २४ घंटे काम करते हैं, उनको पेट भर के खाना नहीं मिलता है, रोशनी नहीं मिलती है, साफ हवा नहीं मिलती है, उसकी आपको कोई फिकर नहीं है। सख्त मेहनत करने के बाद उसके जीवन में कौन-सा इन्टरटेनमेंट रह जाता है? आपकी सरकार तो पूंजीपतियों के प्रीवीपर्स की हामी है और आप को उन गरीबों की कोई चिन्ता नहीं है। मुझको यह भी मालूम है कि आप की लाइन में ऐसे लोग भी बैठे हैं जबकि हमारे कुछ भाई बहिनों में खाली जमीन पर कब्जा किया था, यह ठीक है कि वह कानून के खिलाफ बात थी लेकिन जब उन लोगों को पकड़ कर जेल में भेजा गया तो उन लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया गया जो कि बयान से बाहर है। मैं ही डेपुटेशन को लेकर चौधरी साहब के पास गई थी। मैंने कहा कि उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वह इतना बुरा है कि ऐसा राजनीतिक कैदियों के साथ अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं किया गया। चौधरी साहब ने कहा कि क्या वह कोई पिकनिक स्पाट था। मैंने जवाब दिया नहीं वह कोई पिकनिक स्पाट तो नहीं है लेकिन साथ ही कोई इन्सानियत भी तो है। इसलिये मैं फिर जोर देकर कहूंगी कि जो हमारी जनता गरीब है, बेरोजगार है, परेशान है उसके लिये जो सिनेमा एक इन्टरटेनमेंट का साधन है, उसको भी न छीनें। इस मंहगाई के जमाने में हमारा वह गरीब बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पैसा जमा करता है और छुट्टी के दिन अपनी बीबी-बच्चों के साथ अपनी परेशानियों को भुलाने के लिये सिनेमा जाता है उसके इस हक को भी आप छीन रहे हैं।

लखनऊ में रहते हुये ऐसे न मालूम कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको न तो साफ हवा मिलती है, न रोशनी मिलती है और न उनको वह दिखलाई ही देती है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह दूसरी तरह से अपना कोई इन्टरटेनमेंट कर सकें। सिनेमा एक ऐसी चीज है जो आप के कन्ट्रोल में है और अगर आप अपनी जनता को सही काम और रास्ता दिखलाना चाहते हैं तो इसके लिये आप अच्छी अच्छी फिल्में लाकर ऐसा कर सकते हैं और उसको अच्छी-अच्छी बातें सिखला सकते हैं। मैं तो यह समझती हूं कि यह सरकार जनता की दुश्मन है कि गरीब आदमी के लिये कुछ न रहे। अमीर सिनेमा में जाय, घर में भी इस तरह से रहे, जिसको गरीब स्क्रीन पर भी उस तरह से न देख सके। आप २२ या २५ करोड़पतियों को बैंक नैशनलाइजेशन से बचा कर जिन्दा रखना चाहते हैं। जिनके पास आप चाहते हैं कि सारी दौलत रहे। क्या सिर्फ उन्हीं को हक है इंटरटेनमेंट करने का? क्या गरीब जनता को दो घंटे के लिये भी चैन, आराम और खुशी न मिल सके? हमारे हजारों, लाखों भाई-बहनों को थोड़ी-सी खुशी सिनेमा में मिल सकती है। दुनिया में मैंने देखा फ्री सिनेमा, फ्री शोज हैं जिनमें मुफ्त में अवाम जा सकते हैं। क्या हमारे देश में, और इस बदकिस्मत उत्तर प्रदेश में क्या यह भी नहीं हो सकता है कि हमारे बेचारे गरीब थोड़ी देर के लिये खुश हो लें चाहे वह खुशी बनावटी हो? मेरी समझ में नहीं आया कि इंटरटेनमेंट

टैक्स किसके लिये लगाया गया है ? जो अमीर हैं, जो ब्लैक में टिकट ले सकता है, वह जरूर देखेगा। उनको कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग इनकम टैक्स बचाने वाले हैं, जो लोग घूस देकर टैक्स पे नहीं करते, उन पर बन्दिश लगाइये। हमारे गरीबों के ऊपर क्यों बन्दिश लगा रहे हैं ? क्या उन पर काफी मुसीबतें नहीं हैं ? आपने क्या कुछ भी किया है जिससे उनकी तकलीफें दूर हो सकतीं ? मैं कोशिश करती हूं कि अपने गांव में कभी-कभी मुफ्त वाला सिनेमा ले जाऊं जो इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने इंतजाम किया है। इस किस्म का इंतजाम सरकार को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। उसमें सस्ते से सस्ते तरीके से हमारे भाइयों को, बच्चों को दिन भर काम करने के बाद, शाम को हंसने और आराम की नींद लेने का मौका मिलना चाहिये चाहे वह थोड़ी देर की खुशी ही क्यों न हो। हमारा वह हाल न कीजिये कि यह शेर पढ़ना पड़े—

उड़ा ली उम्रियों ने, तूतियों ने, अंदलीबों ने,
चमन वालों ने मिल कर लूट ली तर्जे फुगां मेरी।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, बड़ी आपकी कृपा है जो आपने हम को इस मनोरंजन कर पर बोलने की इजाजत दी है। मैं बड़ा आभारी हूं आपका। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं बेगम साहिबा का जिन्होंने बड़ी जबरदस्त रोशनी हम लोगों के सामने डाली है। यह जो मनोरंजन कर सरकार ने लगाया है, उसके पहले जब आप चौधरी साहब के साथ शामिल रही हैं, सवा तीन एकड़ का लगान माफ करने के लिये यह कर लगाया था। आज यह सरकार सवा छः एकड़ का लगान माफ करने जा रही है इस कर के बदले। मैं आपको माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं मनोरंजन वकील करता है, एम० एल० ए० करता है, मिनिस्टर साहबान मनोरंजन करते हैं।

मैं मनोरंजन का जीता-जागता सबूत दूंगा। अभी करीब ६ वर्ष हुये जब कुम्भ मेला लगा हुआ था, वहां बड़े-बड़े पदाधिकारी, बड़े-बड़े मिनिस्टर थे, और वे मनोरंजन करते रहे और वहां हजारों आदमी मौत के घाट उतर गये। तो सरकार की यह नियत है कि मनोरंजन कर लगाने से मनोरंजन के साधनों में कुछ कमी आये। मैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो मनोरंजन कर लगाया गया है, वह दुगुना अगर हो जाय तो जो बड़े बड़े आदमी नाजायज फायदा देश में उठा रहे हैं उनसे रुपया काफी वसूल हो सके। आज लोग गरीबों की आड़ में, यतीमों की आड़ में, राजा साहब, एम० एल० ए० साहब, मिनिस्टर साहब और चौधरी फायदा उठा रहे हैं, गरीबों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। एक बार डा० लोहिया ने पंडित नेहरू से यह सवाल किया था कि आज गरीब आदमी की जिन्दगी ३ आने और १५ आने पर है। मैं जरा यह जानना चाहता हूं कि जिन इन्सान की जिन्दगी ३ आने और १५ आने पर हो वह कैसे मनोरंजन कर सकता है ? वह क्या सिनेमा देखेगा ? आज आप शहरों में जाकर देखिये, २० साल की आजादी के बाद भी गरीब जनता अपने सिर पर मैला ढो रही है। आज श्री नारायण दत्त तिवारी, जो पहले समाजवादी नेता थे, उनका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज ऐसा नहीं है। मैं कल जब मदन मोहन मिश्र की बात सुन रहा था तो मैं समझ रहा था कि वह जो बात कह रहे हैं वह मेरे दिल की बात कह रहे हैं और मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा था। मुझे फौरन डा० लोहिया की याद आ गई। आप लोग जो ये कहें कि गरीब आदमी सिनेमा देखता है, मैला ढोने वाला, ऐसी चीज नहीं है। राजा लोग, नवाब लोग सिनेमा देखते हैं। आप १२ बजे जा कर देखें तो मोटर वालों को वहां पायेंगे, फिटफिटिया वालों को वहां पायेंगे, वही लोग वहां ज्यादा होते हैं। कल जब साढ़े छः एकड़ लगान वाली माफी की बात आई तो मैंने देखा कि किस तरह इसका विरोध किया गया था। सवा ३ एकड़ वालों को तो आपने भी माफ किया था। यह साढ़े छः एकड़ तो डा० लोहिया की देन है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डा० लोहिया की देन है। उन्होंने

[श्री राजितराम पांडेय]

कहा था कि जब तक साढ़े छः एकड़ वाले लोगों का लगान माफ नहीं होगा तब तक हमारी गांव की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने भी यही बात कही थी। जब शासन ने साढ़े ६ एकड़ की लगान माफी की घोषणा की तो स्वर्ग में डा० लोहिया की आत्मा जरूर इस बात को जान कर प्रसन्न हुई होगी। जब सन १९४७ में देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने जाकर पंडित जवाहर लाल जी से कहा कि पंडित जी आपका आनन्द भवन है वह आपको वापिस कर दिया।

लेकिन आप गांव में गये थे। आपने कहा था लगान देना पाप है। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उनका आनन्द भवन वापस हुआ लेकिन आपके खेत वापस नहीं आये। उन्होंने इस पर मुझे डांटा, मैं चुप हो गया। लेकिन वाह रे भगवान लोहिया, उनकी आवाज ने एक चिन्गारी पैदा कर दी। सबको उनका सिजदा करना पड़ा और सवा ६ एकड़ तक का लगान आज आपको माफ करना पड़ा। यह जो मनोरंजन कर बढ़ाया जा रहा है इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा कि उनको बहुत दिनों के बाद होश आया है। २० साल तक आपने रंगरेलियां मनाईं चाहे किसी भी पक्ष के सदस्य हों। २० साल तक गरीबों का खून चूसा गया और २० साल तक पाउडर, लिपिस्टिक लगा कर मनोरंजन किया गया है। मुल्क में समाजवाद लाना है। सही नारा था संसोपा का। आज डाक्टर लोहिया के समाजवाद के उस नारे को इन्दिरा जी ने लगाया है। अगर आप सचमुच समाजवाद लाना चाहते हैं तो जरा गांवों की तरफ देखिये। बिजली दी गयी लेकिन उसमें अच्छा खासा भ्रष्टाचार है। गरीब आदमी उसे नहीं पा पाता। मनोरंजन कर जो मौजूदा सरकार ने लगाया है, वह बड़े आदमियों पर ही लगाया है। सिनेमा कौन देखने जाता है? सिनेमा देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। आप देखें सिनेमा ने मुल्क को कितना बरबाद किया? रेडियो के जरिये से, सिनेमा के जरिये से देश में कितना फशन बढ़ा? फैशन बढ़ा तो उसने कितना लोगों को भ्रष्ट किया? हम आज कितने ईमानदार हैं? फाहियान लिख गया है कि यहां ताले नहीं लगा करते थे, व्यभिचार नहीं हुआ करता था। लेकिन इन २० सालों में बड़े आदमियों, पूंजीपतियों, राजा-महाराजाओं के लिये मनोरंजन के लिये कितना साजो सामान इकटठा किया गया, कितना रुपया खर्च किया गया? उस पर जरूर टैक्स लगना चाहिये ताकि जो भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है उसके जरिये से वह खत्म हो सके। और जो इस विधेयक के विरोधी हैं वे सिनेमा देखने जरूर जाते हैं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री सोनकर कह कर पुकारने पर)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा नाम याद कर लें। मेरा नाम कन्हैयालाल सोनकर है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री सोनकर कह कर पुकारा है।

*श्री कन्हैयालाल सोनकर—

अच्छा, मैं सुन नहीं पाया था। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक के विरोध में बोलने का अवसर दिया है। इस देश और प्रदेश का गरीब निवासी जो कि बड़े आदमियों के साथ बैठकर सिनेमा के एक्टरों के नाच को देखता था उसे आपने उससे वंचित करा दिया है। बम्बई से सिनेमा की नर्तकियों को बुला कर १५ रु० से ३० रुपये के टिकट पर यह गरीब किसान तो जा नहीं पाता था किन्तु इन्हीं एक्टरों के नाच को वह छाया चित्र के रूप में सिनेमा में देखने जाता था उससे भी आप उसे वंचित करवा रहे हैं। इस टैक्स को बढ़ाने से आप गरीब जनता को उसके मनोरंजन से अलग कर रहे हैं। यह सरकार समय-समय पर टैक्स बढ़ा देती है और इस प्रकार बढ़ाती है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका प्रभाव गरीब जनता पर ही पड़े। इसके पक्ष में यह दलील दी जाती है कि इस टैक्स का बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ेगा बल्कि ऊंचे आदमियों पर पड़ेगा तथा गरीब आदमियों को फायदा होगा और अमीर आदमियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक गरीब कारखाने वाला मजदूर अथवा रिक्शावाला जो कि दिन-भर पिसता रहता है, ८–१२ घंटे तक मजदूरी करता है और यदि वह अपने मनोरंजन के लिये सिनेमा जाता है तो उस पर भी आप टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अखबार वह पढ़ नहीं सकता, अन्य कोई मनोरंजन का साधन उसके पास नहीं है। समाचार भी आप सिनेमा में दिखला देते हैं, आंखों देखा हाल आप सिनेमा में बतला देते हैं, न्यूज रील भी सिनेमा में दिखा देते हैं, इस टैक्स के बढ़ाने से वह गरीब इसे भी नहीं देख सकता है। यदि आप इसी प्रकार टैक्स बढ़ाते जायेंगे तो इस देश का गरीब मजदूर कैसे कल और कारखानों में जाकर मजदूरी कर सकेगा यह मेरी समझ में नहीं आता है। उसके मनोरंजन का केवल एक माध्यम यह सिनेमा ही था....

(व्यवधान)

आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है।

(व्यवधान)

ऐसी गल्ती मत कीजियेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, जो सिनेमा देखना पसन्द नहीं करता है। उस में त्रुटियां जरूर आ गई हैं। टैक्स बढ़ाने से इन त्रुटियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है और न किया जाना चाहिए। मान्यवर, अभी एक सज्जन, मेरे पूर्व वक्ता ने यह दलील दी कि इलाहाबाद में जो कुम्भ का मेला लगा था वह मनोरंजन के लिये बनाया था। कुम्भ मेला मनोरंजन करने के लिये नहीं बनाया गया है। वह तो एक धार्मिक भावना को लेकर मेला लगता है। वहां पर कुछ सरकारी कर्मचारियों की अदूरदर्शिता के कारण दुर्घटना हुई थी। वहां सिनेमा दिन में नहीं हो रहा था। यह कहना गलत है कि मनोरंजन के कारण वह दुर्घटना घटी। मान्यवर, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मनोरंजन पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। इस टैक्स के लगाने से आप गरीब किसान, रिक्शेवाला, मजदूर सभी को उसके मनोरंजन करने के हक से अलग कर रहे हैं, उसका हक छीन रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकारी पक्ष में बैठने वाले कुछ माननीय सदस्य मेरी बात का मखौल कर रहे हैं वे मुझे बतला दें कि आखिर आपने इन गरीबों के मनोरंजन का क्या साधन बना रखा है। कोई नहीं है गरीब अगर सिनेमा देखे तो बुरा, रेलगाड़ी पर चले तो बुरा, गरीब अगर रिक्शा में चले तो बुरा। लोग कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा काम हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसमें क्या अच्छाई हुई? मान्यवर, इसके पहले सेशन में हमारे वर्तमान मुख्य सचेतक महोदय ने जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मनोरंजन कर बढ़ाया जायगा। अगर उन्होंने भी इस विधेयक को आज प्रस्तुत किया होता तो भी मैं इसका विरोध करता। जब आप इस तरफ बैठते थे तो आप ने भी इसका विरोध किया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या कारण हो गया कि आप उसका समर्थन करने लगे? आप दल बदलने की बात कहते हैं, आप भी बदल लीजिये, कौन आपको रोकता है और कौन ऐसा है जिसने दल नहीं बदला? कोई किसी कारण से बदलता है और कोई किसी कारण से, मैंने तो नीति और उद्देश्य के लिये बदला है। इन शब्दों के साथ मैं सरकारी बेंचों पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से और मंत्रिगण से आग्रह करूंगा कि गरीबों के ऊपर यह मनोरंजन कर न बढ़ाया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने दल बदलने के बारे में कुछ कहा, मैं उस बारे में कुछ न कहूंगा। मैं एक अध्यापक रहा और आप भी एक अध्यापक रहे और एक बड़े अध्यापक से उपाध्यक्ष बने। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जो

[श्री रामगोपाल संड]
टैक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बढ़ाने की आप अनुमति दे दें, मगर विद्यालयों के विद्यार्थियों को जो आपने तीनों शो को देखने की छूट दे रखी है, उस छूट को आप खत्म कर दें। कोठारी आयोग ने भी इसके बारे में लिखा है। एडोलसेंस और १८ साल के कम के युवा लोगों को मेटिनी शो और रात का सिनेमा देखने की इजाजत न दी जाय ।

इस के साथ ही साथ यह भी प्रार्थना करूंगा कि बड़े-बड़े व्यापारी लोग फिल्मों पर इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ करा लेते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि सरकार को जो धन मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये अधिकारियों के बजाय नगर के विधायकों की, चाहे वे किसी भी दल के हों, एक समिति बना दी जाय और उसी के सामने इस प्रकार से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायं और वही यह तय करे कि किस फिल्म वगैरा पर मनोरंजन कर छोड़ा जाय या नहीं। अगर माननीय मंत्री जी इसको कर सकें तो एक बहुत अच्छी चीज होगी और उससे सरकारी आमदनी जो कम हो जाती है, वह बढ़ जायगी।

मैं २–३ साल में एक बार, जब कभी कोई ऐतिहासिक या राजनैतिक सिनेमा आता है, तभी देखता हूं, लेकिन मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि सिनेमाघरों में दो प्रकार के टिकट जारी किये जाते हैं। एक प्रकार के तो साधारण टिकट होते हैं और दूसरे प्रकार के वे होते हैं जो मनोरंजन अधिकारियों, डी० एम०, बड़े-बड़े अधिकारियों को जारी होते हैं और ऐसे लोग सिनेमा में सब जगहों पर बैठे दिखायी पड़ते हैं। ऐसी जो टिकट बिकती हैं, उनका कोई एकाउन्ट मेनटेन नहीं किया जाता है। मैं चाहूंगा कि इस सरकार में चरण सिंह साहब के दल के लोग भी हैं और समाजवादी दल के लोग भी हैं, इस सम्बन्ध में वे कोई ऐसा नियम बनायें कि जिससे इस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है वह दूर हो जाय और उससे जो सरकार का नुकसान होता है वह भी बन्द हो जाय ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग अच्छे प्रकार की फिल्मों का निर्माण करे। जब गेंदा सिंह जी सूचना मंत्री थे, मैंने उनसे यह प्रार्थना की थी कि इसके लिये बजट में कुछ धनराशि को बढ़ाया जाय और विभाग की ओर से शिक्षाप्रद चित्र, ऐतिहासिक चित्र, वैज्ञानिक चित्रों का निर्माण किया जाय। जिनको बड़े-बड़े नगरों में, गांवों में स्त्रियों और विद्यार्थियों के बीच में दिखाया जाय। शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत (चल-चित्र) केन्द्र जो इलाहाबाद में है, उनके द्वारा दिखाया जा सकता है।

इस के द्वारा देखा जाय तो मैं समझता हूं कि यह जो ९ करोड़ का प्रदेश है, जो राम, कृष्ण, टंडन और लोहिया जी का प्रदेश है उस प्रदेश के बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। ऐतिहासिक और राजनीतिक फिल्मों के देखने से बच्चों के मन के भाव अच्छे बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसका समर्थन करता हूं। अभी हमारे भाई माननीय सोनकर जी ने कहा कि इस टैक्स का भार गरीब आदमियों पर पड़ता है। गरीब आदमी जो २/३ रुपये रोज कमाता है वह अपनी सारी कमाई इनमें ही दे आता है। इन सिनेमा घरों में पाबन्दी लगाई जाय और शराब पीना बंद किया जाय। मैं अपने साथी से जानना चाहता हूं कि कि क्या आमोद-प्रमोद का साधन केवल सिनेमा घर ही हैं ? क्या कीर्तन, भजन, कहानी आदि सुनना आमोद-प्रमोद के साधन नहीं हैं ? आज भी गांवों में लोग चौपालों पर बैठ कर कीर्तन, भजन, कहानी आदि से अपना मनोरंजन करते हैं इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर का जो बिल इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बार-बार सवा छः

एकड़ की बात कह कर सवा छः एकड़ के महत्व को कम करना है। कल विरोधी दल के नेता, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने भी कह कर इस बहुचर्चित विवाद को समाप्त कर दिया था कि हम भी चाहते हैं सवा छः एकड़ लगाने की माफी आप भी चाहते हैं तो फिर इसको लागू करने में देर किस बात की है। इसको रबी की फसल से लागू किया जाय। इसकी बार-बार रट लगाने का कारण कोई अन्य साजिश सरकार की दीख पड़ती है। आपकी नीति उद्घोष करती है कि सवा छः एकड़ तक लगान की माफी हो हम भी चाहते हैं, सारा सदन चाहता है, कौन नहीं चाहता है, लेकिन इसके लागू करने में देर करने के माने हैं कि गुड़ दिखाकर ईंट मारना। सवा छः एकड़ का वचन देकर तुरन्त इसके बाद ही मनोरंजन कर बढ़ा देना, कोर्ट फीस व रजिस्ट्री की दर बढ़ाना तथा स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोत्तरी करना गरीबों के साथ अन्याय करना है।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि सिनेमा अमीर आदमी देखते हैं गरीब नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर आदमी तो क्लबों में जाते हैं। जहां शराब पी जाती है, रमी-फ्लेश, खेले जाते हैं, और डांस इत्यादि होते हैं। गरीबों के पेट पर वहां लात मारी जाती है। गरीबों की रोटी-रोजी के खिलाफ साजिश होती है। यदि इन क्लब घरों पर, टेलीविजन पर मनोरंजन कर लगाने व बढ़ाने की बात आती तो मुझे बड़ी खुशी होती और यदि इन समाजवादी भाइयों की तरफ से यह बात आती तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती। लेकिन यह कहना कि गरीब आदमी सिनेमा नहीं जाता इससे मालूम होता है कि उनकी आंखों पर सत्ता का पर्दा छा गया है, चर्बी छा गई है। वह देखें कि सिनेमाओं में जहां बड़ी लम्बी लाइन लगती है उसमें ९५ फीसदी गरीब आदमी मिलेंगे २-४ परसेंट अमीर आदमी जाते हैं। उन ९५ प्रतिशत गरीबों के लिये मुश्किल से ५-१० परसेंट सीट्स होती हैं, उन गरीब आदमियों के लिये ९५ परसेंट सीट्स होनी चाहिये। फिर बाकी जो बचेंगे वे ऊंची क्लास का ही टिकट लेते हैं जिसका भार गरीबों पर ही पड़ेगा न कि अमीर लोगों पर। समाजवादी भाई समाजवाद का नारा देते हैं लेकिन इन गरीबों का सिंडकेटी और जनसंघ द्वारा शोषण कराते हैं।

अभी तो केवल सवा छ एकड़ वाली बात का नक्शा ही दिखाया गया है। अभी बिल नहीं आया है। पता नहीं कब आयेगा। किसी ने कहा कि अंधी तेरा बेटा आया तो उसने कहा कि जब मेरी गोद में आ जायगा तब जानूंगी। इसी तरह से जब वह बिल आयेगा तब हम जानेंगे। गांवों में कहावत है "गुड़ दिखा कर ईंट मारना" वही चरितार्थ हो रही है। मैं तो पांडेय जी से और दूसरे साथियों से यह कहना चाहता हूं कि यदि उनमें कुछ विवेक है, कुछ बुद्धि है, कुछ समाजवाद की विचारधारा है तो टैक्सों की चोरी को रुकवायें। सिनेमाओं में जो आधे से ज्यादा टैक्स की चोरी हो जाती है, किस तरह से होती है, यह मैं बताता हूं, यदि उसको रुकवायें तो टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो यह चाहूंगा कि मनोरंजन कर न बढ़ कर मजबूती से इसकी चोरी रुके। सिनेमाओं में टैक्स की चोरी इस प्रकार होती है कि एक तो डुप्लीकेट टिकट छपवायें जाते हैं और हर शो के टिकट बिकने के बाद जो स्टेटमेंट तैयार होता है वह भी डुप्लीकेट होता है और उसमें जितने टिकट बिकते हैं उससे आधे या पौने ही दिखाये जाते हैं, बाकी सब इंस्पेक्टर और सिनेमा मालिक की बदौलत गोल हो जाते हैं। इसके साथ-साथ जो नई पिक्चर आती है वह ७५–८० फी सदी पर आती है और उसके साथ पिक्चर का एक नुमाइन्दा आता है। तो उसमें केवल ५०–६० फी सदी दिखाया जाता है जिससे मालिक को पैसा कम जाय और दूसरी तरफ टैक्स की चोरी भी हो जाती है। इसमें वह पिक्चर का नुमाइन्दा भी मिला होता है। अमीर तो टिकट खरीदते ही नहीं उन्हें तो फ्री पास मिलते हैं। तो मैं अपने समाजवादी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप बड़े आदमियों को पास देना बन्द करायें, बड़े आदमियों के क्लबों पर टैक्स लगवायें, टेलीविजन पर टैक्स बढ़वायें, टैक्स की चोरी रुकवायें और दूसरी

[श्री प्यारेलाल]

चीजों पर टैक्स लगवायें लेकिन गरीबों के एक मात्र मनोरंजन के साधन, सिनेमा पर टैक्स न बढ़ायें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समाजवादी नहीं हैं, आप सिंडीकेटी है, जनसंघी हैं, स्वतंत्र हैं और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वही कहावत चरितार्थ होगी कि समाजवादियों ने अपना जमीर विवेक सिद्धान्त व समाजवादी विचार धारा बेच दी है गुप्ता जी की गुद-गुदी गोद में बैठ कर।

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन सुझावों पर ध्यान दिया जायगा।

एक बात पर जरा सी गलतफहमी मुझे नजर आ रही है। वह यह है कि काफी लोगों ने कहा है कि गरीबों पर इसकी चोट पहुंचेगी। मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि जो ज्यादातर संख्या है रिक्शा वाले भाइयों की, तांगे वाले और इक्का वाले भाइयों की वे इससे एफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि १७५ पैसे से ऊपर के जो टिकट हैं उन्हीं पर इस टैक्स का असर पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं माननीया मंत्राणी जी से यह जानना चाहूंगा ....

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

मैं मंत्राणी नहीं हूं, मैं अपने विभाग की उपमंत्री हूं।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं माफी चाहूंगा और माननीय उप-मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस समय न्यूनतम श्रेणी क्या है और उसमें कितना टैक्स अभी तक लग रहा है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

आपके प्रश्न का इस बिल से संबंध नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

सीटें कितनी हैं ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

हर एक सिनेमा में अलग-अलग सीटें होती हैं। आप तो मुझसे ज्यादा ही सिनेमा देखे होंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

लेकिन वह सीटें बहुत कम होती हैं।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

वह तो सिनेमा मालिक जरूरत के मुताबिक बनाता है, उसमें सरकार का कोई आदेश नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह—

कितनी सीटें हों, यह तो सरकार तय करती होगी ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी नहीं। सिनेमा जो बनाता है वह २५०, ३००, ५००, ७००, १००० जितनी सीटें चाहे यह बिल्कुल उसकी मर्जी पर है।

मैं यह अर्ज कर रही थी कि जो छोटे तबके के लोग हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बढ़ोत्तरी १.७५ रुपये से ऊपर के जो कि टिकट हैं उन पर लगेगी।

केवल २५ फीसदी बढ़ा है। इससे यह भी नहीं है कि बहुत बढ़ गया हो। कल रियासत हुसेन साहब ने फरमाया था कि टिकट पर ब्लैक मारकेटिंग बहुत होती है तो उस ब्लैक मारकेटिंग को रोकने के लिये कोई तरीका निकालना चाहिये। सब से ज्यादा रोक हम और आप ही कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्लैक में टिकट न खरीदें तो उसको कौन बेचेगा।

यह छोटा सा बिल है। इसीलिये इसको लाया गया है कि चौथे प्लान में प्रदेश के डेवलेपमेंट के लिये रुपये की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिये मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इसको पास करने में अपनी अनुमति देंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स एंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन।

२—युनाइटेड प्राविन्सेज ऐण्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बैटिंग ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे शुल्क के एक रुपये से अधिक न होने की दशा में प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगा और किसी अन्य दशा में उसके शत प्रतिशत से अधिक न होगा।" रख दिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ऐन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड वैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०

युनाइटेड प्रांसिसेज ऐन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐंड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० के खंड २ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ३ के रूप में बढ़ा दिया जाय :

३—"उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ४ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।"

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

मैं इस संशोधन को स्वीकार करती हूं ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, कल से मैं बराबर कोशिश कर रहा था कि शायद आप मुझको बोलने का मौका देंगे मगर मेरी बदकिस्मती रही कि आपकी नजर मेरी तरफ नहीं उठी । आज हाउस को मीट हुये चौथा दिन है । पहले दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम १०० करोड़ मांग रहे हैं चव्हाण साहब से इस सूबे के डेवलेमर्मेंट के लिये । दूसरे दिन इत्तिला दी गई कि ३। एकड़ के बजाय ६। एकड़ पर लगान माफ होगा । इन दोनों एकदामात से मुझे यह खयाल हुआ कि शायद इस मिनिस्ट्री की नजर गुरबा की तरफ भी उठ रही है । पहले जो इम्प्रैशन इस मनिस्ट्री ने दिया था वह यह था कि उनको सिवाय अपनी मिनिस्ट्री की तादाद बढ़ाने के और कोई दिलचस्पी नहीं है । जिस वक्त चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों इकदामात का एलान किया तो यह उम्मीद जरूर हुई थी....

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

श्रीमन्, जिस समय यह बिल पारित किया जायगा उस समय किदवाई साहब को बोलने का मौका मिलेगा । उस वक्त इसके ऊपर जनरल बातें वह कह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो यह संशोधन ही है । संशोधन पर ही बोल सकते हैं ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

मैं तो जनरल बातें ही कहना चाहता हूं । तो उस समय बोल लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐंड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० के खंड २ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ३ के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"३—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नया खंड ३, खंड १, प्रस्तावना, तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती इन्द्रमोहिनी---

मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐंड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जिस वक्त यह ऐलानात जो कि मिनिस्टर साहब की तरफ से हुए, मैंने उनका बड़ा खैर-मकदम किया था। मगर तीसरे ही दिन मुझे महसूस हुआ कि एक तरफ तो यह फैयाजी का सबूत दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मालूम होता है कि एक फैयाज आदमी एक पिक-पाकेट को भी अपने साथ रखे हुए है कि एक तरफ से शस्त्र दे और दूसरी तरफ वापस ले ले। चुनांचे इस "पिक-पाकेटी" का काम मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कोर्ट-फीस ऐक्ट पास किया और उससे वह गरीब आदमी जो इस तरीके से अपनी मुश्किलें अदालत के सामने या अफसरान के सामने रखता था वह अब जब तक ज्यादा और फीस न देगा वह नहीं रख सकता। उसके बाद अब यह इन्टरटेनमेंट टैक्स आया। मैं इसके मुआफिक हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर को बजट बैलेंस करने की जरूरत है, मगर अगर आप फाइनैंसेज को बैलेंस करने के वास्ते एक तरफ वोट-कैचिंग डिवाइस अडाप्ट करते हैं कि सवा छः एकड़ पर छूट देते हैं और दूसरी तरफ कोशिश करते हैं कि वह रकम सब गरीबों से वसूल कर ली जाय। मैं समझता हूं यह एक फ्राड है जो किसी गवर्नमेंट के शायाने शान नहीं हो सकता। बहुत काफी स्पीचेज हो चुकी हैं। मैं ज्यादा वक्त न लूंगा, लेकिन कहूंगा कि अगर आपको बैलेंस बजट करना है तो उसका दूसरा तरीका हो सकता है, यह नहीं कि आप तरह तरह की आमदनी इस तरह से बढ़ायें जिससे गरीबों पर और भार बढ़ जाय। अगर वाकई चाहते हैं कि बजट बैलेन्स्ड हो जाय तो आप सबसे पहले अपनी इस मिनिस्ट्री पर नजर करें। क्या यह सूबा वह सूबा नहीं है कि जिसका काम ६ और १२ मिनिस्ट्रों से चलता था? और आज यहां ५३ मिनिस्टर हो चुके हैं और अब चौधरी चरण सिंह जी व श्री चन्द्रभानु गुप्ता जी ने एलान किया है कि अभी और मिनिस्ट्री बढ़ाई जायगी।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिस्टर साहब आपकी तरफ पीठ कर के खड़े हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

छोटी छोटी बातों की तरफ आप ध्यान दिलाते हैं, आपने ही यह रखा है कि २ बजे तक यह पारित हो जाय।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

अगर आप चाहते हैं कि सूबे का एक बैलेन्स्ड बजट हो तो सबसे पहले इस पर नजर कीजिये कि कितना बोझ इस मिनिस्ट्री का है, वह बढ़ती ही जाती है और उस पर हजारों रुपया टैक्सपेयर का खर्च हो रहा है। क्या इस रकम को बचाकर बैलेंन्सिग आफ बजट नहीं किया जा सकता था?

दूसरी चीज यह है कि आप इस पर गौर करें कि किस तरह से आप अपने बजट को बैलेन्सड कर सकते हैं। मैं फाईनेन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जह टैक्सेशन इन्कवायरी कमेटी, ५३-५४ की तरफ दिलाऊंगा, इसके चेप्टर ८ में एन्टरटेनमेंट टैक्स का तजकिरा है, उस में कहा गया है कि---

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

It is of interest to note the different views expressed in regard to this tax. The Film Enquiry Committee of 1951, which examined the question in some detail, has recommended that the tax should be on a flat percentage basis. preferably 20 per cent of the gross takings.

फिर आगे चलकर इसी के पेज ११३ पर कहा गया है कि :—

"The Film Enquiry Committee also favour the tax being levied on a percentage basis and has recommended that the rate of tax should be 20 per cent of gross earnings be 25 per cent of the admission charges".

यह इन्क्वायरी कमेटी ५३–५४ में अप्वाइन्ट हुई थी और यह उसकी सिफारिश है। अगर आप अपने बजट को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप और जराये आमदनी के निकालें और आप एक लाजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से चलें, यह आपकी मंजूरशुदा रिपोर्ट है, आपको अगर आमदनी अपनी बढ़ाना है तो आप उसे स्लेब सिस्टम पर बढ़ाइये।

एक चीज मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि आप अपनी यह टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़िये। इसके पेज ७७ पर आप देखेंगे कि इन्टरटेनमेंट टैक्स से मुखतलिफ स्टेटस में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में स्टेट्स में क्या क्या आमदनी हुई है, आप देखेंगे कि सबसे कम आमदनी आपके ही सूबे में मनोरंजन कर से हुई है। आप के यहां कुल ४ करोड़ रुपये वसूल हुये हैं और दूसरी जगहों पर बहुत ज्यादा है। इस की क्या वजह हो सकती है ? इसकी वजह यह है कि सिनेमा देखने वाले जितने दूसरे सूबों में हैं यहां उससे कम नहीं हैं लेकिन आप के टैक्स के कलेक्शन में ऐसी गड़बड़ी है जिसकी वजह से आप पूरा टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं। दूसरे इसी रिपोर्ट में यह भी है कि सन् १९६३–६४ में यू० पी० में २७६ सिनेमा थे, जो १९६८–६९ में बढ़कर ३२२ हो गये, इसका मतलब यह हुआ कि ८ साल में कुल ४६ सिनेमा नये खुले। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि लोगों ने यहां सिनेमा हाउसेज नहीं बनाये और दूसरी एक वजह यह भी है कि आपका लाइसेंसिंग सिस्टम लिबरल नहीं है। अगर आप एन्टरटेनमेंट टैक्स से कुछ आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो पहले यह जरूरी है कि आप सिनेमा लाइसेंसिंग सिस्टम को लिबरल करें। दूसरे यह भी जरूरी है कि सिस्टैमेटिक तरीके से टिकटों की सेल पर आप टैक्सेशन बढ़ायें, जैसा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में तजवीज किया गया है। तीसरी बात यह है कि आपको देखना है कि कितना आप के वास्ते टैक्सेज को बढ़ाना जायज है और कितना पिब्लिक इसे बर्दास्त कर सकेंगे। एक तरफ तो आप फइयाजी दिखावें और दूसरी तरफ आप अपने मिनिस्टरों की तादाद बढ़ाते जांय। इस वक्त हर ४ मेम्बर पर एक मिनिस्टर है लेकिन अब भी कोशिश है कि हर एस० वी० डी० का सदस्य मिनिस्टर हो जांय। मुझे अन्देशा है कि अगर इसी तरह से मिनिस्टरों की तादाद बढ़ती गयी तो इस टैक्स को ही बढ़ाना काफी न होगा बल्कि और भी टैक्स लगाने पड़ेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं दस्तबस्ता अर्ज करूंगा कि, हालांकि मुझे अपने को एक्सप्लेन करने का बहुत मौका नहीं मिला है, कि सचवाई से ऐसे कामों पर लगिए और अगर आप अवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा न कीजिए कि एक तरफ तो उन्हें दें और दूसरी तरफ उनसे ज्यादा से ज्यादा वसूल कर लें।

मैं जानता हूं कि एस० वी० डी० में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा गुर्बा का फायदा हो लेकिन मुझे अंदेशा हो रहा है कि बावजूद इसके कि हमारे नये चीफ मिनिस्टर, जिनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी भी है, बहुत शरीफ आदमी भी हैं, मगर बहुत खराब सोहबत में पड़ गये हैं। एक तरफ उनकी यह ख्वाहिश होती है कि गरीबों को फायदा पहुंचायें लेकिन जैसी सोहबत में वे हैं, उसकी वजह से इस प्रकार के टैक्सेज बढ़ाने की ख्वाहिश हो रही है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसको सोच लें कि जिस रेप्युटेशन को लेकर इस मुख्य मन्त्री की गद्दी पर आये, उस रेप्युटेशन को खाक में न मिलायें। अगर उन्होंने

सवा ६ एकड़ पर लगान माफ किया तो विरोधी दल के नेता, माननीय कमलापति जी ने भी सपोर्ट किया है और चूंकि हम लोगों की कौन्स्टीटुएन्सी को भी फायदा पहुंचा, इसलिये हम सब खैरमकदम किया लेकिन ऐसा न हो कि फइयाजी में वे एक हाथ से लें और दूसरे हाथ से दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्रटेनमेंट्स ऐंड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०†

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक भी बहुत छोटा सा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है ही कि उच्च न्यायालय में यदि कोई एडवोकेट या एटार्नी प्रैक्टस करना चाहता है तो उन्हें उनकी सूची में प्रविष्ट होनी पड़ती है। उस प्रविष्टि के लिए ५०० रुपये का स्टाम्प लगाने की आवश्यकता होती है। इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि वह ५ सौ के बजाय २ १/२ सौ हो जाय क्योंकि शासन के पास बहुत से ऐसे आवेदन आये थे कि यह ५ सौ की फीस इन लोगों के लिये जो नये रूप से एडवोकेट और एटार्नी की सूची में शमिल हो जाना चाहते हैं अत्याधिक है। शासन ने भी इसको उचित समझा और अब व्यवस्था यह की जा रही है कि पांच सौ के बजाय उस फीस को अढ़ाई सौ रुपये कर दिया जाय। श्रीमन्, उसमें एक और छोटा सा संशोधन है जो एक औपचारिक संशोधन है क्योंकि एक नया ऐक्ट एडवोकेट ऐक्ट बना है। और अब उसके अन्तर्गत ही प्रविष्टि हो पाती है। इसलिये उसको ठीक करने के लिये एक औपचारिक –शाब्दिक संशोधन इसमें दिया गया है। मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले सदस्य भी क्योंकि जब वे इधर बैठते थे उन्होंने इसका औचित्य समझा था, इससे सहमत होंगे और इधर बैठने वाले सदस्य भी सहमत होंगे। अतः मुझे इसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने जो इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) का अधिनियम पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं इसलिये कि जब पांच सौ रुपये फीस रक्खी गयी तो आज दशा यह हो गई है कि बार काउन्सिल ने यह तय कर दिया है कि जो एडवोकेट नहीं होंगे उनको हाई कोर्ट में या सेशन न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जो नये आदमी हैं उनके लिये एक रियायत की है। मगर दूसरी तरफ उन्होंने नोटरी का पांच सौ रुपये रख दिये हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पांच सौ रुपये ज्यादा थे। जब दो सौ पचास रुपये इधर रक्खे थे तो दो सौ पचास रुपये उधर भी रख देते। पांच सौ रुपये नोटरी में दे, यह ज्यादा हैं। मुझे एक प्रार्थना करनी है कि आपने डिस्ट्रिक्टस में एक-एक दो-दो नोटरी रक्खें हैं। जैसे हमारे फतेहपुर की बात है वहां एक नोटरी है। आज जिले की हालत यह है कि जिसे हजार या दो हजार रुपये तकावी या ऋण लेना है उसे फतेहपुर आना पड़ता है और जब फतेहपुर दस रुपये लगाकर वह आये तो वह साढ़े चार रुपये कोर्ट फीस भी दे, वह भी अब बढ़ कर ९ रुपये हो जायेंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप हर तहसील में

---

†जून, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल]

एक एक नौटरी कर दें जिससे सरकार को और किसान दोनों को राहत मिले। जो काम आप अच्छा करेंगे उसकी हम सराहना करेंगे। कोई खास बात नहीं है इसमें कभी उधर वाले इधर बैठें और उधर वाले इधर बैठें हैं तो हमारे भाई कोई अंग्रेज तो बैठे नहीं हैं जिनका हम जानबूझ कर विरोध करें। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हर तहसील में आप नोटरी की व्यवस्था कर दें। यदि मंत्री जी मेरे इस सुझाव को भी मान लें तो मैं उनका बड़ा ही अनुग्रहीत हूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हू।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बिल सदन के समक्ष रखा है जिसका सारा प्रदेश समर्थन और स्वागत करेगा। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वे जानते हैं कि जो नये लोग प्रैक्टिस करने के लिये आते हैं, एनरोलमेंट के लिये आते हैं उनके सामने क्या क्या-समस्यायें आती हैं। बार काउन्सिल की फीस और स्टैम्प दोनों को देना उनके सामर्थ्य के बाहर होता है। मैंने स्वयं इसके लिये पत्र भी सरकार को लिखे, बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्ताव भी पास हुये। उसी जन भावना का आदर करते हुये संविद की यह सरकार इस बिल को लायी है। इस संविद सरकार ने कुछ और भी कदम आते ही उठाये हैं जैसे सवा छः एकड़ की माफी, वृत्ति कर की समाप्ति आदि जिनका आज सारे प्रदेश में हृदय से स्वागत किया जा रहा है। इससे यह बात सिद्ध हो गयी है कि इस संविद सरकार का ध्यान गरीब किसानों की ओर भी है, मध्यम वर्ग के लोगों की भी ओर है और जो नवजवान साथी अपने को कहीं स्थापित करना चाहते हैं उनकी ओर भी है। भाई पन्नालाल जी ने जो सुझाव नोटरीज के बारे में दिया है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी को अनुभव होगा कि जो नोटरीज नियुक्त किये जाते हैं वे ऐसे वकील होते हैं जो साधारणतः दूसरे अच्छे वकीलों के मुकाबले प्रैक्टिस में खड़े नहीं हो पाते। इसलिये यह कदम ऐसे लोगों के लिये है जो सचमुच में प्रैक्टिस के अन्दर अपने आप को दूसरे अच्छे वकीलों के मुकाबले नहीं चला पाते। इसके अन्दर जो आपने रुपये का एक सापदंड रख दिया है, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा होने से जो वाकई में गरीब वकील हैं, जो सचमुच में प्रैक्टिस भी दूसरों के मुकाबले नहीं कर पाते हैं, वे नहीं आ पाते। इसलिये इस फीस को भी कम करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि नोटरीज नियुक्त करने में सरकार जो कंजूसी करती है, वह नहीं करना चाहिये। छोटे छोटे कोर्ट्स में भी हर जगह नोटरीज की व्यवस्था होनी चाहिये। उदाहरण के लिये देहरादून में मंसूरी में, रिशीकेश में इनके न होने से बड़ी परेशानी होती है। साथ ही जिले में मुख्य स्थान पर दो दो नौटरीज होने चाहिये। इनकी संख्या बढ़ाने से जनता को अधिक सुविधा हो जायेगी। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप इस पर भी पुनः विचार करें कि नोटरी की फीस ५०० से घटा कर २५० रुपये कर दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश इंडियन स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९७०- जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, उस पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। महोदय, यह जो बिल सदन में पेश हुआ है, यह सम्भवतया पिछली सरकार के समय का है, जो सरकार कांग्रेस (आर) और बी० के० डी० से मिल कर बनी थी। जो माननीय विरोधी सदस्य अभी बोल रहे थे, कह रहे थे कि यह सरकार बड़ी लोकप्रिय है, इसने बड़ा कमाल कर दिया है यह मानकर ,इसने गरीबों को बहुत राहत दी है, ये बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। यह तो ५०० रुपये से घटा कर ढ़ाई सौ रुपये तो पिछली बार सरकार ने कर दिया था, अगर आप इसको बिलकुल समाप्त कर देते तो मैं मानता कि जनसंघी भाई और

समाजवादी भाई कमाल कर रहे हैं। यह तो कारामात सब कांग्रेस दल की है, जो दल आज इस समय विरोधी पक्ष में बैठा हुआ है। यह फीस माफ करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वकीलों को अपना एनरोलमेंट कराना पड़ता है, जब वह न्यायालय में जाते हैं। वह तो पहले से ही वकालत पास होता है, ट्रेनिंग लिए होता है, उसके पास एक सार्टिफिकेट तो होता ही है, वह जा ही सकता है किसी न्यायालय में वकालत पास होने के नाते। उससे इसके लिए केवल एक-डेढ़ रुपये के कागज पर आवेदन पत्र लेना चाहिए कि वह फलां जिले के न्यायालय में काम करना चाहता है। इसके माफ करने से एक फायदा यह और होगा-आज गांधी जी और कांग्रेस सरकार की कृपा से जो गरीब, हरिजन और साधन हीनों के लड़के पढ़ लिखकर हर जिले में दो-चार वकील हो गये हैं, उन्हें भारी राहत मिलेगी। ऐसे हरिजनों, गरीबों और साधन-हीनों के लड़के ५०० या २५० रुपये देकर ऐडवोकेट बनें, तब अदालत में जाने का उनको मौका मिले, यह उनके लिये बड़ा कठिन है। वैसे ही गरीब किसान और हरिजन घर के वकीलों के पास मुकदमे ही बहुत कम आते हैं, ऊपर से उसे पांच सौ-ढ़ाई सौ रुपया फीस देना पड़ेगा तो उनके सामने बड़ी आर्थिक कठिनाई पैदा होगी। जैसा कि जनसंघ दल के माननीय सदस्य ने बताया उसे कोई स्टाम्प भी भरना होता है--यह भी उस पर बोझ है। तो यदि उसे बिलकुल मुक्त कर दिया जाए तो बहुत ही कृपा इस सरकार की होगी और मैं इस सरकार बड़ा ही आभारी हूंगा। मैं ही नहीं सारा वकील समाज और खास कर गरीब परिवारों के लोग बहुत ही आभारी होंगे।

आज न्याय के लिये गरीब किसान व मजदूर को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। वकील उसको राहत देता है। तो यदि गरीब की मदद करने वाला वकील ही कष्ट और कठिनाई में होगा, उसके साथ न्याय नहीं होगा, तो बताइये वह कैसे गरीब मुवक्किल को राहत दे पायेगा इसलिए इस स्टाम्प डिवटी को बिलकुल समाप्त कर देना चाहिए-गरीबों और वकील दोनों के हित में। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उच्च न्यायालय में जाने के लिए एक लिस्ट होती है। उसमें प्रवेश के लिए फीस ली जाती है। उच्च न्यायालय लखनऊ में है। जिलों में नहीं है। वहां भी जो छोटे छोटे वकील हैं उनसे भी फीस ली जाती है। हाई कोर्ट के लिये ढाई सौ रुपये फीस रख देते। लेकिन जिले और तहसील लेविल पर जो अदलातें हैं उनमें जो वकील वकालत करते हैं उनसे फीस नहीं ली जायगी, यह कर देते। लेकिन इस गवर्नमेन्ट का कोई नया विचार या नया संशोधन नहीं आया। वही पुरानी ढपली यह सरकार बजा रही है। जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था यहां पर जो भी आता है, गरीब, शोषित, पीड़ित हरिजन, यही तीन चार शब्द ऐसे हैं जिनका नाम इस्तेमाल करता है। कितनी हमदर्दी माननीय सिंडिकेट के भाइयों को गरीबों से है, कितनी हमदर्दी जन संघी भाइयों को है और समाजवादी कहे जाने वाले जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनको कितनी हमदर्दी है इसका नमूना मैं पेश करूं पिछली सरकार जब बनी तो राज्यपाल के अभिभाषणा में माननीय चौधरी साहब ने घोषणा की थी कि अधिकतम जोत की हदबन्दी की जायगी। उसमें उन्होंने कहा था कि ३० एकड़ से अधिक कोई जमीन नहीं रख पायेगा।

(व्यवधान)

हमारे भाई राजितराम जी और इनका दल जन संघी भाइयों के साथ बैठ गया है। समाजवाद समाजवाद चिल्ला रहे हैं। गरीबों पर दया दिखला रहे हैं। अगर यही एक बिल ले आये होते, और बड़े लोगों पर थोड़ी सी नजर रखते, यही एक समाजवादी कदम उठाते तो मैं समझता कि यह सरकार आर्थिक असमानता समाप्त करने पर विचार कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सरकार अत्यन्त कमजोर सरकार है। इसमें कोई दम नहीं है। यह गरीबों के हित का कोई कार्य नहीं करना चाहती। सिंडिकेट पूंजीपतियों का दल है और जन संघ और स्वतन्त्र भाइयों की दशा को हर व्यक्ति जानता है। जो चौधरी साहब ने अपने मुख्य मंत्रित्व के समय राज्यपाल महोदय के भाषण में वादा किया था क्या उसको पूरा करवा पाएंगे? मैं चैलेंज के साथ संसोपा भाइयों

[श्री रामलाल राही]

से कहता हूं कि अधिकतम जोत सीमाबन्दी का विधेयक लाये तो मैं समझूंगा कि उनका कोई कदम जनसंघी भाइयों के साथ उठ रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह जनहित का कोई कार्य करेंगे।

एक सदस्य—

पंडित जी से कहिए कि गोपालपुरा फार्म छोड़ दें, मिर्जापुर का।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अभी आध घंटे में पास करना है। सरकार पक्ष इस तरह से छेड़खानी करेगा तो कैसे पास होगा ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिकतम जोत सीमा पर विवाद नहीं हो रहा है। अधिकतम जोत सीमा की जो घोषणा चौधरी साहब ने की थी, उसका विरोध इंडिकेट के लोगों ने नहीं किया था ? जिन लोगों ने उस घोषणा को कार्यान्वित नहीं होने दिया वही दलील दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि अगर श्री नित्यानन्द स्वामी ने असंगत बाते नहीं कही होती तो यह नहीं होता। आपकी तरफ से भी हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन, मुझे दुख है कि आपने एक रूलिंग दी कि मैंने असंगत बातें उठाई हैं। श्रीमन, मैं मर्यादा के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमन, उस समय पीठासीन नहीं थे। इसलिये इस प्रकार का निर्णय उस समय जो पीठासीन थे वही दे सकते थे कि असंगत बात थी या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने शब्दों को वापस लें।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप भी अपने शब्दों को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपाकर बैठ जांय। मेरे सामने आपने भाषण दिया और आपने जो बातें इधर-उधर की कहीं अगर उनका कोई जवाब देता है तो क्या किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप गुस्से में हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप बैठ जांय।

श्री मैनेजर सिंह—

आप मर्यादित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सरकारी पक्ष को चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी)—

श्रीमन, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल तिवारी जी ने कहा था कि हम आपस में भले ही कुछ कटुता के शब्द प्रयोग कर लें लेकिन ऐसा अवसर न दिया जायं कि आपका मूड खराब हो। आप दोनों के बीच में हैं। आप ऐसा रुख अपनाते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि सही बात के सोचने में कठिनाई होती है। क्योंकि क्रोध में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिय मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि भले ही आप जोर से कहें लेकिन शरीर की आकृति ऐसी न प्रकट करें कि आप रुष्ट हैं। आजतक तर्कपूर्ण भाषण नित्यानन्द स्वामी जी देते रहे हैं। मान लीजिये आपके विचार से वह गलत है तो सदन की मर्यादा को ध्यान में रखकर आप सन्तुलित शब्दों का प्रयोग करें, मूड न खराब करें, मर्यादा में रहें।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की मर्यादा इसी में है कि जिसको समय दिया गया है उसे बोलने का अधिकार है और मैंने देखा कि जब श्री राम लाल राही बोल रहे थे तो उधर से छींटाकशी की कोशिश की गई। कोई अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ कहता है तो मैं रोकता नहीं हूं। मैंने नित्यानन्द स्वामी जी को नहीं रोका लेकिन जवाब में कोई उत्तर दे तो आपको सुनना चाहिये।

एक सदस्य—

असंगत बात नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं खड़ा हूं तो यह कहना कि मैं क्रोध में हूं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सदन की मर्यादा भंग करने की कोशिश करेंगे तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं बोल सकते हैं, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

आप शांति से सदन का संचालन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं शांति नहीं रखना चाहते।

(व्यवधान)

अगर आप इस तरह से बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा और खड़ा होकर ही सदन को चलाऊंगा। मैं सरकारी पक्ष से कहूंगा और नेता सदन से कहूंगा कि अगर वह संयम में नहीं बांध सकते हैं तो मुझे अपने कर्त्तव्य के निर्वाह में कठिनाई पड़ रही है।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

मान्यवर, श्री मैनेजर सिंह जी को भ्रम हो गया कि आप क्रोध में हैं। आप क्रोध में नहीं हैं, आप तो हंस रहे हैं। सदन की कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री रामलाल राही—

जब मैं बोल रहा था तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि विषय कुछ है और मैं बोल कुछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी-अभी हमारे एक समाजवादी भाई बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि समाजवाद ऐसे नहीं आयेगा, समाजवाद लाली और टिकली लगाने वालों से नहीं आयेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने चेहरे को तो देखते कि टिकली उनके माथे पर तो नहीं लगी है। इसीलिए तो मुझे शक है कि आप भी समाजवाद नहीं ला पायेंगे और इसीलिए मैं कहता हूं कि जनसंघियों का साथ छोड़ दीजिये, सिन्डीकेट भाइयों का साथ छोड़ दीजिये और इधर विरोध पक्ष में आइये।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इसी सदन में निर्देश दिया है कि जो विषय उस से हटकर कोई माननीय सदस्य इधर उधर की बात न बोलें लेकिन हम देख रहे हैं कि विषय कोई और है और माननीय सदस्य उस विषय पर न बोलकर इधर-उधर की बात कह रहे हैं समय का नष्टीकरण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे सहमत हूं। बहुधा ऐसे भाषण होते हैं जो असंगत हैं। कोई योग्यता तो है नहीं। सदन के लिए कोई योग्यता नहीं है। यह सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो सुन लीजिये। टोकने की कोशिश करता हूं कि विषय पर बोलें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण के शब्द तो सुने थे लेकिन यह नष्टीकरण शब्द कहां से आ गया।

श्री उपाध्यक्ष—

भाषा विद्वानों की मूर्खता से भी कई दफे बढ़ती और है।

श्री रामलाल राही—

मैं कह रहा था कि जिनसे पाला पड़ा है उनके साथ रह कर समाजवाद नहीं ला पायेंगे। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टैक्स माफ कर सकते हैं लेकिन इनसे प्रदेश की गरीब जनता का भला होने वाला नहीं है। गरीब जनता का भला तो तब होगा जब उसके सामने कोई अच्छी रूपरेखा आप रखें। जैसे मान लीजये कि आपको न्याय दिलाना है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि न्यायालयों में क्या व्यवस्था की जाय जिससे कि गरीब आदमी को न्याय दिला सकें।

मान्यवर, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में जहां कि लखनऊ तथा इलाहाबाद दो ही स्थानों पर हाईकोर्ट हैं वहां पर यदि कोई गरीब आदमी न्याय पाने के लिये आता है तो उसको करीब १०० या १५० रु० व्यय करके आना पड़ता है तथा साथ ही उसको १०० या ५० रुपया और ऊपर से व्यय करना पड़ता है। यही नहीं उसकी न्यायालय में भी अच्छी खासी खिचाई होती है कि उसका दम ही निकल जाता है। इस तरह से अपनी जेब को पूरी तरह खाली करके किसी प्रकार से वह घर पहुंचता है तो उसकी हालत एक दम से खराब हो जाती

है क्योंकि उसको इन्साफ भी नहीं मिलता है और जो कुछ उसके पास था वह भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से मान्यवर वह नंगा, भूखा निर्धन व्यक्ति हताश और निराश होकर बीमार हो जाता है। उसने न्याय पाने के लिये इतना कष्ट सहा, इतना पैसा खर्च किया परन्तु उसको मिला क्या ? इस प्रकार से मंत्री जी ने जिस समाजवाद का नाम लिया वह तो ऐसे आने वाला नहीं है और न तो इससे गरीब, निर्धन जनता का कोई फायदा होने वाला है। जो इसमें संशोधन लाया गया है उससे मान्यवर, उस साधारण जनता का क्या कोई फायदा हो सकता है। मैं तो यही समझता हूं कि इससे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसके लिये समय स्वयं निर्धारित किया है। इसमें कई खंड हैं। तीन बजे तक इसको समाप्त करना है। जो सूची है उसके हिसाब से इसके बाद में एलेक्ट्रिसिटी बिल को लिया जायगा और मैं समझता हूं कि उस पर काफी सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप ही ने तो इतनी चर्चा करवा दी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं नियंत्रित हो जांय तो सारे सदन को मैं सम्हाल लूंगा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

एक सदस्य—

आप स्वयं समय को बांध दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय तो बंधा है। आप उसके अनुसार चलें। अब आगे चलें। प्रश्न यह है कि इन्डियन स्टाम्प : (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ११ में, खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(सी) एडवोकेट ऐक्ट, १९६१ की धारा २२ के अधीन उत्तर प्रदेश को स्टेट बार काउन्सिल द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र;"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री राम सिंह खन्ना का नाम पुकारा परन्तु वे अनुपस्थित थे)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह जो संशोधन है उसके लिये ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार तैयार नहीं है तो इसके पारण के लिये कार्य करें ।

खण्ड ३, नया खण्ड ४, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

इण्डियन स्टाम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ में, अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

प्त नाम प्रसार ।

१—(१) यह अधिनियम इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलाएगा ।

(२) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

ची ी का धन

३—मूल अधिनियम की अनुसूची १—बी में, अनुच्छेद ३० में, द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

" दो सौ पचास रुपये ";

खाद्य तथा रसद् राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के प्रस्ताव को लाने के लिये मुझे अधिकृत कर दिया गया है । मैं इसे सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० के खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्

" ३—मूल अधिनियम की अनसूची १—बी में—

(१) अनुच्छेद १७ के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :

" १७—ए—एडवोकेट्स ऐक्ट, १९६१ की धारा २२ के अधीन उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउन्सिल द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र ।

१७—बी—नोटरीज ऐक्ट, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में प्रेक्टिस करने का प्रमाण-पत्र, या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन । "

(२) अनुच्छेद ३० निकाल दिया जाय ।

नया खंड ४—

खंड ३ के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अध्याय ७ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।"

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि जो इस संशोधन विधेयक का मूल अभिप्राय है, उद्देश्य है वह है कि जो नये एडवोकेट स्टेट बार काउन्सिल में भर्ती होते हैं उनको ५०० रु० देना पड़ता है। तो उस ५०० रु० को घटाकर २५० रु० करने का है। इसका यही उद्देश्य है। लेकिन यह जो संशोधन अब रखा जा रहा है इसके द्वारा इस विधेयक की परिधि बढ़ जाती है जो कि इसके बाहर है। आप श्रीमन्, देखेंगे कि नोटरीज ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में प्रेक्टिस करने की फीस ५०० रु० की जाती है तो नोटरी ऐक्ट का संशोधन इस समय विचाराधीन नहीं है। यह दूसरा ऐक्ट है और इसके लिये दूसरा विधेयक आना चाहिये। इसलिये श्रीमन्, इस खंड को इसमें सम्मिलित करने की अनुमति न दी जाय।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो आपत्ति उठाई है वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होती। असल में यह अधिनियम कितना स्टाम्प लगाया जाय, इसका अधिनियम है और प्रार्थनायें अन्य-अन्य अधिनियम के अन्तर्गत होती हैं। जो मूल विधेयक है उसको आप देखेंगे तो श्रीमन्, उसमें लिखा हुआ है कि एडवोकेट्स ऐक्ट के अनुसार जो प्रविष्टि होंगी, उसमें इतना स्टाम्प लगेगा। इसलिये स्टाम्प एक्ट यह निर्धारित करता है कि किस चीज पर कितना स्टाम्प लगाया जाय। श्रीमन्, एडवोकेट्स ऐक्ट में बार काउन्सिल जब किसी को प्रविष्ठि देगी उसमें यह व्यवस्था की गई कि ५०० रु० के बजाय २५० रु० कर दिये जायं और थोड़ा श्रीमन्, उसमें यह भी है कि नोटरीज ऐक्ट के अन्तर्गत अगर कोई नोटरी नियुक्त होगा तो उस पर कितना स्टाम्प लगाना पड़ेगा। उसको ५०० रु० स्टाम्प लगाना पड़ेगा। जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है कि इस अधिनियम की परिधि बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें तो यह निर्धारण करना है कि किस चीज पर कितना स्टाम्प लगाया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, जो स्टाम्प ऐक्ट हमारे सामने हैं उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है--शासन के पास समय-समय पर से प्रत्यावेदन आते रहे हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है है कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउन्सिल द्वारा एडवोकेटों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में ५०० रु० का स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया जाय। सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् शासन ने उक्त शुल्क को इस समय ५०० रु० से घटाकर २५० रु० करने का निर्णय किया है। इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की अनुसूची १--बी के आर्टिकल ३० को तदनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस अवसर का प्रयोग उक्त ऐक्ट की धारा ११ (सी) में भी आनुषंगिक शाब्दिक संशोधन करने के लिये किया जा रहा है। उद्देश्य और कारण में एक बात लिख दी इसी को लेकर आर्डिनेंस जारी हुआ। आज उसी के लिये संशोधन किया जा रहा है कि वकील अथवा एडवोकेट की फीस ५०० रुपये से घटा कर २५० रुपये की जाय। उसमें को नोटरी की फीस का उल्लेख नहीं था और न विधेयक के उद्देश्य और कारण में था। विचार के समय नोटरी वाली बात पेश की जाती है। श्रीमन्, यह बड़ी वैधानिक बात है, इसके ऊपर विचार स्थगित किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश—

माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि एक अध्यादेश निकाला था और उसमें इसकी चर्चा नहीं थी, तो यह सही बात है। लेकिन यह भी अपनी जगह सही है कि जब अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाया जाता है तो जो कुछ अध्यादेश में लाया गया था वही बिल में आना आवश्यक नहीं है। विधेयक जब लाया जाता है और अध्यादेश में लिखी बातों में कोई कमी करना अथवा संशोधन करना भी न्यायसंगत माना जाता है, सीमा के अन्दर बात मानी जाती है। इसलिये अगर अध्यादेश के अन्दर इसकी काई चर्चा नहीं थी और जो विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उसमें वह संशोधन पेश किये गये हैं जिनको इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कि गया है वे सीमा के अन्दर हैं और टेक्निकल हैं। इसलिये मेरा निवेदन यही है कि जो संशोधन मेरे साथी, खन्ना ने उपस्थित किया है कम से कम इस बात के ऊपर तो रिजेक्ट नहीं किये जा सकते कि यह इस विधेयक की सीमा के अन्तर्गत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो तिवारी जी ने बात कही कि विचार के समय वित्त मंत्री जी को इसका कुछ उल्लेख कर देना चाहिये था इस बात से तो मैं सहमत हूं क्योंकि यह जोड़ा जा रहा है और स्टाम्प जहां लगता है उस पर मुख्यता यह संशोधन है। उसको जोड़ कर उसकी पूर्ति करने का अख्तियार सरकार को है। यह जरूर है विचार पहले पैदा होता तो यह जोड़ दिया जाता लेकिन क्या इस टेक्निकल्टी पर किसी विधेयक की परिधि को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप परम्परा के रक्षक हैं। सरकार को तजुर्बा होना चाहिये, योग्यता होनी चाहिये कि विधेयक किस तरह से रखा जाता है। टेक्निकल बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप सख्ती दिखायेंगे तो सरकार होश में आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको यह आपत्ति नहीं है कि यह जोड़ा नहीं जा सकता। आपने यह तर्क उपस्थित किया है कि माननीय मंत्री को इसका उल्लेख कर देना चाहिये था।

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूं। जो विधेयक मैंने उस समय उपस्थित किया था जैसी कि सदन की मर्यादा है, मैंने यही उचित समझा था कि अपने आपको उसी तक सीमित रखूं। जब संशोधन आयेगा तो संशोधन के विषय में मैं चर्चा करूंगा, अगर यह बात है तो मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं और अगर आप इस तरह की मर्यादा समझते हों कि जो चीज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उससे बाहर जा कर भी किसी बात के ऊपर चर्चा करूं तो मैं जरूर समझता हूं कि यह मेरी कमी रह गयी। अगर इस सदन की यह मर्यादा थी तो उसे मुझे पूरा कर देनी चाहिये थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आइन्दा सरकार को ज्यादा सतर्कता से काम करना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

नारायण दत्त तिवारी जी का मंशा यही था कि विधेयक के अन्दर होता यह संशोधन...

श्री उपाध्यक्ष—

अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब किसी को इस खंड ३ में कुछ कहना है?

प्रश्न यह है खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय अर्थात्—

"३—मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में—

(१) अनुच्छेद १७ के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं अर्थात्:

" १७-ए-एडवोकेट्स ऐक्ट, १९६१ की धारा २२ के अधीन उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र।

१७-बी-नोटरीज ऐक्ट, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में प्रेक्टिस करने का प्रमाण-पत्र या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन।"

(२) अनुच्छेद ३० निकाल दिया जाय।

तथा खंड ३ के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय अर्थात्—

"४—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अध्याय ७ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब खंड तीन के स्थान पर संशोधित खंड ३, नया खंड ४, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय। श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इसमें जो विचार रखे हैं जैसे कि श्री पन्ना लाल जी और श्री राही जी ने, उनके इन विचारों का खयाल रखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७०†

विद्युत् उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा अमेन्डमेण्ट है और इसमें ३-४ खास-खास बातें हैं। पहली बात तो यह है कि औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी बिजली शुल्क लगाया जाय। दूसरे जो अपने डोमेस्टिक परपज के लिये अपने ही विद्युत् जेनेरेटर से बिजली लेते थे, ऐसे उपयोग पर भी शुल्क लगाया जाय। तीसरे, अन्य राज्यों की भांति सम्भरणकर्ता पर उसके द्वारा बेची गयी बिजली पर

---

†२९ जून, १९७० को कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

भी शुल्क लगाया जाय और उपभोक्ता से उसकी वसूली करने का अधिकार उसे दिया जाय। चौथी बात यह है कि इस विधेयक के जरिये से ड्यूटी की दर निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में प्रति यूनिट के हिसाब से निश्चित की जा सकेगी। यह ३-४ खास खास बातें इस विधेयक में हैं। मुझे आशा है कि हमारे माननीय सदस्य इन बातों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को पारित करेंगे।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में, जिसको एक छोटा सा विधेयक कहा जा रहा है, सिद्धान्त रूप से विरोधस्वरूप कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, सन् ५२ से इस सदन में मैं बिजली के सम्बन्ध में कहता आ रहा हूं और जो बात आज मैं विरोध पक्ष में बैठ कर कह रहा हूं, वही बात मैं उधर बैठ कर भी कही थी। यह सत्य है कि आज हमारा प्रदेश पिछड़ रहा है और उसका पिछड़ना अभी जारी है। मैं इस बात के विवाद में तो पड़ना नहीं चाहता कि इसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है अथवा केन्द्रीय सरकार की है और न कुछ व्यक्तियों के नाम लेकर ही उनको जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे प्रदेश का वह पिछड़ना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और उसका मूल कारण हमारे यहां बिजली की कमी है, बिजली के सम्बन्ध में हमारा जो कार्यक्रम हैं, जो उसका ऐक्जीक्यूशन प्रोग्राम है, उसमें जो अनेक प्रकार की खामियां हैं, वे इसके लिये जिम्मेदार हैं। इस विज्ञान के युग में बिजली का क्या महत्व है, इसको रूस में जाकर देखा जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय सदस्य की प्रेरणा का स्रोत रूस है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

माननीय सदस्य की प्रेरणा का स्रोत अमेरिका हो सकता है लेकिन मेरी प्रेरणा का स्रोत न रूस है और न अमेरिका है किन्तु हमारा भारत देश है। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अमेरिका और रूस यदि विश्व में आज महान शक्तियां हैं तो वह बिजली के ही कारण से हैं और हमारा देश और प्रदेश अगर पिछड़ा हुआ है तो वह बिजली की कमी के कारण से ही है।

(कुछ शोर सा होने पर)

मेरी इधर के बैठने वाले मित्रों और उधर के बैठने वालों से मेरी यह प्रार्थना है कि हो सकता है मेरे कुछ मित्र मेरे विचारों से सहमत न हों लेकिन मैं जो आज मौलिक बातें कह रहा हूं, उनमें आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि इधर के बैठने वाले लोगों की है।...

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें हमारे राज्य के और हमारे प्रदेश के जीवन मरण का प्रश्न हो उसमें हमें अपनी पार्टी से ऊपर उठना चाहिये। आज आप जरा देखें और हमारी नीति को समझें। मैं १६५२ से जब भी विधान सभा में रहा बराबर सरकार को चेतावनी देता रहा कि जो आपके कार्यक्रम हैं, जो आपकी बिजली सम्बन्धी नीति है, जो आपकी एक्जीक्यूशन की पालिसी है, वह हमारे प्रदेश को पिछड़ा देगी और उसका परिणाम मुझे याद है, श्रीमन् यह मैंने ही नहीं कहा बल्कि जिस समय इस प्रदेश में एक कमेटी बनाई गई कि इस प्रदेश को किस तरह से इंडस्ट्रियेलाइज करना चाहिये, उसमें ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति रखे गये जिनको इसका अनुभव था और माननीय गुप्ता जी, की सरकार ने उसमें मुझे भी रखा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बिजली बढ़ाने की बात नहीं है। बिजली कम है या ज्यादा है वह अलग चीज है। मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। लेकिन आज यह चर्चा का विषय नहीं है। आज जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं उसके बारे में यदि माननीय सदस्य सुझाव देंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा।

श्री देवकीनन्दन विभव—

मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत के संबंध में उसकी कास्ट इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी बिजली का उत्पादन करते हैं, कितनी कंज्यूम होती है और किस-किस काम को आप बिजली देते हैं, इन सारे सवालों को पृथक नहीं किया जा सकता है।

हमारे प्रदेश में आज उद्योगों के लिये जितनी बिजली तेज मिलती है उतनी तेज और कहीं नहीं मिलती है। जबकि दूसरे अन्य प्रदेशों में केवल दो–तीन को छोड़कर बिजली का पर यूनिट और ४ कुछ आता है और हमारे यहां ८.१ औसत आता है जो इंडस्ट्रीज को बिजली दी जाती है। आज बिजली को उद्योगों के लिये और भी तेज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बंगाल से बहुत से इंडस्ट्रिलिस्ट्स और कहीं जाना चाहते थे, मुझे याद है कि हमारे विद्युत मंत्री जी ने घोषणा की थी कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को वे बंगाल से लायेंगे और उद्योगों को यहां स्थापित करायेंगे। कितने उद्योगपति यहां आ चुके हैं ? यदि उनको असफलता मिली हैं तो उन्होंने उन कारणों पर भी विचार किया है। जब वे कहते हैं कि हम प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो बिजली की दर उद्योगों के लिये बढ़ाई जाती है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मंत्री जी ने सारी समस्याओं पर विचार नहीं किया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और आज इस प्रदेश के हित के नाते उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को जो बिजली की बाबत, उद्योगों की बाबत और आर्थिक प्रश्नों की बाबत कुछ समझते हैं और जो यह समझते हैं कि क्या कारण है कि इस प्रदेश की गरीबी बढ़ती जा रही है तो उन्हें बुलायें और यह समझें कि क्या हो रहा है, क्यों बिजली के रेट ज्यादा होते जाते हैं। एक तरफ आपको बिजली की स्कीमों में नुकसान होता जा रहा है, आपके विद्युत परिषद की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है इसको आप बिजली रेट बढ़ा कर ठीक करना चाहते हैं और जिन कारणों से घाटा हो रहा है उन कारणों को आप जानना नहीं चाहते। आप यह नहीं देखते हैं कि आखिर उत्पादन ज्यादा महंगा क्यों है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे यहां बिजली क्यों महंगी पैदा होती है ? क्या कभी उन्होंने यह सोचा है कि हमारे प्रदेश में आज भी थर्मल से पैदा होने वाली बिजली का अनुपात हाइडल से पैदा होने वाली बिजली के अनुपात से ज्यादा है जब कि दूसरे प्रदेशों में हाइडेल बिजली का अनुपात ज्यादा है ? वह यह भी सोचें कि यह प्रदेश जिसको ६०० मील दूर से कोयला लाना पड़ता है इन थर्मल स्टेशन्स के लिये जबकि हमारे पास हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के लिये सारे प्रदेश में साधन हैं, हिमालय हमारे प्रदेश में खड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में हिमालय है। यहां हाइडल बिजली पैदा करने के सब से अधिक साधन हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी टैक्नो एकोनामिक सर्वे जो उत्तर प्रदेश का हुआ है उसकी रेकमेंडेशन्स को देख लें। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रदेश के लिये हाइडल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सस्ती पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहस की परिधि को बढ़ा रहे हैं। इसमें केवल तीन बातें हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यदि आपका उत्पादन व्यय कम हो तो आपको यह ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह ड्यूटी कहां से आती है? यह डयूटी कोई उद्योगपति अपनी जेब से नहीं देते हैं। यह ड्यूटी लगती है उन सारे उत्पादनों के ऊपर जो गरीब जनता के लिये आवश्यक हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रदेश का आर्थिक विकास हो, इसकी गरीबी दूर हो तो मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आप बिजली के सम्बन्ध में अपनी सारी नीतियों को विचार करें। मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्य मंत्री जी प्लानिंग कमीशन के सदस्य रह चुके हैं। मुझे यह भी खुशी है कि आज जो वित्त मंत्री हैं, कैलाश प्रकाश जी, वह भी इन चीजों को समझते हैं। और हमारे जो विद्युत मंत्री हैं वह भी कठिनाई को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ३, ४ महीनों में बिजली की वह सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे। मुझे उनके भोलेपन पर तरस आता है लेकिन मैं उनके एक बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्हें इस बात का अहसास है और वह यह चाहते हैं कि बिजली के सम्बन्ध में जितनी भी कठिनाइयां हैं इस प्रदेश में उनको दूर किया जाय। तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक ऐसा कमीशन बनाइये जो बिजली की सारी समस्या का अध्ययन करे, जो सारे प्रदेशों की बातें समझे कि किस तरीके से वहां पर बिजली की तरक्की हो रही है और क्यों हो रही है। हमारे देश में जो दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, पंजाब है वहां पर बिजली की प्रगति हो रही है तो वह किस तरह से हो रही है। वह इस बात को भी देखे कि किस तरह से वह बिजली का काम कर रहे हैं। उनकी बातों को देखकर फिर अपने प्रदेश में नीति और कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न करें।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां हाइडल की जितनी भी योजनायें बनी हैं चाहे वह रामगंगा की योजना हो, चाहे वह माताटीला की योजना हो और चाहे वह रिहेन्ड डाम की योजना हो और चाहे ओबरा की योजना हो इन सब में आपको यह देखना पड़ेगा कि क्यों इन योजनाओं से प्रगति नहीं हो रही है। रामगंगा परियोजना का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। ४० करोड़ रुपये का उसका मूल बजट था जो आज १२० करोड़ उस पर खर्च कर चुके हैं लेकिन अभी भी उससे एक यूनिट भी बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। इतना समय हो गया उस योजना को जो अभी पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, यदि इसका आर्थिक विकास करना चाहते हैं, यदि यहां पर उद्योगीकरण करना चाहते हैं तो रामगंगा योजना में जो गलती की है यानी ४० करोड़ से १२० करोड़ कर दिया है और आज इतना खर्च करने के बाद आप यह नहीं कह सकते हैं कि रामगंगा योजना से कब तक बिजली इस प्रदेश को प्राप्त हो सकेगी। मैं आपसे कहता हूं कि इधर ध्यान देने की बात है। पार्टी की बात इस प्रकार के विषयों में नहीं आनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश को इस बात की आवश्यकता है कि चाहे वह कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस दल चाहे इधर बैठने वाला हो या उधर बैठने वाला हो या जनसंघ पार्टी हो, या स्वतन्त्र या एस० एस० पी० हो उन सबके लिये इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जो प्रदेश के नुमायन्दे यहां पर चुनकर आये हैं उनको केवल यह देखना चाहिये कि प्रदेश का हित किस बात में है। इस प्रकार के सवाल को बैठकर सब को सोचना चाहिये और पार्टी गत बातों को भुला देना चाहिये। इस बात पर विचार किया जाय कि यह प्रदेश गरीबी के चंगुल में क्यों फंसता जा रहा है और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। यह प्रदेश जो कभी आर्यवर्त के नाम से प्रसिद्ध था और जिसकी सभ्यता और संस्कृति का झंडा सारी दुनिया में फहराता था आज उसकी स्थिति इतनी गिरी हुई क्यों है? इस अपील के साथ मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी, विद्युत मंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी सहानुभूति के साथ इस बात पर विचार करेंगे और विचार करके इसके ऊपर कदम उठायेंगे और जल्दी कदम उठायें जिससे यह प्रदेश गिरने से बचे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि इस बिल में तीन बातें हैं मोटे-तौर से, वहीं तक अपने को सीमित रखें। एक तो औद्योगिक उपभोक्ताओं पर कर लगे या नहीं। दूसरे, विद्युत शक्ति पर कोई

शुल्क नहीं लिया जा रहा है, उसको लिया जाय और तीसरे, ऐसे उपभोक्ताओं पर भी शुल्क लगाया जाय और वर्तमान प्रणाली को बदला जाय। इन तीन मुद्दों पर सीमित रखें, क्योंकि समय कम है। कल तक तो कोई समय की कैद नहीं थी। राजितराम जी, आप सब पर बोलेंगे ?

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

इसलिए कि मेरे यहां बिजली नलकूप....

श्री उपाध्यक्ष—

कारण बताने की जरूरत नहीं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको इजाजत है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने सही व्यवस्था दे दी कि तीन बातों पर सीमित रहें लेकिन शायद अगर आप पहले इसका ध्यान कर गये होते जब कि विभव जी का भाषण हो रहा था तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बराबर आप निष्पक्षता से काम करते हैं ऐसा आचरण करें तो निष्पक्ष लगे, यह भी जरूरी है। जब माननीय पांडेय जी खड़े हो गये तो आपने मुद्दा रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है। खड़े होने पर नहीं, बल्कि मैंने विभव जी को भी टोका था कि परिधि को बढ़ाइये नहीं। यह नहीं है कि राजितराम जी के लिए मैंने कोई कैद रखी है कि शर्तों के अनुसार ही बोलें। यह तो सबके लिए है।

श्री राजितराम पांडेय—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सरकार को मैं बिजली के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जो बिल आया है उसमें आप देखें कि सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब से स्वराज्य आया तभी से बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता रहा है कि हम किसानों को बड़ी राहत देते हैं, खेती में बड़ी सुविधा लाने वाले हैं, लेकिन मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि किसानों की हालत बड़ी खस्ता और खराब हो गयी है—खासकर बिजली के सामले में। आप किसान को जो पंपिंग सेट पर बिजली देते हैं तो यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि आपके पास बिजली है नहीं, आप किसान को दे नहीं पाते लेकिन उस किसान से मिनिमम गारंटी जरूर लेते हैं और फी हार्स पावर पर सवा सौ रुपये के हिसाब से १० हार्स पावर पर १,२५० रुपया ले लेते हैं। उसको खत्म कर दें और किसान जितनी बिजली खर्च करता है उतना ही लें।

अब आपसे यह कहना है कि आपके जो नलकूप चल रहे हैं बिजली के उनके मीटर तोड़ दिये गये हैं और उन किसानों से मनमाना पैसा वसूल किया जा रहा है। जो लोग घूस देते हैं बिजली वालों को तो उनके मीटर तो बने रहते हैं पर जो घूंस नहीं देते उनको इस तरह से मजबूर किया जाता है घूंस देने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि बिजली के मामले में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आज किसान की, गरीबों की कमर टूट गयी है। पानी सींचा नहीं है, और उनको बिला वजह परेशान किया जा रहा है और पानी का बिल वसूल किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। चाहे वह सरकार रही हो या यह सरकार रही है तो, लगातार २० साल से जितना बड़ा भ्रष्टाचार बिजली और चकबन्दी में है उतना बड़ा किसी में नहीं है। चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी यहां बैठे हैं इसलिये मैंने उनको देखकर यह कह दिया। इन दोनों भ्रष्टाचार को हटाना चाहिये। गरीब किसान आज बिलकुल पिसान हो गया है। बिजली के मामले में हमारी सरकार की तरफ से ऐसे कानून ईजाद हुये, मैं भी ब्लाक प्रमुख रहा, सरकार ने कहा कि इतना ऋण देते हैं, आप पम्पिंग सेट और नलकूप लगायें हम बिजली देते हैं लेकिन जिन्होंने पम्पिंग सेट और दूसरे उद्योग के लिये बिजली ले ली है आज उनके घर की नथिया झुलनी सब

[श्री राजितराम पांडेय]

बिक गई। मैं सीधी बात कहूंगा कि जो साथी बिजली के क्षेत्र में जाते होंगे उनको आज सबसे बड़ी शिकायत बिजली की ही मिलती होगी। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आप छोटे उद्योग और घरेलू कामों के लिये जो बिजली देते हैं उस के दाम तो आपने बढ़ाकर ३५ पैसे कर दिये जब कि टाटा और बिरला को आप २ पैसे फी यूनिट बिजली देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बिजली में आप को सीमा बांधना होगी और थोड़ी सी सीमा आप रख सकते हैं। आज किसानों की हालत बड़ी खराब है जो कि बिलकुल काश्तकारी पर ही निर्भर हैं। उसके अनाज के दाम आप देखें कि बहुत सस्ते हैं, एस०एस०पी० ने कहा था कि अनाज के दाम बांधे जायं, अगर दाम बांधो नीति अपनाई गई होती तो हालत यह न होती। किसान की उपज का जौ और बाजरा आज २ ढाई सेर का बिकता है जबकि उसमें उपयोग की जाने वाली खाद के दाम ६५ रुपया बोरा है। जहां किसान को पहले एक रुपये में २४ हजार गैलन पानी मिलता था वहां अब १ रु० का कुल ८ हजार गैलन पानी मिलता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी और यह सरकार देहातों और किसानों की ओर ध्यान दें। लोहे के दाम आज बढ़ते जाते हैं। बिरला को इंदिरा जी की सरकार ने गोआ में कारखाना लगाने के लिये ५५ करोड़ रुपया दे दिया और कहती हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। बिजली के दाम आज इतने अधिक बढ़ गये हैं कि किसान की जिन्दगी तबाह व बरबाद हो गई है और किसान आज भूखों मरने लगा है। २० साल में दूसरे मुल्कों से कर्ज लेकर हमने मुल्क को तबाह कर दिया और किसान की हालत को भी बरबाद कर के हमने ब्लाकों में उसे जबरदस्ती पम्पिंग सेट और बिजली उसको दी और उसकी जमीन और जायदाद को गिरवीं रख कर उनको बांध दिया है। आज किसान उसमें जकड़ गया है, उससे छूटना मुमकिन नहीं है, वह तबाह व बरबाद हो गया है, वह चीख-चीख कर कराह रहा है। आज नई सरकार बनी है, वह पुरानी बात को भूल जाय, जो कार्य पिछले २० साल में हुआ है और जिस पाप को हम आज भोग रहे हैं, मैं माननीय टी० एन० सिंह से कहूंगा कि वह श्री लाल बहादुर शास्त्री जो एक गरीब परिवार के प्राइम मिनिस्टर थे उनके वह साथी हैं और वह आचार्य नरेन्द्रदेव जी के साथी हैं हालांकि वह शहर के रहने वाले हैं वह काम शहर का ही करेंगे कभी वह देहात में नहीं रहे, वह देहात के लोगों के कष्ट को अपनी आंख के सामने नहीं रख सकते। अगर वह देहात के लोगों की हालत पर उनके कष्टों पर ध्यान नहीं देते तो यहां एक इन्कलाब आयेगा और वह किसी के दबाये दबने वाला न होगा। आज किसान पैसा दे रहा है। हमारे यहां इलाहाबाद में तो बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार है, वहां लोग पैसा खर्च करते हैं लेकिन फिर भी बिजली नहीं मिलती, वहां कर्ज लेकर किसान सूद दे रहा है, आज जब तक वह दो-चार सौ रुपया इंस्पेक्टरों को और बिजली कर्मचारियों को नहीं देता उसका काम नहीं होता।

श्रीमन्, बिजली में बहुत चोरी होती है। बिजली का सारा माल चुरा लिया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में सी० आई० डी० द्वारा जांच करावें। आज यह होता है कि जो हमारे बड़े-बड़े नेता हैं वे इस विभाग के इंजीनियरों से हर महीने घूस लेते हैं और कहते हैं कि तुम बिजली का माल चुराओ लेकिन हमको ५ हजार रुपया या ६ हजार रुपया हर माह दो। इलाहाबाद के इंजीनियर एक बार मेरे सामने रोने लगे और कहने लगे कि उन्हें हर माह ५–६ हजार रुपया वहां के नेताओं को देना पड़ता है। लोगों के पास खाने तक का ठिकाना नहीं, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से वे १४–१५ सौ व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय कमलापति जी से प्रार्थना करूंगा कि वे लोग मिल कर सी० आई० डी० द्वारा इन इंजीनियरों और नेताओं के खिलाफ इन्क्वायरी करायें। इन लोगों ने २० साल से लगातार किसानों और गरीबों का खून चूसकर ऐशो-आराम किया है और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है।

इन शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने के लिए एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर जो खर्चा होता है, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें माननीय मंत्री जी ने कुछ एजेम्शन्स भी रखे हैं। मैं ईमानदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता अगर माननीय मंत्री जी इस एक्जेम्शन्स में यह लिखा देते कि उन इन्डस्ट्रियल यनिट्स को भी एवजेम्पट किया जायगा जो किसान के हित की चीजें हैं जैसे आबपाशी या खाद वगैरह के प्रोडक्शन से सम्बन्धित हैं, जिससे हमारे प्रदेश के खाद्यान्न को बढ़ाने में सुविधा मिलती। लेकिन ऐसा नहीं किया है। एक्जेम्शन में उन यूनिट्स को रखा गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार से या सबे की सरकार से लाइसेंस मिला है। मझे इससे सन्देह होता है कि एक्जेम्शन देने में जो देश में बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जैसे टाटा, बिरला हैं जिन्होंने एल्युमुनियम फैक्ट्री वगैरह लगा रखी हैं, उनको ही फायदा पहुंचेगा। आज इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रदेश के किसानों को जो प्रोडक्शन में लागत और खर्चा करना पड़ता है, उसमें कमी की जाय। इस बिल से इस प्रकार का कोई फायदा किसान को नहीं पहुंचता है। अगर खाद बनाने वाले कारखाने, जैसा कि कारखाना गोरखपुर में है, जिसे महीने में १३ लाख रुपया बिजली के खर्चा में व्यय करना पड़ता है तो उसमें कमी करने की बात होती या कोई काटेज इन्डट्रीज में बिजली कम रेट पर सप्लाई करने की बात होती, या पंपिग सेट्स बनाने वाले छोटे कारखानों को कोई रियायत दी जाती या जाली बनाने वाले कारखानों को कोई छूट दी जाती जिससे किसानों को बोरिंग आदि कराने में आसानी मिलती तो यह बिल अच्छा साबित होता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मौजूदा हालत है, उसमें किसानों को कोई सुविधा न देकर पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाया जा रहा है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसमें न तो किसानों पर और न पानी पर ही ड्यूटी लगायी गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो मैं समझ रहा हूं और यह तो मैं स्वयं ही कह रहा हूं कि किसानों पर यह लागू नहीं है लेकिन खाद वगैरह के दामों से या और उत्पादन के साधनों से किसानों को जो लागत पड़ती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि उन इन्डस्ट्रियल यूनिट्स को अगर आप एक्जेम्प्ट करते हैं, जो किसानों के हित में है तो ज्यादा अच्छा होता बजाय इसके कि यह एक्जेम्शन्स टाटा और बिरला के हैवी अलूमूनियम कारखानों के लिये हैं। इसी सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो बिजली विभाग है उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें दो राय नहीं है। माननीय विभव जी ने रूस और अमेरिका की बात उठा दी जिसकी इस सदन में आने की जरूरत भी नहीं थी। मैं तो पड़ोसी जिले हरियाना की बात करता हूं। हरियाना का हर गांव आज इलेक्ट्रिफाइड हो गया है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली का खर्च दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है चाहे वह घर के अन्दर का कन्जम्पशन हो, चाहे किसान का हो या और कोई हो। लेकिन हमें साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि जो खर्चा बढ़ता चला जा रहा है उसके साथ हम बिजली का फैलाव भी करते जा रहे हैं या नहीं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसका फैलाव नहीं है। उसका मुख्य कारण यह देखने में आया है कि जिस गांव में या जो भी कोई आदमी अपने किसी भी परपज के लिये बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है, पावर लेना चाहता है अगर उसके पावर लेने से शहर में आप के कार्य से कुछ फायदे की बात होती है तो सब काम बिजली की तरह आटोमेटिकली होता चला जाता है। अगर कोई काटेज इन्डस्ट्री वाला यह समझता है कि मैं जब इस लाइन इन्सपेक्टर और एस० डी० ओ० को ओब्लाइज नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

कर सकता तो उसके लिये बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं खुद एक मिसाल हूं। दो महीने हो गये मेरा १५ हार्स पावर मंजूर हुआ पड़ा है। कोई लम्बी लाइन नहीं खींचनी कि एस्टीमेट बनेगा। दस बाई दस का ट्रान्सफार्मर कम्पाउन्ड के बाहर है लेकिन अब तक कोई कर्मचारी मौका देखने नहीं पहुंच पाया है। वह इसलिए कि वह जानता है कि एम० एल० ए० साहब के यहां से मिलने वाला कुछ नहीं है।

इसके अलावा आपके डिपार्टमेन्ट की एफीशियेन्सी क्या है यह मैं बतला दूं। मेरे यहां मुरादाबाद में एस० डी० ओ०, जोशी हैं। १७ साल मान्यवर, उनको वहां हो गये। क्या उनको हटाने के लिये यह काफी बात नहीं है? वे सुपरवाइजर भी वहीं रहे, एस० डी० ओ० भी वही हैं। बिजली के डिपार्टमेंट को उनके लिये यह काफी नहीं है कि चूंकि सत्रह साल हो गये हैं इसलिये उनका ट्रान्सफर किसी और जगह कर दिया जाय। साथ ही साथ गौर कीजिये। मैंने एक नोटिस दिया है ३ अक्तूबर को गवर्नमेन्ट को चार हजार रुपये के लास का। मेरे अपने गांव में स्टेट ट्यूब वेल लगा। १२ जून, १९७० को वहां ट्रान्सफार्मर पहुंच गया। वह इलेक्ट्रिफाइड हो गया, कनेक्शन पहुंच गया। लेकिन २८ अक्तूबर तक उस ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल सका। ट्यूबवेल को करेन्ट नहीं पहुंच पाया। हमने जब बार-बार हाइडिल वालों से कहा कि पानी क्यों नहीं मिलता तो हाइडिल वालों ने कहा कि यह काम इर्रीगेशन (ट्यूबवेल) का है। जब उनसे कहा तो उनका कहना था कि ट्यूबवेल ही नहीं है हम क्या करें मुझे ३ अक्तूबर को चार हजार रुपये के लास का नोटिस कलेक्टर को देना पड़ा जिसकी कापी मैंने आपके यहां भी भेजी है। लेकिन उसका किसी ने जवाब नहीं दिया है कि किसकी जिम्मेदारी है। जब ट्रान्सफार्मर १२ जून को लग गया तो २८ अक्तूबर तक पानी नहीं निकला इसकी जिम्मेदारी किसकी है? साथ ही यह गौर कीजिये कि वह नवम्बर में चली। दो-तीन वाल्व जलते हैं, लेकिन ट्रान्सफार्मर दो जल गये और तीसरा रखा है। यह है आपकी एफीसिएन्सी। बिजली आज सारे समाज में जीवन का एक आवश्यक वस्तु बन गयी है। यहां पर भी अगर बिजली फेल हो जाती है तो सदन को ऐडजर्न कर देना पड़ता है। रायल होटल में तो दिन में न जाने कितनी बार बिजली चली जाती है। इसलिये मंत्री महोदय को, जब कि वे ड्यूटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस विभाग की एफीसियेन्सी बढ़ाने तथा करप्शन को दूर करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। आज हालत यह है कि किसान जब भी जरूरत पड़ने पर स्वीच आन करने के लिये जाता है, देखता है कि बिजली गायब है। अभी परसों ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले संकल्प पर एक मामला अपने साथी द्वारा आपके सामने रखा था। वह यह था कि ग्राम मझोली खास तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद, में एक व्यक्ति के यहां बिजली है ही नहीं, मगर उसके नाम २७२ रुपये का बिजली का बिल पहुंच गया। इससे भी ताज्जुब की एक चीज और आपके सामने लाता हूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप उसे मेरे पास तो भेज दीजिये। आप तो उसे अपने ही पास रखे हैं। मैं अवश्य उसकी जांच करवाऊंगा, जो दोषी होंगे उन्हें दंड भी दिया जायेगा, और आप उसे मेरे पास भेज तो दीजिये।

श्री रियासत हुसैन—

मैं भेज दूंगा। दूसरी चीज में यह बता रहा था कि ग्राम वारिसपुर, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद, एक साहब के पास ५ हार्स पावर का इंजिन लगा था। उनके नाम १८ हजार का बिल पहुंच गया। मैंने एस० ई० से बात की। उन्होंने बताया कि ५ हार्स पावर का इंजिन अगर रात-दिन बराबर भी चलाया जाय तो अधिक से अधिक ५५० रुपये का बिल होगा। १८ हजार का तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। यह जो मीटर रीडिंग के लिये जाते हैं, करते क्या हैं? वहां जा कर मीटर को घुमाया, उसको उलटा घुमा दिया, लाखों में उसकी रीडिंग मीटर देने लगा। वही नोट करके भेज दिया। बिल बनाते वक्त यह भी नहीं सोचा कि ५ हार्स पावर का यह इंजिन है, १८ हजार का बिल कैसे हो जायेगा? किसी ने भी इस चीज

को नहीं देखा। यह है आप के विभाग की एफीसिएन्सी का नमूना। फिर आप ने कानून ऐसा बना रखा है कि पहले जो भी बिल है वह जमा कर दो, बाद में ऐडजस्ट होता रहेगा। इस तरह से तो उसके घर का ताम-झाम बिक जायगा, तो फिर वह कौन लगाएगा और कौन आपसे कनेक्शन लेगा? वह तो ठंडा होकर बैठ जाएगा। मंत्री जी ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टच किया। आज हर किसान चाहता है कि बिजली के रास्ते कुछ तरक्की करे। इसलिए मेरा सुझाव है कि कि जैसे आपने बिजली के मामले में एक इन्डेपेन्डेन्ट बोर्ड बना दिया है—एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना दिया है, जिसको लोन मांगने पर आप तुरन्त लोन दे देते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार और बरबादी को रोकने के लिये कोई इन्डेपेन्डेन्ट विजीलेंस बोर्ड बना दिया जाए। यदि यह नहीं बनेगा तो भ्रष्टाचार इतना फैल जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। इस चपेट से न कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बचेगा और न कोई एग्रीकल्चरल यूनिट बचेगा।

इसी तरह से आप उस एक्जेम्शन वाले संशोधन में भी आप यह इन्सर्ट कर दें कि हम उनको एक्जेम्ट करेंगे जो एग्रीकल्चर के इन्ट्रेस्ट में काम करते हैं। चाहे वह खाद बनाता हो या पंपिंग सेट बनाता हो और चाहे कोई काटेज इंडस्ट्री चलाता हो, जो भी काम करता हो यदि वह एग्रीकल्चर के हित में है तो, उस पर से हमें इससे एक्जेम्ट करना आवश्यक है। जिससे हमारे प्रदेश के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी हो। यदि उसको आप एक्जेम्ट करेंगे इस ड्यूटी की वृद्धि से तो मैं आपके इस बिल का स्वागत करूंगा।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे समय प्रदान किया। जब विद्युत उपमंत्री ने इसको पेश किया तो उन्होंने कहा था कि यह ऐक्ट एक छोटा सा बिल है। मैं मानता हूं कि बिल का रूप छोटा सा है लेकिन बिजली का महत्व इतना है कि यदि आज के युग में बिजली को निकाल दें तो हम किस सभ्यता में पहुंच जाएंगे, कहा नहीं जा सकता? खास कर उत्तर प्रदेश, जो पिछड़ेपन में भारत भर में बिहार के बाद दूसरे नम्बर पर है, यह बड़े महत्व की बात हो जाती है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यह विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है। एक तो पहाड़ के ६ जिलों की विशेष स्थिति है, १५ पूर्व के जिले हैं और ४ बुन्देलखंड के जिले हैं, जिनकी असाधारण स्थिति है। यदि प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से उन्नति करना चाहता है तो बिजली की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। मैं कल से ही इस विषय पर बोलना चाहता था क्योंकि महत्वपूर्ण परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में ही कार्यान्वित हो रही हैं। रिहन्ड डैम, ओबरा डैम और थर्मल पावर स्टेशन—ये सब मेरे ही क्षेत्र में पड़ते हैं। कहने को तो यह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक आटोनामस बाडी है, लेकिन सरकार ने इसमें इतनी धांधली फैलाई है कि यदि हम उनका एक-एक कर के जिक्र करें तो एक घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो नाजायज तरीके से खर्चे हो रहे हैं, उनको आप देखें। हमारे ओबरा डैम का ११ करोड़ का प्रोजेक्ट बना और वह बनते-बनते आज २१ करोड़ हो गया है और फिर भी वह समय से पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से रिहन्द डैम का बांध ३२ करोड़ रुपये से ५४ करोड़ हुआ था और इसी तरह से थर्मल का हिसाब जा रहा है। जो मैं मौके पर देखता हूं, उस दृष्टि से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर कर्मचारी हैं, उनको आप लीगलाइज कर दें कि एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ५ सर्वेन्ट्स रहेंगे। एक खाना बनाने के लिए, एक बीबी के कपड़े साफ करन के लिए, एक बच्चा खिलाने के लिए, एक झाड़ू देने के लिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की सेवा में ५-५ फोर्थ क्लास के एम्प्लाइज लगे रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के पास ४-४ और ओवरसियर के पास २-२ मेट लगे रहते हैं। अगर आप को यह करना है तो इसको लीगलाइज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

कर दीजिये। काम नहीं होता है माननीय शर्मा जी। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात होती है। पब्लिक सेक्टर में घाटा लगता है। मेरे क्षेत्र में अलम्युनियम पावर स्टेशन है, केमिकल्स का कारखाना है। मैं देखता हूं कि वह किस तरह से मेहनत करते हैं। भले ही कागज पर कहें कि सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह कम है लेकिन मैं दोनों के रहन-सहन में फर्क पाता हूं। बहुत से अधिकारी गाड़ी भी रखते हैं। वहीं दगल में प्रोजेक्ट है। काम के अलावा मार्केटिंग और सैर-सपाटे में उसको प्रयोग करते हैं। जब हमारे प्रदेश में संसाधनों की कमी हो रही है तो आवश्यकता यह है कि जो नाजायज खर्चा अधिकारीगण करते हैं उसको बन्द किया जाय। जहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर अधिकारी बिजली का प्रयोग करते हैं। यदि आप देखें, बिजली का मीटर रखा है. वह प्रयोग करते हैं लेकिन खर्चा कुछ नहीं आता है। रिहन्द डैम के कामर्शल और रेजिडेंशल परपज के लिए १९६३ में गवर्नमेन्ट ने कहा था कि जमीन दे दो। नीलाम हुआ। लेकिन बोर्ड के निर्णय की कमी के कारण पचासों हजार रुपये का घाटा हो रहा है जमीन के किराये के रूप में और मकान खाली पड़े रहने के कारण। जो डिवीजन वहां पर थे उनके अलावा एक डिवीजन और कर दिया निर्माण का।

(व्यवधान)

जो बेकार खर्चा हो रहा है उसके लिए मैं सुझाव दूंगा। जो डिवीजन बेकार है उसमें एक एक्जिक्यिटिव इंजीनियर, चार असिस्टेंट इंजीनियर और २०-२५ ओवरसियरों पर इस तरह से खर्चा हो रहा है, तो बिजली महंगी पड़ेगी ही। बोर्ड को आटोनामस संस्था कह कर मंत्री जी बच जाते हैं लेकिन जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं उनको मुआविजा तक नहीं मिला है और बिजली बनना शुरू हो गयी। वह बेचारे कराह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां एक डैम और बनाने जा रहे हैं, कनहर डैम। अगर आप ने दूसरा बंधा बनाया तो वहां आन्दोलन हो जायगा। जब रिहन्द डैम बना रहे थे तो वहां की जनता बिलकुल अशिक्षित थी। वहां से बिजली बनी वह बिड़ला को दे रहे हैं। जो किसान अपनी जमीनों से निकाले गये हैं, एक का भी नाम बता दें, किसी भी पुरवा को बिजली दी गयी हो। इंडस्ट्रियल परपज के लिए लोकल जनता को बरबाद करके बिड़ला को आपने दो पैसे में बिजली दे दी। चरणसिंह जी ने कहा था कि उनको बिजली देने में २ करोड़ ६० लाख प्रति वर्ष का घाटा हो रहा है। तो जिस जनता के खेत गये हैं वह जब बिजली चाहती है उसको बिजली नहीं देते हैं लेकिन बिड़ला को २ पैसे में देते हैं जिससे २ करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैंने अभी सुना है कि बिड़ला को फिर आप एक्सटेन्शन के लिये बिजली देने जा रहे हैं। बिजली दीजिये मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन प्रदेश की जनता को सन्तुष्ट किया जाय कि हम बिजली देकर बेकारी दूर करने जा रहे हैं और गरीबी दूर करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का अखबारों में कितना निकलता है लेकिन उनमें स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जिनकी कि जमीनें ली गई हैं। सन् १९६३-६४ में बिड़ला जी ने कहा था कि रेनु प्रोजेक्ट आप के गांव में लग जाय। मैंने कहा ठीक है। गांव वालों से जमीन दिलवाई थी और कहा गया था कि उनको नौकरी दी जावेगी। लेकिन अब बार-बार बिड़ला जी से कहता हूं फिर भी किसी को वह नौकरी नहीं दे सके। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप उद्योगपतियों को बिजली दें या जमीन दें तो आप वहां की जनता का नौकरी में अनुपात भी तय कर दें। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इन्डस्ट्री लगे लेकिन जिन लोगों की जमीन ली जाय उनको नौकरी भी मिलना चाहिये। आप कहते हैं कि पूर्वी जिलों में जहां पिछड़ापन है फैक्ट्री लगा रहे हैं लेकिन प्रदेश से बाहर के लोगों को वहां से लाकर नौकरी दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामप्यारे—

मान्यवर, ५ मिनट और दीजिये। आप बिड़ला को ५०० रुपये में एक एकड़ जमीन दे रहे हैं यह ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आटोनामस

बाढ़ी है उसको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप भगवान के नाम पर ऐसा भेदभाव न करें और बिड़ला को भी उचित मूल्य पर ही जमीन दी जाय।

घाटा कैसे होता है अब मैं इसके बारे में भी कुछ बतलाना चाहता हूं। रिहन्ड और ओबरा में ५० दूकानें ४ साल से कम्पलीट हैं लेकिन आपने किराया १५० रुपये कर रक्खा है, इसलिये कोई नहीं आता है। तो ठीक से किराया रखिये क्यों घाटा उठा रहे हो। ओबरा में मैं देखता हूं कि चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे पता लगा है कि वहां रूस से बहुत सा सामान आया है। वह खराब होने के बाद फेंक दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने आटोनामस होने के नाम पर बोर्ड को यह अधिकार दिया है कि जो चाहे करें तो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड के कार्य पर कन्ट्रोल रक्खा जाय। उनके अधिकारी एक-एक जगह पर बहुत वर्षों तक पड़े रहते हैं तो उनके तबादले होने चाहिये। आफिसर्स और ओवर-सियर्स का स्तर बहुत बढ़ रहा है, क्या इस पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता है? तो आप को बुनियादी तरीके पर यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिये। मान्यवर, जो बिजली की हड़ताल हुई थी ओबरा और रिहन्ड में उसके बारे में मैं बतला दूं कि मैंने समझौता करा दिया था लेकिन बोर्ड ने जो तय किया था उसको पूरा नहीं किया। जब दोबारा हड़ताल हुई तो कहते हैं कि कम्युनिस्ट यूनियन्स ने करवा दी लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आपने उनकी मांगें पूरी नहीं कीं इसलिये हड़ताल हुई। मंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने हड़ताल की थी उनको वापस ले लिया गया है, यह ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि दो-चार छोड़े जा रहे हैं। जिन पर वायलेंस के या क्रिमिनल केसेज न हों और जिन्होंने शांति से हड़ताल की थी उन्हें मौका दें। जिन्होंने वायलेंस की या जिन पर क्रिमिनल केसेज हों उनकी सिफारिश मैं नहीं करता। अब यह कि "दिये तले अंधेरा" यह नहीं होना चाहिये। जिन लोगों की जमीनें आपने लीं, बहुमूल्य बाग-बगीचे लिये तो उनको बिजली दें। वह आदमी जब अपने यहां बल्ब टिमटिमाता हुआ देखेगा तो उसी से सन्तुष्ट हो जायगा। डेमोक्रेसी का लक्ष्य भी यही है कि जिनकी जमीनें आपने लीं उनको संतुष्ट करें।

मान्यवर, छोटा सा बिल है, संसाधन बढ़ाने की बात है। कौन नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार ने हमको रुपया देने में भेदभाव किया है। पिछला देखें तो उद्योग के लिये ३ कुछ प्रतिशत हमें मिला है जब कि हमारी आबादी १७ प्रतिशत है। पंडित जी हमारे बैठे हुए हैं। पिछले साल पूर्वी जिलों में बाढ़ से बहुत से गांव बरबाद हो गये। तमिलनाडु में भी कुछ नुक्सान हुआ था। वहां तो उन्हें मिला २४ करोड़ और हमें मिला सिर्फ दो करोड़। यह कौन सा फार्मूला था? २५ डी० एम० के० के एम० पीज० का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें इतना दिया गया। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रधान मन्त्री तो यहां की ही हैं, कि पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड की ओर। उनके लिये आवाज उठायी जा रही है। अलगाव की बात है तो हमारे प्रदेश का कोई भी आदमी उसे नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि समान रूप से मिले। पंजाब में हरियाणा में, मद्रास में २३ साल में बिजली लग गयी। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या हो गया। हमें जो धन केन्द्र से मिला वह चाहे इंडस्ट्री के लिए मिला या और विकास कार्य के लिये मिला, वह कम मिला। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की बात है तो जितना रुपया मिला उससे ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। उसकी कमी नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस अपेक्षित प्रदेश की तरफ भी ध्यान दें। इस शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

—माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो संशोधन माननीय विद्युत् मंत्री जी बिजली का रेट बढ़ाने के सिलसिले में लाये हैं, उसके मायने यह हैं कि जो इलाके पिछड़े हुये हैं, जहां उद्योग धंधे नहीं हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी]

वहां आगे भी न लगें। मान्यवर, प्रदेश का कोई भी इलाका हो, अगर यह दर बढ़ गयी तो छोटे उद्योग धंधे कोई खोलना चाहे तो नहीं खोल सकेगा। आज प्रदेश में बिजली के मामले में घोर असंतोष है चाहे वह छोटा उद्योग हो, ट्यूबवेल से सिंचाई का हो या बड़े उद्योग का हो। अब बिजली की एक बात यह भी है कि जितनी बिजली आप देते हैं इस समय और जितनी मिनिमम गारेन्टी आप की है उसके हिसाब से उतनी बिजली भी आप दे नहीं पाते हैं। और कहां आप रेट को बढ़ाने की बात करते हैं। आप जो बिजली देते हैं उसको पाकर काश्तकार कौन से उद्योग में उस बिजली को इस्तेमाल करेगा। यही नहीं है लाइन खड़ी है, खम्भे खड़े हैं दो दो सालों से परन्तु उनको बिजली नहीं मिल पाई है। २००० स्माल ट्यूबवेल्स बोरिंग होकर पड़े हैं जिनको ५,००० रु० सरकार से ऋण लेकर काश्तकारों ने बनाया है जिसका वे सूद सरकार को दे रहे हैं। उसकी किश्तों की नोटिस आ गई है परन्तु वे स्माल ट्यूबवेल्स नहीं चले हैं।

मान्यवर एक तरफ तो आप बिजली के द्वारा प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, उद्योग धंधों का विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बिजली के रेट्स को भी बढ़ा रहे हैं यह कैसे हो सकता है। मान्यवर, आजमगढ़ में एक इंडस्ट्री है जो चली नहीं लेकिन उसके बिल पहुंच गये। सैकड़ों केसेज हैं स्माल ट्यूबवेल्स नहीं चले और बिजली के बिल्स पहुंच गये। एक दिन भी बिजली को इस्तेमाल किया होता तब तो मिनिमम गारेन्टी को देने का हक होता परन्तु कुछ नहीं हुआ। आप देते तो हैं ५, ७ या १० एच० पी० कैपेसिटी की और उसीकी मोटर है जिसके हिसाब से उनके यहां चार्ज गया परन्तु उसका लाभ उनको कुछ भी नहीं मिला। इससे बड़ा भारी असन्तोष है। मैं विद्युत मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे पूर्वी जनपद में जिसमें आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, बस्ती आदि हैं वहां पर वोल्टेज भी काम नहीं कर रहा है अब चाहे छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी वह कैसे चल सकती है जब कि उनको बिजली मिल ही नहीं रही है। मान्यवर, आप जांच करवा लें कि वोल्टेज शार्ट होने से मोटरें जल गईं। इसको आप चीफ इन्जीनियर एस० ई० अथवा ई० ई० से जांच करवा कर देख लें। किसान इससे बर्बाद हो गया। इसलिये आप प्रोग्राम बना लें और देख लें कि कहां पर वोल्टेज शार्ट है और कहां पर सब स्टेशन को बनाने की जरूरत है इसको भी देख लें। आप सर्वे करवा कर काम आरम्भ करवा दें। आज किसान को जो बिजली मिल रही है उससे वह दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। ५,७ हार्स पावर है तो उससे वह दूसरा कौन सा काम कर सकता है? इस कैपेसिटी से इन्डस्ट्री नहीं चल सकती। ५ हार्स पावर की मिनिमम गारेन्टी ६५० रु० है। उसको अपने खेत को सींचने के लिये कम से कम तीन पानी की आवश्यकता है और बिल उसका १६५ रु० का आता है। मान्यवर, एक तरफ तो आप मिनिमम गारेन्टी चार्ज करते हैं और स्योरेटी देते हैं परन्तु आप उससे धन ले तो लेते हैं और उसको स्योरिटी की बिजली मिलती नहीं है। काश्तकार गरीब है, निर्धन है और वह सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जा नहीं सकता है, वह तो केवल सरकार से ही प्रार्थना कर सकता है और वह भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। जब उसको बिजली मिलती ही नहीं है तो वह मिनिमम गारेन्टी लेने की हकदार भी नहीं है। उसको आपने जिस काम के लिये एश्योर किया है तब यदि आप उसके पूरे काम के लिये बिजली नहीं देते हैं तो आप मिनिमम गारेन्टी कैसे चार्ज करते हैं।

एक तरफ तो ऐसी स्थिति है और दूसरी तरफ आप यह ला रहे हैं कि इसका चार्ज बढ़ा दिया जाय। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मान्यवर, पटेल कमीशन की रिपोर्ट में, जो सरकार के सामने होगी और मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से कहूंगा कि वे पटेल कमीशन की रिपोर्ट निकलवा कर पढ़लें, लिखा हुआ है जो पिछड़े हुये इलाके हैं, जो गरीबी से दबे हुये हैं, जहां गरीबी झोपड़ियों में कराह रही है, ऐसे इलाके जहां उद्योग धंधे नहीं हैं, बिजली और उद्योग लाइसेंस की फैसलिटी दी जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

बिजली मंत्रीजी से ही जानकारी चाहूंगा कि क्या उन इलाकों के लिये भी यह संशोधन जो ऐक्ट में लाया जा रहा है, लागू होगा जो गरीब इलाके हैं।

मान्यवर, यही नहीं, आज दूसरे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं। वहां गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, वहां इन्डस्ट्री लगाई जा रही हैं। लेकिन हमारी सरकार तो सारा अपराध केन्द्र को दोषी ठहराते हुये उसके ऊपर डाल देती है। आज जो भाई उधर की तरफ बैठे हुये हैं, चाहें इधर के हों, मान्यवर प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह प्राविधान किया गया था कि पिछड़ हुये इलाकों को बिजली दी जायगी। पटेल कमीशन की रिपोर्ट जो सरकार के पास है उसमें लिखा हुआ है कि केन्द्र के साधनों के अलावा यह सरकार एलेक्ट्रीसिटी के लिये अपने सोर्सेज से अधिक धनराशि देगी। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि चाहे वह फाइनेन्स कमीशन हो, चाहें प्लानिंग कमीशन हो, चाहे कोई कमीशन हो, उन्होंने धन का निर्धारण किया और केन्द्र ने अपने रिसोर्सेज से बिजली और पानी के लिये पिछड़े हुये इलाकों के लिये रुपया दिया। मान्यवर, यह संशोधन विधेयक उन इलाकों पर लागू करें जहां इन्डस्ट्री डेवलप कर गई है, जहां उद्योग धंधे विकसित हो चुके हैं, जहां लोग प्रोडक्शन काफी कर रहे हैं, उनको यह चीज नहीं खलेगी। चाहें आप ३० प्रतिशत बढ़ा दीजिये, चाहें २५ प्रतिशत चाहें २० प्रतिशत। वे लोग इसको आसानी से पे कर सकते हैं। लेकिन मान्यवर, जो इलाके पिछड़े हुये हैं, वह इस चीज को बर्दास्त नहीं कर सकते। आज आप चले जाइये पूर्वी जिलों की तरफ एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां चिमनियों से धुंआ निकल रहा हो। कहने का मतलब यह है कि कोई इन्डस्ट्री नहीं है। गन्ने की दो-चार फैक्ट्री हैं देवरिया गोरखपुर में, लेकिन उनकी भी हालत आपसे छिपी नहीं है। आप कोई सी लाइन पर जाइये चाहें आप गोरखपुर वाली लाइन पर जाइये या आप इलाहाबाद प्रतापगढ़ वाली लाइन पर जाइये, कहीं भी कोई उद्योग धंधे नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा जो मधुभाषी हैं, जिनका स्वभाव नम है, जो उदार चित्त वाले हैं, कि उनमें जो सारे गुण हैं वह गरीबों के लिये दें, पिछड़े हुये इलाकों की तरफ जहां कोई उद्योग धंधे नहीं है उनको प्राथमिकता दें। अमीर और गरीबों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जो पिछड़े हुये इलाके हैं जहां साधनों की कमी है, जो अविकसित हैं, खासतौर से उनकी तरफ तवज्जह दें और बिजली के सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं उसे दूर करने की कोशिश करें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन का और सदस्यों का उनके सुझावों के लिये कृतज्ञ हूं। यद्यपि जो सुझाव दिये गये और जो बात कही गई उससे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जो कमियां इस विभाग की दिखाई गई हैं और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपके माध्यम से, कि किसी प्रकार की कोई कमी होगी या कोई गलती होगी मैं उसे सुधारने के लिये तैयार हूं। आप इतना विश्वास रखें कि जब तक मैं यहां हूं तब तक अगर कोई कमी होगी तो उसकी जांच करूंगा और गलती पाने पर उसको सजा दूंगा। यह सही है कि आज बिजली कम है सारे प्रदेश में और वह बढ़ना चाहिये और वह बढ़ेगी आपके सहयोग से। यह छोटा सा बिल है और इसमें कुछ ड्यूटी लगाई गयी है। जहां तक एग्रिकल्चर पर है वह तो है ही, इसमें इंडस्ट्रीज पर कुछ ड्यूटी लगाई गयी है। हमारे भाई रियासत हुसैन का जो सन्देश है वह नहीं होना चाहिये। आप एक चीज चाहते हैं इस प्रदेश में कि उद्योग बढ़ें। आप यह भी चाहते हैं कि हमको इसमें पैसा भी मिले उद्योग बढ़ने के लिये। साधारणतया उद्योग वाले जो बिजली खर्च करते हैं अगर रामैटीरियल का अनुपात खर्चे में लगायें तो बहुत थोड़ा बैठता है। जहां और चीजों के दाम बढ़े वहां अगर बिजली में भी ड्यूटी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यह स्थिति हो कि दूसरे प्रदेशों में जो बिजली के रेट हैं और हमारे यहां जो रेट हैं उनके कारण हमारे यहां कोई उद्योग न आवें और उस उद्योग से हमारे प्रदेश को नुकसान हो तो

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

ऐसा नहीं होना चाहिये । लेकिन कोई इस बात की नहीं चाहेगा कि हमारे प्रदेश में जो बड़े उद्योग हैं, जिनसे हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलता हो और ५,७ करोड़ की आमदनी भी होती हो, हमारे प्रदेश का फायदा होने वाला हो तो आप स्वागत करेंगे कि ऐसे उद्योग आपके प्रदेश में होने चाहिये, आने चाहिये और बढ़ने चाहिये । इस विधेयक में बहुत छोटे-छोटे संशोधन हैं । पहले जो मिनिमम गारंटी पर लगा दिया गया था अब मिनिमम गारंटी पर नहीं, जो यूनिट कंज्यूम करेंगे उसी पर ड्यूटी लगेगी । दूसरे यह था कि पहले ३७ पैसे से ज्यादा नहीं था उसे ४० पैसे कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब खंडों पर विचार होगा । श्री डी० पी० बोरा क्रम सं० १ पर अपने संशोधन को न लेकर क्र० सं० २ के संशोधन को प्रस्तुत करेंगे ।

खण्ड २ से १०

२—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्

धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाया जाना

"३—(१) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए :

(क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने वाले भूगृहादि में, अथवा किसी अन्य भूगृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपभुक्त एनर्जी, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत् जनन के अपने श्रोत से उपभुक्त एनर्जी, पर एक ड्यूटी (जिसे आगे "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी जिसे राज्य सरकार समयसमय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है ।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की दर के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बल्क पार्ट टैरिफ की दशा में, यदि इकाई मूल्य प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक हो तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगा

जा सकेगी और न ही इकाई मूल्य के साथ जो देने पर वह कुल मिलाकर प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक होगी, तथा इसके अधीन रहते हुए, यह ड्यूटी एक पैसे से कम या प्रति यूनिट छः पैसे से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण---उपर्युक्त एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपभुक्त अथवा उसके या अपने भागीदारों, निदेशकों, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर सम्भरित एनर्जी, यथा स्थिति, लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में लागू दरों पर बेची गयी एनर्जी समझी जायगी।

(३) उपधारा (१) के खंड (ग) के सम्बन्ध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या छ पैसे से अधिक होगी।

(४) राज्य सरकार, लोक हित में, किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिए वर्तमान मूल्यों को, किसी संयंत्र की विद्युत् जनन क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुये, या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपभोग के सम्बन्ध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।

(५) निम्नलिखित पर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी, या

(ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी,

(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural purposes) में जो उसके खेतों पर या उन के निकट किये जाय तथा सिंचाई के लिए पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपभोग के लिए अन्य क्रिया करना (crushing, milling and treating) या चारा काटना।

धारा ३-क का निकाला जाना

३---मूल अधिनियम की धारा ३-क निकाल दी जाय।

धारा ४ के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

४---मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा ४, ४-क और ४-ख रख दी जायें, अर्थात्:---

"४---(१) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, राज्य सरकार को निम्नलिखित के द्वारा दी जायगी---

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ब्याज का भुगतान

(क) जब एनर्जी लाइसेन्सी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो लाइसेन्सी द्वारा;

(ख) जब एनर्जी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्भरित की जाय अथवा बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा; और

(ग) जब एनर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत् जनन श्रोत से उपभुक्त की जाय, तो ऐसी एनर्जी जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा।

(२) यदि उपर्युक्त के अनुसार नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को एलेक्ट्रिसिटीडयूटी की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो, यथा स्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या उपधारा (१) के खण्ड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, उस एलेक्ट्रिसिटी डयूटी की धनराशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक ब्याज का देनदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय ।

उपभोक्ताओं से एलेक्ट्रिसिटी डयूटी की प्रतिपूर्ति

४—क (१) किसी लाइसेन्सी, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी पर धारा ३ के अधीन देय एलेक्ट्रिसिटी डयूटी की धनराशि यथास्थिति लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है।

केन्द्र संख्या ९, १९१०

(२) उपभोक्ता से एलेक्ट्रिसिटी डयूटी की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इण्डियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन लाइसेन्सी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानो कि उक्त डयूटी ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी के सम्बन्ध में चार्ज अथवा देय धनराशि हो।

कतिपय दशाओं में दण्ड, शुल्क का भुगतान किया जायगा

४—ख (१) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में एलेक्ट्रिसिटी डयूटी के लिए देनदार लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति डयूटी देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी को छिपा कर, अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो, तो, यथास्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, उक्त डयूटी के अतिरिक्त दण्ड के रूप में ऐसी डयूटी की, जिसे छलपूर्वक बचाया गया हो अथवा जिसे बचाने का प्रयास किया गया हो, धनराशि के चार गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो उक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्सी, बोर्ड या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, की जायगी।

(३) अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता उसको रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है,: और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का कार्यान्वित किया जाना पूर्णतः या अंशतः और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।"

धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(१) उपधारा (१) में,—

(क) प्रथम पैरा में शब्द "नियुक्त प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द "अथवा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए देनदार अन्य व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं;

(ख) खण्ड (क) में शब्द "उपभोक्ता को देने के लिये" के स्थान पर, शब्द "पारेषण या पूर्ति करने के लिए" रख दिये जायें :

(ग) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्,—

"(ग) प्रत्येक श्रेणी के उपभोग पर अलग-अलग देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि और धारा ४–क के अधीन वसूल की गयी धनराशि"; और

(घ) खण्ड (ग–क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्,—

"(ग–क) धारा ४ के अधीन देय ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और धारा ४–ख के अधीन अवधारित दण्ड शुल्क की धनराशि, यदि कोई हो"; और

(२) उपधारा (२) में शब्द "प्रत्येक लाइसेन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" रख दिये जायें और शब्द "ऐसे आकार और रीति में" के पश्चात् कामा तथा शब्द "ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी अवधि के भीतर" रख दिये जायें।

धारा ७ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि की वसूली

६—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्,—

"(१) यदि धारा ३, धारा ४, या धारा ४ ख के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या ब्याज अथवा दण्ड शुल्क के मद्दे देय कोई धनराशि नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गयी हो तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल की जा सकेंगी :—

(क) लाइसेन्सी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में—लाइसेन्सी से;

(ख) बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में—बोर्ड से; और

(ग) एनर्जी जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त एनर्जी की दशा में उस व्यक्ति से जो अधिनियम के अधीन उक्त ड्यूटी का देनदार हो।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार—

(क) किसी लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपयुक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट सकती है जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्सी या बोर्ड को देय हो, या

(ख) किसी लाइसेन्सी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट ले जो उसके द्वारा लाइसेन्सी को देय हो और इस प्रकार काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को दे दे।"

धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ को संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) यदि कोई व्यक्ति धारा ५ में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है या कोई ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसके सम्बन्ध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है अथवा सत्य नहीं है, तो वह अर्थ दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये से अधिक न होगा।"

नयी धारा ८-क, ८-ख और ८-ग का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्,—

अपराध संज्ञान

"८-क—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय।

कम्पनियों द्वारा अपराध

८-ख—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उनके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज और ट्रेजरार्स निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट सेक्रेटरी, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

८—ग——इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।"

धारा ९ का निकाला जाना

९——मूल अधिनियम की धारा ९ निकाल दी जाय।

धारा १० के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

१०——मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात:——

नियम बनाने का अधिकार

"१०——(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषत: और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्निलिखित की व्यवस्था की जा सकती है——

(क) रीति जिसके अनुसार तथा अवधि जिसके भीतर धारा ४ के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या उसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा ;

(ख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन अभिलेख रखे जायेंगे और विवरण जो उनमें दिये जायेंगे;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर, और प्राधिकारी जिसे, धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नक्शे प्रस्तुत किये जायेंगे;

(घ) रीति जिसके अनुसार धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए एनर्जी की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी;

(ङ) कर्त्तव्य जिनका पालन और अधिकार जिनका प्रयोग धारा ६ के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे;

(च) प्राधिकारी जो धारा ४—ञ की उपधारा (१) के अधीन देय शास्ति अवधारित करेगा और अवधि जिसके भीतर इसका भुगतान किया जायगा;

(छ) प्राधिकारी जिसे, अवधि जिसके भीतर, और शुल्क जिसके दिये जाने पर, धारा ४—ख की उपधारा (२) के अधीन अपील की जा सकेगी;

(ज) अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए परिवाद कर सकते हैं,

(झ) कोई अन्य विषय जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्ति शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में शब्द "उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (डयूटी) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले हम खंड २ को लें क्यों कि उसमें शाब्दिक संशोधन है : प्रश्न यह है कि खंड २ में शब्द "उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी), अधिनियम, १९५२ जिसे आगे मूल अधिनियम का गया है, " के स्थान पर शब्द " मूल अधिनियम" रख दिये जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नया खंड १-क, संशोधित खंड २, खंड ३ से१० तथा नया खंड ११ का संशोधित रूप विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, खंड १ पर वोंटिग नहीं हुई है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, गलत हुआ है, संशोधन पेश नहीं हुआ और आपने उसे पास करवा दिया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, आपने यह निर्देश दिया था कि पहले खंड २ आयेगा, उसके बाद नया एक खंड आयेगा और फिर खंड ११ आयेगा । उसके अनुसार तीन अलग-अलग प्रस्ताव आने चाहिए थे । सरकारी पक्ष की ओर से सरकार के मंत्रीगण संशोधन पेश करते हैं । वे अपनी अलग फाइल नहीं लाते हैं । शब्दावली भी ठीक होनी चाहिये । वे एजेन्डे से पढ़ देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

खंड १-क और खंड ११ बाद में रखा जायेगा । मैं फिर से उसमें सदन की राय ले लेता हूं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

एक बार तो आपने बोटिंग कर दी, उन लोगों ने " हां" भी कर दिया और " नां" भी हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह मेरी गल्ती है । उसको मैं शुद्ध कर सकता हूं । यह सरकार की गल्ती नहीं है । अब इसे ऐसा कर देते हैं " प्रश्न यह है कि संशोधित खंड-२ तथा खन्ड ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ तथा १० विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड ११

श्री डी० पी० बोरा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ११ बढ़ा दिया जाय अर्थात ।

"११-उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ३ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।"

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, इसके द्वारा तो अध्याय ३ का निरसन किया जा रहा है । इससे तो सारा आर्डिनेंस ही निरस्त हो जाता है । क्या बाकी अध्याय आप रखेंगे ? मंत्री जी जरा इसको साफ कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी आपत्ति के विषय में माननीय मंत्री जी कृपया बतायें ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

इसमें केवल अध्याय ३ का ही संशोधन किया गया है, उसी को निरस्त किया गया है, बाकी तो रहेंगे ही ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्रीमन्, यह संशोधन नियम के अनुसार नहीं है, अनियमित है, इसलिये इसको न लिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि अध्यादेश में कितने अध्याय हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, ड्यूटी ऐक्ट में जो क्लाज ३ है उसी को निरस्त किया जा रहा है । जैसा कि शीर्षक में दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है इसमें शीर्षक दिया हुआ है-- "उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ३ का निरसन ।"

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था उठाना चाहता हूं कि क्या किसी एक अध्याय को निरस्त करके सारे अध्यादेश को निरस्त किया जा सकता है ? श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसके द्वारा अध्यादेश संख्या १४ के अध्याय ३ का निरसन किया जा रहा है । बाकी अध्यादेश का क्या हुआ ? अध्याय ३ में कितने खंड हैं, कितनी धारायें हैं ? अगर सब को निरस्त करना है तो सारी धाराओं का उल्लेख करना चाहिये । जब भी कभी वोटिंग होती है, एक-एक धारा को लेकर होती है । कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरे अध्याय को ही ले लिया जाय । फिर एक दम इस प्रकार पूरे चैप्टर को निरस्त आप कैसे करेंगे ? श्रीमन्, हमेशा धाराओं का निरसन हुआ करता है लेकिन यह चैप्टर अमेंड कर रहे हैं । यह नया तरीका निकाल रहे हैं । अब साढ़े चार बज चुके हैं इसलिये इसको परसों ले लिया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, इसमें यह निहित है इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बताये देता हूं । असल में जो आर्डिनेंस था उसमें बहुत सी चीजें हैं। जो आप ऐक्ट पास कर रहे हैं उसका खंड ३ पास कर दिया है। इसलिये उसको निरस्त कर रहे हैं। बाकी चीजें जो अध्यादेश में हैं वे जब बिल आयेंगे तो उस समय होंगी।

श्री उपाध्यक्ष--

असल बात यह है...

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मेरा कहना यह है कि अध्याय पर वोटिंग कभी नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

असल बात यह है कि अध्यादेश में कई बिलों के कई संशोधन किये थे। जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४ के अध्याय ४ का किया जिसको एंटरटेनमेंट्स एन्ड बैटिंग टैक्स बिल में किया। इसी तरह से दूसरे बिल ७ का किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि यह अध्याय का निरसन कर रहे हैं। इस पर वोटिंग नहीं होती है। जब विधेयक पेश होता है तो खंडों पर वोटिंग होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह निरसन करने का नहीं बल्कि बढ़ाने का है। खंड १० के पश्चात् नया खण्ड ११ बढ़ा दिया पाय।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

उपाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि किसी अध्याय पर वोटिंग नहीं होती। यह किसी विधेयक के किसी अध्याय को निरस्त नहीं कर रहे थे। यह एक अध्यादेश है इसमें कई प्रकार की चीजें तथा टैक्सेज हैं। हम जैसे-जैसे ऐक्ट बनाते जाते हैं वैसे-वैसे अध्यादेश के अध्याय को निरस्त करते जाते हैं। आपका यह कहना है कि अध्याय के निरस्त करने का क्या मतलब है। किसी विधेयक के अध्याय को निरस्त नहीं कर रहे हैं इसमें आप क्यों विघ्न डालना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी का बड़ा आभारी हूं क्योंकि उन्होंने तो मेरी ही बात की पुष्टि कर दी कि अध्यादेश का अध्याय निरस्त हो सकता है कानूनी इम्पोर्टेन्स दोनों की एक ही है। चाहे अध्यादेश हो या विधेयक हो।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यादेश मैंने मंगवाया है। उसको देख लूं। अब प्रश्न यह है कि कानूनी नहीं बल्कि सम्मेलनों का मुझे अनुभव है। एक दफा नागपुर सम्मेलन में एक प्रस्ताव आया उस पर कहीं गुंजाइश नहीं थी कि कुछ कहा जा सके तो उसमें जोड़ दिया गया और निर्देश करता है कि मिनिस्ट्री रिजाइन करे इस रूप में यह हुआ। हालांकि यह जोड़ने वाला क्लाज है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, अगर ड्राफ्ट करने वाले आप होते तो इस तरह की गलती नहीं होती। इस पर वोटिंग अगले दिन लेली जायेगी। अब आगे कार्यवाही चलाइये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप पर और संसदीय मंत्री पर है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

इसमें कोई गलती नहीं हुई है। एक आर्डिनेन्स हमने पेश किया था उसमें कई चीजें थीं।

श्री गोविन्द सिंह--

श्रीमन्, इस पर साढ़े ४ बजे तक ही चर्चा निश्चित थी अ र साढ़े ४ बज गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह सवाल उपस्थित हो गया है। अगर मान लीजिये व्यवस्था देनी है मुझको तो जरा समय लेना पड़ेगा ? अध्यक्ष महोदय ही दफा ५१ के बारे में फैसला देंगे। जब तक वह नहीं आते हैं तब तक मैं सभी दृष्टिकोणों से अपने को अवगत करने की कोशिश करूंगा। यह जो आर्डिनेंस १४ उत्तर प्रदेश टैक्सेज एंड फीस लाज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, १९७० है इसका टिएम्बिल है--ऐन आर्डिनेन्स। फिर चैप्टर १ है--प्रिलिमिनरी, चैप्टर २ है--यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८। चैप्टर ३ है--अमेंडमेंट टु दि यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी डूयूटी ऐक्ट, १९५२। अब आर्डिनेन्स के इसी चैप्टर को निरस्त कर रहे हैं। और जब उन्होंने यह कहा है कि खंड १० के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ११ बढ़ा दिया जाय तो परिणामतः चाहे जो अर्थ इसका हो लेकिन है यह जोड़ने वाला। यद्यपि मैं आप से सहमत हूं, निरस्त करता है यह, लेकिन यह जोड़ने का।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

तो अभी इसे क्लोज कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो हम सुन रहे हैं। हो सकता है कि मुझे किसी तरह की राय देनी हो इससे बिलकुल सुसंगत हो।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

असल में जो अध्यादेश था उसके कई अंग हैं। इलेक्ट्रिसिटी डूयूटी अध्यादेश भी उसका हिस्सा है। हमने चूंकि इलेक्ट्रिसिटी डूयूटी ऐक्ट यहां बना दिया इसलिये हम केवल उस हिस्से को निरस्त कर रहे हैं और निरस्त करने के लिये एक नया खंड ११ जोड़ रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आप का ध्यान नियम १४४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वह हैं विधेयक का प्रथम खंड, प्रस्तावना, शीर्षक या अनुसूची। अध्याय पर कभी वोटिंग नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्याय पर वोट नहीं ले रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उसी के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सही है कि लेकिन वोट लिया जायगा खंड ११ पर।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय तिवारी जी को एक स्पष्टीकरण दे दूं कि यह उत्तर प्रदेश टैक्सेज ऐंड फीज लाज (अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स, १९७० है। यू० पी० आर्डिनेन्स नं० १४ आफ १९७० जिसमें कि कई चप्टर हैं। उसमें चप्टर २ है अमेंडमेंट इन यू० पी० सेल्स टक्स ऐक्ट, १९४८ और इसका चैप्टर ३ है अमेंडमेंट आफ दि यू० पी० इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट, १९५२। तो श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, एक ही आर्डिनेन्स के कई चैप्टर्स से कई प्रकार का काम किया गया है। चैप्टर ३ में यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट का संशोधन किया गया है। यह आर्डिनेन्स नं० १४, १९७० है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

चैप्टर ३ में धारायें कितनी हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

धारायें २० हों, लेकिन जब चैप्टर ३ को निरस्त करने का प्रस्ताव हम रख रहे हैं तो उसमें यह निहित है। अब मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुझे मालूम है और मैंने यह कह दिया है। यह स्पष्ट हो गया है। इसमें संशोधन द्वारा खंड १० के बाद नया खंड ११ बढ़ाने की बात है। यह एक संशोधन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो संशोधन की भाषा है वह ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह ठीक है। इसमें कुछ भ्रम हो रहा था। यह नियमतः नया खंड ११ इसमें जोड़ रहे हैं। उसके फलस्वरूप यह सारा अध्यादेश का अध्याय ३ निरस्त हो जाता है। इसलिये मैं इसको नियमानुसार मानता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड १० में पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड ११ बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:

"११—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ३ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड १—क, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

तर प्रदेश
धिनियम
या ३३,
५२

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिट्री (ड्यूटी) (संशोधन विधेयक), १९७०
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

क्षिप्त नाम
ा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

श्री डी० पी० बोरा--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के बाद निम्नलिखित नया खंड १-क-बढ़ा दिया जाय :

"१-क-उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ के खंड (एच) के भाग (ii) को निकाल दिया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १ में बाद निम्नलिखित नया खंड १-क, बढ़ा दिया जाय:

"१-क-उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ के खंड (एच) के भाग (ii) को निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नया खंड १-क, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामप्रसाद देशमुख--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) बिधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)--

आज की कार्य सूची में ४।। बजे से दो घंटे की बहस नेताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में होने वाली थी किन्तु यह दूसरा काम हो रहा है तो इसमें जो समय कम होगा वह आप पूरा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जितना समय आपने लिया इतने में तो वह समाप्त हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष--

अब इस समय पहले वक्तव्य होगा और उसके बाद मैं सूचना दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, ४।। बजे यहां पर न आ सके। उपाध्यक्ष महोदय को इन्तजार करना पड़ा। वह बड़ी महत्वपूर्ण रूलिंग थी।

श्री अध्यक्ष---

मैं यहीं पर बैठा था। मैं सुन रहा था। सवाल यह था कि यह बिल जब पारित हो जाय तो जो आपका प्रस्ताव था उसके ऊपर चर्चा हो जाय। अभी वह पास हो गया तो मैं यहां पर आ गया।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९७० के रोके गये परीक्षाफल को घोषित न करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब यहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षा, १९७० के रोके गये परीक्षार्थियों के परीक्षा फल को अभी तक घोषित न करने के सम्बन्ध में श्री सूबेदार सिंह द्वारा दी गई सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य होगा।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माननीय सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमीजिएट परीक्षा १९७० के रोके गये परीक्षार्थियों के परीक्षा फल को घोषित न करने के सबन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसे माननीय अध्यक्ष ने नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है।

२---उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की १९७० की परीक्षा में कुल २८, ५४१ परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोका गया था जिनमें २६,४४१ प्रकरणों में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का अभियोग था। इनमें से १४,५४८ परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है। १३,९९३ प्रकरणों में अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है।

३---परीक्षार्थियों के विरुद्ध अनुचित साधन प्रयोग की शिकायतें मिलने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा समिति द्वारा उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिये "स्क्रीनिंग कमेटी" की नियुक्तियां की जाती हैं और जांच समितियां परीक्षा केन्द्रों पर जाकर सम्बन्धित परीक्षार्थियों को आरोप-पत्र देकर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करती हैं और यदि अवश्यक हो तो उनका साक्षात्कार भी करती हैं।

४---जांच समितियों की आख्या प्राप्त होने पर परीक्षा समिति प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेती हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा-सा विलम्ब लग जाना स्वाभाविक है। परन्तु प्रयत्न सदा यही रहता है कि जितनी शीघ्र हो सके जांच समाप्त कर विद्यार्थियों के रुके हुये परीक्षा फलों के विषय में निर्णय ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अब कोई माननीय सदस्य सवाल करना चाहते हैं क्या?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने कहा है कि २८,५४१ परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोका गया जिनमें २६,४४१ के विरुद्ध अभियोग था कि उन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग किया, तो शेष जो २,१०० हैं उनके खिलाफ कौन सा अभियोग था जो उनका परीक्षाफल रोका गया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

कई तरह के कारणों से परीक्षा फल रोका जाता है। जैसा मैंने पहले बतलाया, एक तो अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण, इसके अतिरिक्त जैसे अनुशासनहीनता, इम्परसोनेशन, तथ्यों को छिपाना, कम उपस्थिति होना, समुचित शुल्क न प्राप्त होना---इन सब कारणों में से बहुत से परीक्षार्थी संबंधित हैं और २६ हजार उससे सम्बंधित हैं---अनुचित साधनों के प्रयोग से।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि १४,५४८ छात्रों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है, तो इनमें कितने फेल हुए और कितने पास हुए ?

श्री श्रीपति मिश्र---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १३,९९३ विद्यार्थियों के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है और यह एक साल करीब करीब खत्म हो गया है और हर साल होता है कि साल विद्यार्थियों का खत्म हो जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई प्रक्रिया अपनावेंगे कि एक साल खत्म न होने पाये ? मैं देखता हूं कि हर साल हम चर्चा करते हैं लेकिन उसी लीक पर गाड़ी चली आ रही है।

श्री श्रीपति मिश्र---

माननीय सदस्य ने बहुत उचित प्रश्न किया है। किसी परीक्षार्थी का परीक्षा फल जब ऐसे कारणों से रुक जाता है तो उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। एक तो यह दी जाती है कि वह अगली क्लास, ऊंची क्लास में भर्ती हो सकते हैं। दूसरी यह दी जाती है कि वह अपनी परीक्षा भी दे सकते हैं। बस प्रतिबन्ध यह है कि जो परीक्षाफल रुका होता है उसके परिणाम के अनुसार जो अगली कक्षा के परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ेगा आगे कार्य होगा इसलिये साल के खराब होने का सवाल नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा शायद वह पूरी जानकारी के साथ नहीं कहा क्योंकि जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके जाते हैं उनको कोई भी विद्यालय भरती नहीं करता है। क्योंकि यह मानकर चला जाता है कि जो नतीजा रोका गया है वह एक अवधि जो होती है उसके अन्दर अगर नहीं निकला तो वह विद्यार्थी साधारणतया भर्ती नहीं किये जाते हैं इसलिये विद्यार्थी का नुकसान तो जरूर ही हो जाता है।

श्री श्रीपति मिश्र---

मैंने पूरी जानकारी के साथ नहीं कहा ऐसी बात कहना कुछ अच्छी बात नहीं है लेकिन वह चूंकि महिला सदस्य हैं, इसलिये मैं स्वीकार करता हूं....

श्री अध्यक्ष—

यहां महिला और पुरुष सदस्यों में फर्क नहीं होता।

श्री श्रीपति मिश्र—

कुछ सौजन्य तो उनके प्रति बरतना ही होगा। भर्ती तो अक्सर जो पास किये हुये छात्र होते हैं उनकी भी नहीं होती है लेकिन उन की भर्ती का नियम है, भर्ती हो सकती है, वह परीक्षा में बैठ सकते हैं और परीक्षाफल रुकने से कोई बाधा नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं कालेज की प्रिंसिपल रही हूं और मैं जानती हूं कि ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते जब तक कि उनका पहला परीक्षाफल घोषित न हो।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी कहते हैं तो आप बिठा दीजियेगा, बाद में उनको मानना पड़ेगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस वर्ष नहीं हर साल आता है और १३,१५,२०, ३० और ४० हजार विद्यार्थी रहते हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो कमेटियां बनती हैं वह इतनी कम होती हैं कि उनके द्वारा जांच ठीक से समय के भीतर नहीं हो पाती। तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी प्रणाली भविष्य के लिये अपनायेंगे कि जिससे एक मास के अन्दर ही यह प्रश्न हल हो जाया करे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

बात यह है कि इन परीक्षाओं में ८–९ लाख से ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं परीक्षा में और जब अनुचित साधनों का प्रयोग होता है तो उसमें हर विद्यार्थी के केस में अलग अलग, जिनके कि खिलाफ आरोप होता है, उनसे पूछताछ होती है, उनके उत्तर लिये जाते हैं, गवाहियां होती हैं तब निर्णय होते हैं और परीक्षा समिति की रिपोर्ट आती है। हम इसका प्रयत्न करेंगे कि कम से कम समय लगे जहां तक मुमकिन हो लेकिन जो विद्यार्थी फंसते हैं सबके अलग अलग व्यक्तिगत केस होते हैं और थोड़ी बहुत मुकदमे की सी पद्धति अपनाना पड़ती है, उसमें विद्यार्थियों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी देर होती है। यदि उस आवश्यक पद्धति में कमी करते हैं तो मामला अक्सर कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है। इसलिए आवश्यक पद्धति अपनाने में देरी हो जाती है। फिर भी आप के सुझाव को ध्यान में रख कर हम प्रयत्न करेंगे कि यह कार्य जल्द से समाप्त हो जाया करे।

श्री रामलाल राही—

मैं जानना चाहता हूं कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वह प्रदेशीय स्तर पर है या जिला स्तर पर है ? यदि वह जिला स्तर पर नहीं है तो क्या मंत्री जी इन मामलों को जल्दी से निबटाने के लिये जिला स्तर पर कमेटियां बनाने का विचार करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जहां सामूहिक नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग की बात होती है वहां के लिये बोर्ड से स्क्रीनिंग कमेटी नियुक्त होती है और कहीं इनडिविजुअल केसेज में डी० आई० ओ० एस० इस काम को करते हैं।

श्री रामलाल राही--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रों पर ही इस प्रकार की गड़बड़ होती है जिनके कारण विद्यार्थियों के रिजल्ट रोके जाते हैं इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया और पुनः आग्रह कर रहा हूं कि जिला स्तर पर अगर कोई समिति बना दी जाय तो जिले के लोग, जिसमें स्कूल के प्रबन्धक और प्रिंसिपल भी हों उनको रखा जाय ताकि वे सारी बातों समझ कर मामले को निपटा सकें। क्या सरकार एसा करने का विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री श्रीपति मिश्र--

जो केन्द्रों में गड़बड़ होती है उसके लिए हमारे यहां की एक समिति मुकर्रर होती है जो मौके पर जाकर जांच करती है और जहां तक आपका सुझाव है कि इस समिति में स्थानीय व्यक्ति रखे जायं देखने में आया है कि इन मामलों में ज्यादातर स्थानीय लोग ही कारण बनते हैं। इसलिए बाहर से लोग जायं और मौके पर जांच करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त होता है।

पूर्वी जिलों व बुन्देलखंड क्षेत्रों में विकास निगमों की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्रीमती सियादुलारी का आया है, इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है लेकिन पढ़ कर सुनाये देता हूं। यह इस प्रकार है :

"फरवरी १९७० को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित ६९/७० के अनुपूरक बजट में प्रदेश के पूर्वी जिलों व बुन्देलखंड के क्षेत्रों में विकास निगमों की स्थापना के लिए दो-दो करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी स्वीकृत की गई थी। इन निगमों का मुख्य उद्देश्य इन अंचलों में विकास के कार्यक्रमों की गति को अधिक तीव्र करना था। सरकार ने अभी कुछ समय पहले विधान सभा के निर्णय का उल्लंघन करके उक्त दोनों निगमों को स्थापित न करने का निर्णय किया है। इस प्रकार प्रदेश के पूर्वी जिलों बुन्देलखंड के क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की गई है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन अपनी आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

एक तो १६ तारीख को आपका बजट आ रहा है। दूसरे निगम समाप्त करने का मतलब नहीं होता कि यह रकम भी समाप्त कर दी गयी है। कल ही कुछ माननीय सदस्य बुन्देलखंड के, श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा,जी नेइस बात की तारीफ की थी किमुख्य मंत्रीजी ने बुन्देलखंड, और उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाकों के बारे में जानकारी हासिल करके उनके बारे में कोई कार्यक्रम रखा है। तो वह हमको मालूम नहीं होगा जब तक बजट सामने न आये। उस समय आप चर्चा कर सकते हैं। तो यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न नहीं रहता है क्योंकि बजट १६ तारीख को ही आने वाला है। इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इसके ऊपर अगर वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सोमवार को रख दें तो हो सकता है कि उस पर आपको सूचना मिल जायेगी।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

जहां तक नियम ५१ की सूचनाओं का सम्बन्ध है, मैंने उनमें से १ को स्वीकार किया था और इसे धोखे से स्वीकार किया था कि इसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने उस पर कोई निर्णय ले लिया, किसी व्यक्ति के खिलाफ लेकिन यह मालूम हुआ है कि उस व्यक्ति से अभी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। अभी तक कोई निर्णय उनके खिलाफ नहीं हुआ। यह मामला अभी भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के समक्ष पैंडिंग है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता हो। एक और है जिसमें किसी अखबार में श्रीमती ललिता शास्त्री जी के खिलाफ कुछ ऐसे अपने विचार प्रकट किए हैं तो उसके बारे में मैंने मुख्य मंत्री को लिखा है। उसकी यहां पर चर्चा हो और उसका पब्लिकेशन हो, उससे यह ज्यादा अच्छा होगा कि उस पर मुख्य मंत्री कार्यवाही करें। एक रामपुर का अखबार है। उसमें गन्दी बातें लिखी हैं। मैं उसको चर्चा का विषय बनाना उचित नहीं समझता हूं। इसके अतिरिक्त बाकी इतने महत्व के नहीं हैं जिनको नियम ५१ में स्वीकार किया जा सके।

आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

आगरा सीनेट के लिये मैं एक सूचना देना चाहता हूं। उसमें पांच व्यक्तियों का चुनाव होना है। नामीनेशन प्राप्ति की अन्तिम तिथि १५ है। नामीनेशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १५ तारीख को साढ़े चार बजे होगी और नामों की वापिसी की तिथि तथा समय १८ तारीख, चार बजे तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान २१–१२–७० को होगा विधान वाचनालय में १२ से ४ बजे तक। आगरा सीनेट के लिये आपको पांच सदस्यों को चुनना होगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, जो कौमी जंग अखबार है जिसका जिक्र मैंने नियम ५१ में दिया है और जिसमें ललिता शास्त्री पर कीचड़ उछाला गया है श्रीमन, उसको मैं समझता हूं कि साधारण रूप से लेने की बात नहीं है। सारे देश और प्रदेश के अन्दर ऐसी पवित्र महिला जिसका हम सम्मान करते हैं उनके प्रति ऐसा व्यंग ही नहीं बल्कि ऐसे गन्दे विचार उन्होंने उसमें व्यक्त किये हैं कि ..

श्री अध्यक्ष—

मैंने बहुत अच्छी तरह से विचार किया है। वे पवित्र महिला हैं उसके बारे में और पब्लिकेशन करना चाहें तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम यह पूछना चाहते हैं कि सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं उसको मैंने सब की तरफ से लिखा है, आपकी ही तरफ से नहीं है।

श्री जंग बहादुर यादव (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि जौनपुर जनपद के फूड अडेल्टरेशन के ६२ कैसेज जो मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन थे उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वापिस ले लिया गया जिसको उन्हें वापिस लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इससे उत्तर प्रदेश को जुर्माने के रूप में काफी रुपया मिलता वह नहीं मिला, इससे जनपद में असन्तोष है।....

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं तथा विद्यार्थियों की विधान भवन के सामने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

अब नया विषय लिया जायगा।

(नेता विरोधी दल को पुकारने पर)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं चर्चा के लिये।

श्री अध्यक्ष---

आप आरम्भ करिये---

*श्री रामकरन (गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, ७ तारीख को विधान सभा खुली और उसी दिन पिछले जो पांच महीने के अन्दर आर्डिनेंसेज जारी हुए थे उनके आने की सम्भावना भी थी। उसी के तहत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जो भी विद्यार्थी संगठन इस अध्यादेश से पीड़ित थे, वे अपनी भावना को व्यक्त करने के लिये विधान सभा भवन के सामने आये। मान्यवर, कल जो गृह मंत्री ने बयान दिया कि वहां पर १८८ के अन्दर जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके साथ कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। उनकी कोई पिटाई नहीं हुई, उनके साथ कोई सख्ती नहीं बरती गई। दूसरी बात भी उन्होंने कही कि जो एक विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय का जिसने आत्मदाह की बात कही थी उसकी सूचना माननीय गृह मंत्री को नहीं मिल पाई। केवल उसका तार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री टी० एन० सिंह को मिला था। सम्भवतः यह भी बात अपने बयान में कही कि वह लड़का उस स्थान पर गया ही नहीं जिस स्थान की उसने घोषणा की थी। मैं इन सारी बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और युवजन सभा का जो प्रदर्शन था उसका मकसद यही था, जहां तक मेरी जानकारी है, वे उस आर्डिनेंस का जो चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा विद्यार्थियों पर लादा गया, विरोध प्रकट करें और उस सम्बन्ध में जो उनके साथी हैं वह स्पष्टीकरण दें। जिस वक्त चौधरी साहब की सरकार उस आर्डिनेंस को लायी थी उस वक्त विरोध पक्ष के सभी दलों ने, कांग्रेस (संगठन), जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, आदि सभी पार्टियों ने विरोध किया था और वे ही दल जिन्होंने उस पर विरोध किया था उस आर्डिनेंस का समर्थन करने लग गये हैं। मान्यवर, यह जो काला कानून विद्यार्थियों पर लादा गया उसकी मुखालफत सभी ओर से हुई है और बड़े-बड़े विशेषज्ञों की यह राय है कि विद्यार्थियों के लिये यूनियन की सदस्यता अनिवार्य रहनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम करन]

मान्यवर, उस वक्त सरकार का जो दूसरा अंग कांग्रेस (आर) था, उनके लोग जो विद्यार्थी संगठन में कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। इन लोगों ने भी इस आर्डिनेंस को वापस लेने के लिये अपनी राय सरकार के सामनें रखी। उस आर्डिनेंस को वापस न लेने का फल चौधरी साहब को मिला। उनकी सरकार का पतन हुआ। संसोपा को भी उसका फल मिला।

मान्यवर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने यह कहा था कि जब ७ दिसम्बर को यह असेम्बली खुलेगी, अगर उस दिन तक यह आर्डिनेंस वापस नहीं होगा, तो हमारे मंत्री अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। या अपने तरीके से सरकार में रोष प्रकट करेंगे। यह श्रीमन्, हमारे संगठन का फैसला था। राष्ट्रीय नेताओं का फैसला था। उसी के तहत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्रियों ने जब इस्तीफा नहीं दिया, आर्डिनेंस का विरोध नहीं किया, तो मान्यवर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय उग्रसेन, वयोवृद्ध नेता, माननीय सालिगराम जायसवाल, माननीय अर्जुन सिंह भदौरिया, आदि ने विरोध में शान्ति पूर्वक प्रदर्शन किया। माननीय मंजूर अहमद तो यहीं थे, जब उनको पता लगा कि बाहर गिरफ्तारी हो रही है, तो वे भी बाहर गये, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, माननीय रियासत हुसेन साहब ने तो नेशनल हेराल्ड में छपा वह फोटो भी उनको दिखाया जिसमें कि पुलिस श्री जनेश्वर मिश्र को बल पूर्वक टांगे हुये ले जा रही है। मान्यवर, इस प्रदेश और देश की जनता आज इस बात का अहसास करेगी कि वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो यह कहा करती थी कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, आज उनकी कथनी और करनी में अन्तर हो गया। जनता के सामने इन लोगों को इसका स्पष्टीकरण करना होगा।

मान्यवर, जो विश्वकर्मा दुबे की बात कही गयी। पता नहीं कैसे किस सूचना के आधार पर माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि वह उस स्थान पर नहीं गया जिस स्थान पर जाने की उसने घोषणा की थी। मान्यवर, विश्वकर्मा दुबे ठीक साढ़े चार बजे गेट पर गये हैं। अपने साथ उनका पेट्रोल वगरह था। चूंकि वह हमारे जिले के थे, हमारे जिले के विश्वविद्यालय से सम्बन्धित वह लड़का था, मुझे यकायक जब इस बात का पता चला कि यह तो बहुत बड़ी बात सोच-कर आया है, तो मैंने श्रीमन्, उससे जाकर प्रार्थना की। उस समय बाहर गेट पर सिटी मैजिस्ट्रेट, डी० वाई० एस० पी० तथा दूसरे जिम्मेदार आदमी जमा थे---सारे लोगों के सामने मैंने उससे प्रार्थना की और वह मेरी प्रार्थना को मान कर वापस चला गया, और आपने यह कह दिया कि वह वहां पहुंचा ही नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि तथ्यों पर पर्दा न डाला जाए। समय रहते हुए आप स्थिति को पहचान लें तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम १९५३ की जो घटना थी, उससे इस सरकार को कुछ सबक लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं, जो बयान माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है उस के बारे में, कहना चाहता हूं कि वह सत्यों को झुठलएं न। पुलिस के बारे में, ज्यादती न होने के बारे में और विश्वकर्मा दुबे के बारे में उन्होंने जो कहा है, वह बिल्कुल सत्य से परे है।

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

मान्यवर, अभी हमारे माननीय मित्र, श्री रामकरन जी ने जो वक्तव्य दिया है, उस सिलसिले में कल मैं अपना बयान माननीय सदन में दे चुका हूं। जितनी सूचना उस समय मुझे उपलब्ध हुई थी, मैंने सदन को दी थी। मैंने कहा था कि उस तिथि को श्री दुबे या अन्य किसी के द्वारा आत्म-दाह विधान सभा के द्वार पर नहीं किया गया। अब वह वहां थे या नहीं थे---यह मैंने नहीं कहा। वह अब भी मैं कहता हूं कि कोई आत्मदाह नहीं किया गया और इसके अलावा मारपीट का जो प्रश्न है कि पीटा गया किसी को, उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। इतनी बात अवश्य हुई, जैसा मुझे पता चला माननीय श्री जनेश्वर मिश्र, जो संसद सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन पर उनको ले जाने के लिए उनसे प्रार्थना की गई। जिसको उन्होंने नहीं

माना, तो फिर उनसे प्रार्थना की गई और न मानने पर बार-बार प्रार्थना की गई। फिर भी जब वह नहीं माने तो उन्हें पकड़ कर गाड़ी में जरूर बैठाया गया। न कोई अभद्र व्यवहार हुआ, न कोई गाली-गलौज किसी को दी गई। न लाठी या घूंसा किसी को मारा गया। फोटो का जो सवाल है, उसे मैंने देखा है, मेरे पास भी मौजूद है, उसमें सिर्फ जनेश्वर मिश्र को गाड़ी पर बिठाया जा रहा है उठा कर। इसके अलावा और कोई उसमें बात प्रदर्शित नहीं होती है। न कोई लाठी–घूंसा मारा जा रहा है न कोई कहता है।

एक सदस्य—

अखबार में आपको यही दिखाई देता है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उस नेशनल हेराल्ड की प्रति मेरे पास भी है, उसी को देख कर बता रहा हूं। आपके लिए कोई नया संस्करण निकला हो तो नहीं कह सकता। उसी के आधार पर मैं बयान दे रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उनको बैठाया जा रहा है या डांटा जा रहा है?

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अध्यादेशों की शुरूआत जब से हुई तब से प्रदेश की राजनीति में और जनता में भारी उथल-पुथल हुआ है। अध्यादेशों की वजह से ही यह पहली सरकार चली गई। यह विषय जब अगले दिन आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज विषय यह है कि दफा १४४ जो यहां लगी उसकी जरूरत क्या थी। अभी निजलिंगप्पा साहब का जुलूस यहां निकला। जलसा हुआ। कोई दफा १४४ नहीं। लेकिन ७ तारीख को दफा १४४ लगायी गयी। सालिगराम जायसवाल को प्रदेश का ही नहीं देश का बच्चा-बच्चा जानता है। कितने शान्ति प्रिय आदमी हैं। उनका योग देश की आजादी में निजलिंगप्पा साहब से कम नहीं है। कितने शान्तिप्रिय आदमी हैं। वह शान्तिप्रिय आदमी उसका नेतृत्व कर रहे थे। मेरी सूचना यह भी है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय पर भी हमला किया गया। कार्यालय पर छापा मारा गया। तलाशी ली गयी लोगों को पकड़ा गया। विद्यार्थियों को भी पकड़ा गया जो जुलूस में भी नहीं थे। पहले से उनको पकड़ा गया। वे न जुलूस में थे न नारे लगा रहे थे। मेरी जानकारी है। पहले से पेशबन्दी की गयी। मैं विनम्रतापूर्वक गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं। कि थोड़ी सी इसमें मुलायमियत बरतें। अध्यादेश आज इस प्रदेश की कसौटी पर कसे जा रहे हैं। सारी पार्टियां जो आज सरकार में हैं बी० के० डी० को छोड़ कर, इस अध्यादेश का विरोध कर चुकी हैं। और बी० के० डी० जो अध्यादेश लाने वाली थी, उसके भी अनेक सदस्य उससे निकल चुके हैं। वह भी डिवाइड हो गयी। लेकिन दफा १४४ लगायी गयी। पार्टी के दफ्तरों पर छापे मारे गये। विद्यार्थियों को बिना किसी अपराध के पकड़ा गया, उनको बाथरूम और कमरों से पकड़ा गया। उनको जेल भेजा गया। हमारे लोक सभा के सदस्य जनेश्वर मिश्रा जी पकड़े गये लेकिन मेरी जानकारी है राज नारायण जी वहीं थे उनको नहीं पकड़ा गया। यह पक्षपात क्यों किया गया? कुछ भेद है। राजनारायण जी जो सब से ज्यादा वहां मौजूद थे जुलूस में, चूंकि वह इन दिनों सरकार के पक्ष में हैं, वह नहीं पकड़े गये। जायसवाल जी पकड़े जायं जो पार्टी में इतने शान्तिप्रिय हैं और राजनारायण जी न पकड़े जायं यह सोचने का विषय हो गया है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

गृह मंत्री कह सकते हैं कि बल प्रयोग नहीं किया गया। मेरी जानकारी है, राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फाड़ा गया। (विरोधी दल की ओर से "शेम" "शेम" की आवाजें) वह मैं साबित करूंगा। कांग्रेस का वह झंडा जिसके नीचे हम, आप और वर्मा जी न इस देश की आजादी लड़ा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

किसी तरफ से यह तो लिख कर भी नहीं दिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं नेशनल कांग्रेस का झंडा कह रहा हूं। मेरे पास सबूत मौजूद है।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि मेरी जानकारी है इस बारे में। मैं अपनी जानकारी पर कह रहा हूं। ज्यादा न टोकिए। मेरी टोकने की आदत नहीं है। मैं किसी के भाषण में नहीं बोलता। गृह मन्त्री को बहुत बड़ा अभिमान है तो कहना चाहता हूं कि अगर चौधरी चरण सिंह की नादिर-शाही का मुकाबला किया जा सकता है तो आपकी नादिरशाही का भी मुकाबला किया जायगा। इस अध्यादेश से जिस तरह से विद्यार्थियों पर जुल्म किया गया है, एक-एक मेरी जानकारी में है। आज उसको कहने का समय नहीं है। जब समय आयेगा तो कहूंगा। आज मैं ७ तरीख की घटना पर कहना चाहता हूं। कांग्रेस के झंडे को फाड़ा गया, मैं इसका सबूत पेश करूंगा और इस पर भी कहते हैं कि हमने कोई बल प्रयोग नहीं किया है। आखिर बल प्रयोग की व्याख्या क्या है?

श्री अध्यक्ष--

विकल जी, झंडा किसने फाड़ा?

श्री रामचन्द्र विकल--

पुलिस वालों ने फाड़ा है। इसका मैं सबूत दूंगा और इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हर नरायन--

व्यवस्था का प्रश्न है। विकल जी ने श्री वीरेन्द्र वर्मा को चेतावनी दी है। इस तरह का उनको अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

लड़ाई मत करो।

श्री हर नरायन--

यह शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस के झंडे को फाड़ा गया है वह कांग्रेस दो भागों में बट गई है लेकिन दोनों का साझा है, अभी झंडा बटा नहीं है और हम बाहर चले जाने वाले भी उसमें शरीक हैं। अब बल प्रयोग की क्या व्याख्या होगी इसको गृह मंत्रीजी बतला दें। अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा। उन्होंने भी अब मजबूर हो कर या समय को समझ कर यह कह दिया है कि विद्यार्थियों को ३५ साल के पहले राजनीति में नहीं आना चाहिये। लेकिन अब उन्होंने क्रान्ति दल युवक संगठन की घोषणा भी कर दी है। वह समझ लें कि उनके अनुसार विद्यार्थी ३५ साल से पहले राजनीति में नहीं उतरेगा। तो इसका मतलब क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी नहीं चाहता कि मंत्रियों का घिराव हो या देश की सम्पत्ति का तोड़ फोड़ किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट हो गये हैं, और लोग भी बोलेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—

अगर विद्यार्थियों को मजबूर किया जाय और बाथ रूम और कमरों से उनको पकड़ा जाय जो कि शान्तिमय हैं, तो आप जानते हैं कि बच्चों को कन्ट्रोल कौन कर सकता है। जो बच्चे गलत काम करें उनको दंड दिया जाय लेकिन शान्तिमय बच्चों को न पकड़ा जाय।

कई सदस्य—

नारे लगा रहे थे।

श्री राम चन्द्र विकल—

नारे बाजी यही राजनैतिक लोग बतलाते हैं। सभी पार्टी ने अपने अपने संगठन विद्यार्थियों में बना रखे हैं। यही लोग नारे बाजी कराते हैं और बाद में डंडे बरसवाते हैं, तो यह नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बलपूर्वक की व्याख्या बदल दें और समझ लें कि अध्यादेशों से समस्या नहीं सुलझेगी, न पुलिस के बल पर डेमोक्रेसी चलेगी। मैं अध्यादेशों के बारे में पुलिस की कार्यवाहियों को बतलाऊंगा लेकिन पुलिस और डंडे के बल पर अध्यादेश नहीं चलेंगे और न लोगों को जबरदस्ती जेलों में भेज कर डेमोक्रेसी चलेगी। देश का भविष्य कहां जा रहा है, यह मुझसे आप ज्यादा जानते होंगे। लेकिन देश के भविष्य को संभालना है तो डंडा और पुलिस से सावधान होकर शांतिमय ढंग से बच्चों के बीच जाकर उन्हें समझायें। लेकिन आप के अन्दर विल पावर हो तभी तो उन्हें समझायें। इन शब्दों के साथ मैं श्री सालिगराम जायसवाल जी के साथ जो कार्यवाही हुई उसकी घोर निन्दा करता हूं और चाहता हूं कि सरकार उनसे क्षमा मांगे।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रामकरन जी और विकल जी जो बात सुनी और उसका उत्तर भी वर्मा जी ने दे दिया था। माननीय विकल जी ने विद्यार्थियों के सम्बन्ध में एक बात यह कही कि उनको निकालने या पकड़ने की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें समझाने की बात होनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से उनसे और अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं। मैं आप के सामने केवल एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं कि आप जो भावना अपने बच्चे के प्रति रखते हैं वही भावना सारे विद्यार्थियों के प्रति रखकर इस नतीजे पर पहुंचें कि वहां इस तरह का राजनीतिक वातावरण खड़ा करके, इस तरह का प्रकरण उभारकर अच्छा किया जा सकता है तो मैं कहूंगा कि इस दृष्टिकोण को जब आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखेंगे तो आप

[श्री श्रीपति मिश्र]

चाहेंगे कि आपका बच्चा शांतिमय इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो और वह अच्छी तरह पढ़े। हमारे आपके दृष्टिकोण में फर्क यह है कि जब हम बच्चों को देखते हैं तो उसकी पढ़ाई को दृष्टि में रख कर देखते हैं और जहां आवश्यक होता है यहां केवल उसके भविष्य को देखकर दंडित करना चाहते हैं। हम उसको इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि वह पार्टी के लिए या संगठन के लिए कार्य करे। हम राजनीति के रूप में उसको प्रयोग नहीं करना चाहते। हमें उनकी मानसिक और शारीरिक विकास की व्यवस्था करने में कड़ुवे घूंट पीने पड़ते हैं तो पी लेते हैं। छात्र अध्यादेश की बात कही गयी, उसको वापस लेने की बात कही गयी। अगर आप उस छात्र अध्यादेश को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें केवल एक बात है कि सरकार ने यूनियनों के सम्बन्ध में, छात्रों के सम्बन्ध में स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार लिया है। सिवाय इसके उसमें कुछ नहीं किया गया है। जो कुछ हम उस सम्बन्ध में करने जा रहे हैं वह बहुत जल्द यहां आवेगा। मैं पूरी तरह से चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आपमें से एक भी उस अध्यादेश का अध्ययन करे, केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि वास्तविक दृष्टि से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को छोड़ कर किसी और दृष्टिकोण से बनाया गया है या छात्रों के उत्थान में उससे बाधा पड़ेगी तो आप विरोध करें और आपके विरोध को देखकर मैं विचार करूंगा कि किस तरह से उसको किया जाय। एक बात निश्चित रूप से समझ लें। जो उस दिन घटना हुई, उसमें १४४ लगाने की बात कही गयी। कोई अशोभनीय घटना हो जाने के बाद कोई कार्यवाही करना किसी सरकार के लिए मुनासिब बात नहीं। १४४ इसीलिए लगायी गयी थी कि विधान सभा में आप महानुभाव आते जाते हैं, उसमें व्यवधान पड़ सकता है इसलिए वह लगायी गयी। उसमें जो लोग आये वे गिरफ्तार किये गये। आपने इसमें वह बताया कि राजनारायण को बचा दिया जबकि औरों को गिरफ्तार किया गया जो वहां पर थे। बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया और केवल वही लोग पकड़े गये जो आन्दोलनकारी थे और उस आन्दोलन में भाग ले रहे थे। राजनारायण जी आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे थे इस लिये वे पकड़े नहीं गये।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहूंगा कि राजनारायण जी ने इस आन्दोलन में भाग लिया था अथवा नहीं, क्या इसकी जानकारी उनको है अथवा नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जब वे गिरफ्तार नहीं किये गये तो उन्होंने भाग नहीं लिया। मैं वहां पर मौजूद तो था नहीं। जिन लोगों ने दफा १४४ का उल्लंघन किया वे लोग पकड़े गये।

छात्रों से सम्बन्धित अध्यादेश जो है उसके मेरिट के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि चर्चा तो दूसरे ही विषय पर है परन्तु मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारा जो संयुक्त विधायक दल है वह आपके विरोधी दल के जो सदस्य हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करूंगा जो इस सम्बन्ध में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें आयें और भाग लें और देखें कि एक भी लाइन इसमें ऐसी नहीं है जो विद्यार्थियों के हित में न हो। अगर कोई ऐसी चीज है तो वे उसको निकाल दें। इसके लिये मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप कोई ऐसी चीज बता देंगे तो मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा। मैं जरूर कहूंगा कि इस अध्यादेश को और छात्रों के यूनियन सम्बन्धी बात को राजनीति से अलग रखकर विद्यार्थियों तथा देश के हित में जो बात हो, उसी पर विचार करें।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वल)---

मान्यवर, यह ७ दिसम्बर, को जो घटना हुई मैं समझता हूं कि यह घटना बहुत ही गम्भीर घटना है। इस पृष्ठभूमि में ही आप इसको देखें कि तमाम दलों ने इस सदन के अन्दर जो भी मुख्य मुख्य दल हैं---कांग्रेस संगठन दल, जन संघ, एस० एस० पी०, पी० एस० पी०, कम्युनिस्ट पार्टी आदि ने इसका विरोध किया है। फिर भी यह कहा जाय कि इस सदन की बहुमत पार्टियों ने इस अध्यादेश का विरोध नहीं किया ठीक नहीं है। उन्होंने आज तक उस विरोध को वापिस नहीं लिया। मैंने किसी भी समाचार पत्र में नहीं देखा कि संगठन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी राय को बदल दिया हो। मैंने किसी भी समाचार पत्र में नहीं देखा कि जन संघ अथवा एस० एस० पी० ने अपनी राय को बदल दिया हो। माननीय त्रिपाठी जी अध्यादेश के बारे में कह चुके हैं और उनका प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जो प्रदेश की तमाम पार्टियां सरकार में सम्मिलित हैं वे भी इस अध्यादेश का विरोध करती हैं और ऐसी स्थिति में भी जब सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती तो इसके क्या माने हैं। बहुमत की पार्टियां इस अध्यादेश की वापिसी की मांग करती हैं और सरकार उसको नहीं स्वीकार करती तो फिर कौन सा रास्ता रह जाता है। तमाम जनता में और पार्टियों में इस अध्यादेश के विरुद्ध असन्तोष व्याप्त है विधान सभा के अन्दर भी और बाहर भी तो फिर उसके विरुद्ध प्रदर्शन करना जनतंत्र के किन उसूलों के विरुद्ध है। क्या इन प्रदर्शनों की इजाजत हमारा देश या संविधान हमको नहीं देता। क्या तमाम प्रजातंत्र की परम्परायें, हमारे राष्ट्र के आन्दोलन की परम्परायें इस बात की इजाजत नहीं देतीं कि अगर जनता में असन्तोष व्याप्त है तो उस असन्तोष का प्रदर्शन करने का अधिकार उनको जनता के प्रतिनिधियों के सामने हो ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन को करके जनता ने किस अधिकार का हनन किया ? मान्यवर, यह तो २०० आदमियों का प्रदर्शन था, यह हजारों आदमियों का प्रदर्शन, हजारों मजदूरों का प्रदर्शन, हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ है इस सदन के बाहर। यह बात तो रही विधान सभा की। अब आप पार्लियामेंट में देखिये। लाखों आदमियों का प्रदर्शन जनसंघ वालों ने किया, लाखों आदमियों का प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी ने किया।

(व्यवधान)

आप केरल की बात छोड़िये। दिल्ली में मान्यवर, संसोपा का प्रदर्शन हुआ और लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां भी हुयीं। दिल्ली की पार्लियामेंट में जनसंघ ने मुखालफत की। सोशलिस्ट पार्टी ने मुखालफत की, कम्युनिस्ट पार्टी ने मुखालिफत की.....

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय सदस्य से.....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह---

मैं कोई स्पष्टीकरण देने के लिये तैयार नहीं हूं मान्यवर, विरोधी दल के नेता जो पार्लियामेंट में हैं उनका दूसरा सिद्धान्त है और वही पार्टी के नेता जो उत्तर प्रदेश सरकार में हैं उनका दूसरा सिद्धान्त है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री रामप्यारे जी आप कृपा करके बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह—

आप सुनने की आदत डालिये। अब आप तो सरकार में पहुंच गये हैं।

(व्यवधान)

(गृह मन्त्री के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी, माननीय गृह मन्त्री जी, यह कोई तरीका नहीं है और न कोई कायदा है। जब तक बोलने वाला बैठ न जाय उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता जब तक कि यह योल्ड न करे। माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये। नेगी जी अब आप बोलें।

श्री गोविन्द सिंह—

पार्लियामेंट के अन्दर संगठन कांग्रेस के नेता केन्द्रीय सरकार की हरकत का विरोध कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कौन सी विशेषता है कि आप इस हरकत का विरोध नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जनसंघ के नेता, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता उस प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस का हमला हुआ है उसका विरोध करते हैं, आप यहां पर क्यों नहीं करते। वही परिस्थिति दिल्ली के अन्दर है और वही परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अन्दर है। वहां जनतंत्र की दुहाई दी जाती है यहां पर क्यों नहीं। यहां जनतंत्र कहां चला गया। इन्दिरा का भूत तो आप पर सवार रहेगा ही। यह प्रदर्शन इसलिये निकाला जाने वाला था कि प्रदेश की जनता में असन्तोष व्याप्त है, आपको इजाजत देनी चाहिये थी, जब कि आपके ही राजनैतिक पार्टी के लिये विरोध करने जा रहे थे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन नेतृत्व कर रहा था? क्या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे? नहीं थे। क्या नक्सलपन्थी थे? नहीं थे? कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के नेता थे? नहीं थे। वे तो आप के ही नेता थे—श्री सालिग राम जायसवाल, श्री उग्रसेन, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन। क्या आप यह कहने की जुर्रत रखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व यह लोग नहीं करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा में सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व दूसरे लोग करते हैं? मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन, चेयरमैन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन क्या एक गैर-जिम्मेदार नेता हैं? या तो यह मानिये कि सोशलिस्ट पार्टी के पार्लियामेंट के जो मेम्बर हैं वे इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वे लॉ एंड आर्डर भंग करना चाहते थे और इस बात को आप उतनी ईमानदारी से कहिये जितना ईमानदारी से चौधरी चरण सिंह साहब ने इस आर्डिनेन्स की हिमायत की। लेकिन आप इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी के अन्दर शामिल है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मित्रों से मैं कह देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि विशेष परिस्थितियों में वह उस तरफ बैठे हुए हैं, हमको कोई एतराज नहीं, वह बैठें लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें क्या इस प्रदेश के अन्दर आप सरकार को यह अधिकार देंगे कि वह नागरिक स्वतंत्रता का हनन करे? कल आप हमारे साथ बैठे होंगे। तो इस प्रदेश के अन्दर आप कौन सी परम्परायें डालना चाहते हैं? मैं गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा इस बात को जोश में न लें, जरा ठंडे दिल से सोचें। पुलिस के रिकार्ड में गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में रिकवरी मेंभी बनी होंगी उसमें जांच करा लें कि कौन सा झंडा था? मेरे भाई सिंडिकेट वालों का जो झंडा है वही झंडा इधर नई कांग्रेस वालों का है। कल तक गृह मन्त्री राष्ट्रीय आन्दोलन तथा आजादी के लिये लड़े थे, हम लड़े थे और हम सब उस झंडे के लिये मार खाई है। उसके लिये हमने और आपने कुर्बानियां दी हैं। तमाम राष्ट्र ने उस झंडे के लिये कुर्बानियां दी हैं। उस झंडे का अपमान राष्ट्रीय आन्दोलन का अपमान है। लेकिन आप उस झंडे का अपमान भूल गये, क्यों भूल गये? इसलिये भूल गये कि आपने उन लोगों की संगत की जिनका राष्ट्रीय आन्दोलन से कोई ताल्लुक नहीं रहा, जिन्होंने उस झंडे को कभी हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने उस झंडे का

सम्मान कभी दिल व दिमाग से नहीं किया। माननीय गृह मन्त्री जी जरा इन चीजों को गंभीरता से लीजिये क्योंकि दलगत प्रश्न नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी का प्रश्न नहीं है, केवल विद्यार्थियों का प्रश्न नहीं है। यह मौलिक अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का प्रश्न है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विद्यार्थियों के बारे में कुछ उपदेश दिये। अगर आध्यादेश के बारे में बहस होती तो मैं उनकी एक एक बात का जवाब देता। वह प्रश्न इस सदन के सम्मुख जब आयेगा और आप की कृपा होगी और विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा तब मैं उसका उत्तर दूंगा लेकिन इतना मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस अध्यादेश को तो लाने से पहले इस बात पर जरा सोच लें यह कहां तक न्यायसंगत है जो विद्यार्थियों को गालियां दी जाती हैं। हर राजनीतिक पार्टी का आदमी उनको गाली देता है और कहता है कि वे अनुशासनहीन हो गये हैं और यह गालियां देना एक फैशन सा हो गया है? जो आचरण हम लोग करते हैं, पुरानी पीढ़ी के हम लोग जो आचरण करते हैं क्या उसका असर उन नौजवान विद्यार्थियों पर, देश के नागरिकों पर नहीं पड़ता? हमारे यहां इस प्रदेश के अन्दर लोग मुख्य मंत्री बदलने के लिये ही दल बदल करते हैं, कार्यक्रम की बात नहीं करते। क्या इसका असर उन पर नहीं पड़ता? विद्यार्थियों के अन्दर इससे असन्तोष बढ़ता है और फिर उसका जवाब लाठी व गोली से दिया जाता है तो यह समस्या का समाधान नहीं है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सरकार के इस कृत्य के लिये उसकी निन्दा की जाए।

*श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने इस विषय पर विचार व्यक्त करने के लिये मुझे अवसर दिया। ७ तारीख को क्या घटना घटी थी यह मैंने देखी नहीं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून के लिये हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल की स्थिति हमारे सामने है, कलकत्ते में जो हो रहा है हम सब महसूस करते हैं कि वह सब इसी-लिये हो रहा है। कानून के लिये हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए उसकी बहुत कमी है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के सामने २ सब से बड़े प्रश्न हैं। पहला तो यह कि हम इस प्रदेश के अन्दर शांति व्यवस्था बनायें रखें और दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में जो आने वाली पीढ़ी है छात्र और छात्राओं की, उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाय, उनके अन्दर ऐसा वातावरण बना दिया जाय जिससे उनका मानसिक, शारीरिक, अध्यात्मिक और नैतिक विकास हो। मान्यवर, मैं इस सदन में सबसे छोटा हूं। हो सकता है कि कोई एकाध सदस्य मेरी ही उम्र का हो बाकी सभी लोग मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और मेरे भाई और पिता के समान हैं। मैं उन सभी से जो कि मुझसे बुजुर्ग हैं, सम्भवतः यदि मैं उनके घर का सदस्य होता या उनका छोटा भाई होता तो वे मुझसे जरूर कहते कि पढ़ाई-लिखाई में अपना दिल और दिमाग लगाओं, बसों को मत जलाओं, हुल्लड़बाजी मत करो, दुकानों को मत फूंको, आन्दोलन मत करो आदि। मान्यवर, वे मुझसे कभी यह नहीं कहते कि तुम आत्मदाह करो या किसी प्रकार का आन्दोलन करो। यह प्रश्न हमारे उस समय के जो मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे उनके मन में यह आभास हुआ कि लड़कों का परीक्षाफल गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों का चरित्र गिर रहा है, उनमें भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी या रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है, इसे देखना चाहिये। उनके मन में यह आया कि लड़कों को इतनी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिये कि वे परीक्षाओं में फेल न हों और उन्हें कुछ न कुछ रोजगार मिल सके।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषय से बाहर जा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीश गांधी—

मैं अपने विषय पर ही आ रहा हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसीडेन्ट रह चुका हूं। मैं यह नहीं चाहता कि हम विद्यार्थियों को इक्स्प्लाइट करें या राजनीतिक स्वार्थों के लिये उनका शोषण हो। अभी माननीय विकल जी ने कहा कि छात्र युवक क्रांति दल क्यों बना रहे हैं। इसके लिये मैंने बहुत जोर डाला किन्तु इसके बनाने से हमारी मन्शा यह कभी नहीं है कि हम आन्दोलन करेंगे या घिराव करेंगे। उसमें जो सब से पहली बात है वह यही है कि छात्रों की जो समस्यायें हैं उन्हें हम अपने अध्यापकों से कहें, अपने बुजुर्ग नेताओं से कहें और उनको सुलझाने का प्रयत्न करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय चौधरी चरण सिंह का हृदय रोता था। तब उनके दिल में यह बात आई कि लड़के पढ़ाई-लिखाई में कमजोर हैं। उत्तर प्रदेश का परीक्षाफल हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों से सबसे कमजोर है। उत्तर प्रदेश के पास हुये विद्यार्थियों का परीक्षाफल ४० प्रतिशत है और ६० प्रतिशत लड़के फेल हो जाते हैं। इन ४० प्रतिशत में ३७ प्रतिशत विद्यार्थी थर्ड डिवीजन में पास होते हैं और केवल ३ प्रतिशत विद्यार्थी ही फर्स्ट या सेकेण्ड डिवीजन में पास हो पाते हैं। इसी भावना से वह अध्यादेश रखा गया था। जो लड़के पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वे ही विद्यार्थी कानून को भंग करना चाहते हैं। वे आम लड़के नहीं हैं। मैं आज भी कहता हूं कि मैं अभी भी इस पक्ष का नहीं रहा हूं कि किसी प्रकार का हंगामा या आन्दोलन विद्यार्थी करें और इसी कारण से मैं १,८०० वोटों से वाइस प्रेसीडेन्ट के पद पर और १,९०० वोटों से प्रेसीडेन्ट के पद पर आया था। इससे साबित होता है कि ९५ ही नहीं ९९ प्रतिशत लड़के स्ट्राइक नहीं चाहते, आन्दोलन नहीं चाहते। यूनिवर्सिटी की १०० प्रतिशत लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। यह जो लड़के आन्दोलन कराते हैं वे एक-दो-चार साल ही नहीं १०-१० साल तक फेल होते हैं और यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखाये रहते हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, क्या यह विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मैं विषय पर आ रहा हूं। श्रीमन्, यह जो प्रदर्शन ७ तारीख को हुआ, उसको देखने से यह साफ जाहिर होता है कि यह आन्दोलन छात्रों का नहीं था। यह आन्दोलन प्रोफेशनल आन्दोलनकारियों द्वारा किया गया था और नाम उसको दिया गया था स्टुडेंट्स का। वे लोग यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लेते हैं लेकिन कक्षा को साल में १-२ बार भी अटेंड नहीं करते। नियमों के अनुसार विद्यार्थी वह है जो यूनिवर्सिटी या कालेज में ७५ फीसदी दिनों में अपनी क्लासेज को अटेंड करता है। ७ तरीख को जो आन्दोलन हुआ उससे साफ जाहिर हो गया कि वह आन्दोलन विद्यार्थियों का था या राजनीतिज्ञों का। इसका आन्दाजा इसी से लग सकता है कि आन्दोलन तो कहा जाता है कि वह विद्यार्थियों का था और गिरफ्तार उसमें कौन होते हैं ? अर्जुन सिंह भदौरिया, उग्रसेन और जगेश्वर मिश्र जी। मैं विद्यार्थियों का हितैषी हूं और सदा से रहा हूं। मैं बड़े होने के नाते उनको राय देता हूं कि वे कानून की इज्जत करें, दफा १४४ को कभी न तोड़ें। मैं समझता हूं कि यह विद्यार्थी के हित में है।

जिस समय यह आर्डिनेंस जारी किया गया था उस समय सामने बैठने वाले इन्डीकेटी भाइयों के १३ सदस्य मंत्रिपरिषद् में थे। मुझे पूरी तरह से याद है कि उस समय इस आर्डिनेंस को बनाने में उन्होंने पूरी जिम्मेदारी का परिचय दिया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, क्या अध्यादेश के बारे में बोला जा रहा है या ७ तारीख की घटना के बारे में ? अगर विषय से अलग बातों को बोलने का आपने अवसर दिया तो मुख्य विषय छूट ही जायगा।

श्री सुखलाल पांडेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। बहुत से लोग उस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। या तो आप समय बढ़ा दें या गांधी जी को विषयान्तर बोलने से रोकें। नहीं तो वे उपदेश ही देते रहेंगे और समय समाप्त हो जायगा और सदन को ठीक प्रकार से विषय पर विचार करने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री जगदीश गांधी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मान्यवर, मेरे बड़े भाई नेगी जी ने कहा कि जनसंघ और एस० एस० पी० के लोगों ने उस समय यह कहा था कि यह अध्यादेश छात्रों के हित में नहीं है, इसलिये ७ तारीख को जो विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया वह अनुचित नहीं था···

श्री अध्यक्ष---

इस समय सवाल यह नहीं है। इस समय तो सवाल यह है कि उन लोगों के साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई, मारपीट हुई या नहीं हुई। अब आप बैठ जायं। आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। अब मैं आप को और बोलने के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

माननीय जगदीश गांधी जब बोल रहे थे तो आपने ठीक ही कहा कि विषय से उन्हें सम्बन्धित बात ही कहनी चाहिये थी। ७ तारीख की जो घटना थी उससे सम्बन्धित विषय पर ही चर्चा होनी चाहिये। मैं आप के द्वारा यह जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था केवल जगदीश गांधी जी के लिये ही है और माननीय नेगी जी ने सारी बातें कहीं। फण्डामेंटल रूल्स की बात कही, अध्यादेश के मैरिट्स की चर्चा की, क्या वे बातें अनावश्यक नहीं थीं और क्या आपकी व्यवस्था उनके लिये नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठिये। क्या आपने उस समय कोई एतराज किया था ?

श्री मैनेजर सिंह---

क्या यह उचित नहीं था कि आप उनको रोकते ? उत्तर में तो सब कुछ कहा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी---

श्रीमन्, मुझे आप ने दो मिनट का समय दिया था।

श्री अध्यक्ष---

आप भिन्न बात करते रहे और घटना के बारे में आपको शायद कुछ मालूम नहीं है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, आज जो हाउस के सामने चर्चा है यह बहुत गम्भीर है। मैं आप के जरिये अपने साथियों और नेताओं तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि मुझे बी० के० डी० और कांग्रेसी नेताओं से कुछ नहीं कहना है। उनके दल के लोग चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के

[श्री मंजूर अहमद]

बैठने वाले हों, जितने सदस्य हैं आपके सामने सभी ने कहा है कि डंडे की पार्टी है और डंडे में यकीन रखती है। माननीय गृह मंत्री के रहते हुये और उनकी पुलिस डंडे बरसाये तो कोई अचम्भे की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी जो इधर बैठा करते थे, कल परसों आपने और जनता ने हमारे उन साथियों के भाषण सुने। फिर चाहे वे अनीसुर्रहमान शेरवानी हों या अनन्तराम जायसवाल हों या शम्भूनाथ चौधरी हों या दूसरे अन्य साथी हों, उन्होंने जो अपने खयालात का इजहार किया है यह सब प्रोसीडिंग्स में मौजूद हैं।

मैं आप के जरिये कहना चाहता हूं कि संसोपा के चेयरमैन, माननीय उग्रसेन जी गिरफ्तार हुये फिर भी यह कहना कि यह संसोपा का प्रदर्शन नहीं था जैसा कि एक हमारे साथी ने कहा है। संसोपा के महान क्रांतिकारी जो सन १९३० के अन्दोलन में भी गिरफ्तार हुये, अंग्रेज के जमाने में भी जिन्होंने डंडे खाये-सालिगराम जायसवाल, हमारी राष्ट्रीय समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश की अगुआई कर रहे थे। हमारी पार्टी के जनेश्वर मिश्र, एम०पी० उस प्रदर्शन की अगुआई कर रहे थे और उस प्रदर्शन के लिए राष्ट्र के नेता, श्री मधु लिमये और श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, अखबारों में भी छपा था और रेडियो पर भी आया था कि संसोपा के विधायक उत्तर प्रदेश में ७ तारीख से पहले ही इन काले अध्यादेशों को वापस करायें नहीं तो सरकार से बाहर आयें।

श्री अध्यक्ष—

आप भी विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री मंजूर अहमद—

मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। एस०एस०पी० के चेयरमैन जब गिरफ्तार हो गये....

श्री हरनरायन—

यह पार्टी की बात कर रहे हैं या ७ तारीख की घटना की बात कर रहे हैं ?

श्री मंजूर अहमद—

जब हमारे चेयरमैन या हमारे पुराने नेता, श्री सालिगराम जायसवाल, हमारी राष्ट्रीय समिति के सदस्य गिरफ्तार हो गये तब मैंने यहां कहा कि हमारे मंत्रियों को इस प्रदर्शन की अगुआई करनी चाहिये जिस प्रदर्शन के लिये हमारे राजनारायण जी ने जेल से तार दिया था राज्यपाल को।

श्री अध्यक्ष—

आप घटना पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री मंजूर अहमद—

बात तो घटना की है कि आखिर घटना बनी कैसे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो यह (श्री जगदीश गांधी की ओर इशारा करके) भी कह सकते थे।

श्री मंजूर अहमद—

पुरअमन साथी, पुरअमन समाजवादी युवजन सभा के नेता और संसोपा के नेता, जिनकी आपको याद दिलाना चाहता हूं, गृह मंत्री को और अपने संसोपा के नेताओं को भी जब गुप्ता की सरकार थी, जब इंडीकेट और सिंडीकेट अलाहदा होने जा रहे थे तब....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

एक वैधानिक प्रश्न है । कृपया आप बाध्य करें माननीय सदस्य को कि विषय पर बोलें।

श्री मंजूर अहमद—

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन होते रहे हैं संसोपा के, कम से कम मैं ४६ बार जेल गया हूं ।

(व्यवधान)

मैं ७ तारीख की घटना को बताऊं । आपको भी पता है और माननीय मंत्रियों को भी पता है कि जम्हूरियत में और कौन सा तरीका है। विधान भवन के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने, सरकार के कानों तक पहुंचाने शांति के साथ आ रहे थे । इनके नेताओं ने एक दिन पहले होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब से लिखित कह दिया था कि हमारे प्रदर्शन में कोई इस किस्म की बात नहीं है, हम सरकार के कानों तक अपने ख्यालात को पहुंचाना चाहते हैं । परन्तु संसोपा के मंत्री सरकार में शरीक रहें और हमारी पार्टी के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा ।

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, संसोपा के दफ्तर में ७ तारीख की घटना घटित नहीं हुई ।

श्री मंजूर अहमद—

६ तारीख को । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसी साथी ने बयान नहीं दिया कि यह गलती हुई और इसके बाद हमारे जनेश्वर मिश्र के पुलिस की सख्ती के कारण कपड़े फट गये और उनको पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया गया । कई हमारे दोस्तों को पुलिस ने पकड़ा और सरस्वती अम्मान को भी उस पुलिस ने पकड़ लिया । मैं यहां सदन से अपने नेताओं को देखने के लिये गया कि हमारे नेता किस तरह से और क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं । जैसे ही मैं बाहर निकला तो तुरन्त ही मुझको भी पकड़ लिया । मेरे हाथ में कोई बन्दूक नहीं थी लेकिन तब भी पुलिस के लोगों ने मुझको पकड़ कर गाड़ी में डाल दिया । मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदर्शन में इस तरह से पुलिस बरताव नहीं करती है । जिन लोगों का प्रदर्शन में विश्वास नहीं है मैं उनसे तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जिनका प्रदर्शन में विश्वास है जैसे संसोपा का यकीन है कि प्रदर्शन, आन्दोलन, जेलखाना या घेराव किया जाय तो इसके अलावा और कौन सा साधन है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का । निजलिंगप्पा साहब का जलूस निकला । उसके अन्दर १०,१५ हजार आदमी थे लेकिन तब यहां पर १४४ नहीं टूटी । केवल संसोपा के कुछ नेताओं के प्रदर्शन से यहां पर १४४ टूट गई यह कौन से न्याय की बात है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संसोपा के नेताओं को जो इस सरकार में मंत्री बने हैं उनको एक मिनट भी ऐसी सरकार में, जो उस अध्यादेश का समर्थन करती हो, नहीं रहना चाहिये ।

श्री जगदीश गांधी—

यह ७ तारीख की घटना की बात नहीं है । वे लोग सरकार में न रहें, यह किस प्रकार से उस दिन की घटना से संबंध रखती हैं ? मैं आपके आदेश से बैठ गया था लेकिन यह बराबर विषय से दूर बोल रहे हैं ।

श्री मंजूर अहमद—

यह वही जगदीश गांधी जी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक किताब लिखी है जिसमें चरणसिंह को चेयरसिंह इन्होंने लिखा है .... (व्यवधान) (शोर)

श्री जगदीश गांधी—

यह ७ तारीख की घटना के विषय में नहीं बोल रहे हैं ।

श्री मंजूर अहमद—

मैं आपके जरिये से इस सरकार के गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हं कि यह जरूरी नहीं है कि सरकार की इन कुर्सियों पर वह ज्यादा दिन तक बैठे रहें । यह लोग इन कुर्सियों पर चन्द दिनों के लिये हैं । चन्द दिनों के लिये यह सुलतान हैं....

श्री जगदीश गांधी—

आप इनको रोक नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आप ७ तारीख की घटना के विषय में ही बोलें । इधर उधर की बात न कहिए । पार्टी के दो हिस्सों पर इस तरह से छींटाकशी करना ठीक नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद—

सारे उत्तर प्रदेश को पता है कि जिस दिन से गृह मंत्री जी ने इस पद की शपथ ग्रहण की उसी दिन से जितने भी पिछड़े लोग थे, दबे हुए लोग थे और कमजोर लोग थे, उनको चिन्ता हो गई.....

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मंजूर अहमद—

मैं ७ तारीख की घटना की ही बात कहता हूं । इस सरकार ने इस प्रकार से दमन करके संसोपा के राष्ट्रीय आन्दोलन पर हमला किया है और संसोपा के लोग गिरफ्तार हुए । मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । श्री शम्भूनाथ चौधरी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विवाद के सिलसिले में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ही बातें हुयीं, बल्कि उसी पर विवाद हुआ । इसलिये हमको स्पष्टीकरण का मौका दें । हमको तो यह कहना पड़ता है कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं "बिना बिवाई फटे पीर पराई" वाली बात कर रहे हैं । मैं भोजपुरी की मसल का दूसरा रूप रख रहा हूं । बिना बिवाई, बिना जलूस निकाले छात्रों के साथ सारी हमदर्दी । जब गिरफ्तारी हुई तो आप कहां बैठे होंगे ? आज हमें तो फख्र हो रहा है कि छात्रों का जलूस था और उसमें हमारे नेता गिरफ्तार हुए । इसमें हिचक नहीं है कहने में, लेकिन यह साफ कहना चाहता हूं कि यह जो जलूस था वह उन छात्रों का था, सोशलिस्ट पार्टी का नहीं था । छात्रों में संसोपा का भी संगठन है "समाजवादी युवक-जन सभा", कांग्रेस का भी है, "युवक कांग्रेस" और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का झण्डा फाड़ा गया तो उसमें कांग्रेस के लोग भी शरीक थे, यह स्पष्ट है । इसी तरह से नेगी जी भाग गये । मेरा मतलब है स्टूडेंट फेडरेशन का भी तो उनका संगठन है, उसने भी तो पर्चे छापे हैं । उसके लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए ? संसोपा के ही गिरफ्तार हुए । प्रजा समाजवादी के क्यों नहीं हुए ? कम्युनिस्ट के क्यों नहीं हुए ? ये सब सपोर्टर कांग्रेस के हुए, यह बड़ी लज्जाजनक बात है ।

मेरे एक दोस्त भाई रामकरन जी ने कहा है, वह हमारे पड़ोस के जिले के रहने वाले हैं मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं। करनी और कथनी, रामकरन जी, सीखनी होगी संसोपा में आकर। इंदिरा का समाजवाद आपको नहीं सिखा सकता . . . (व्यवधान) संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सिखायेगी, वह अध्यादेश सदन के पटल पर नहीं आने वाला है। तो श्रीमन्, गिरफ्तारी हुई कैसे ? तमाम नेता आपके कोठरी में बन्द हो गये युद्ध क्षेत्र छोड़ कर। अब रह गये कुछ हमारे नेता। वह समझते थे कि छात्र हैं, नौजवान हैं, कहीं मन न मर जाय इन नौजवान लोगों का। तो बहादुर जब रणक्षेत्र को देखता है तो उसका भी मन मचल उठता है और हमारे जितने नेता थे वह भी उनके साथ हो गये। आपने तो देखे भी नहीं होंगे जनेश्वर जी को। मेरी तमाम नेताओं से बातचीत हुई है और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी पर कोई चोट नहीं है। आप जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें क्या है ? चढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है पीछे से तो पुलिस वालों ने जरा सा सहारा दे दिया। पुलिस वालों ने चढ़ने में जरा सहारा दे दिया उसका वह फोटो दिखा रहे हैं। जरा गृह मंत्री जी की उदारता देखिए कि एक तरफ तो [×××]

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से आप बाहर वालों का यहां नाम न लें, वह जो सदन में यहां पर नहीं हैं उनका नाम यहां इस तरह से नहीं लिया जा सकता। यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैंने कहा कि एक तरफ तो थैलियां आया राम गया राम बना रही हैं और इस तरह से दलबदल बढ़ाया जा रहा है और एक ही झटके में . . . . (व्यवधान)

आप १४४ को समझें मैं उसके पक्ष में नहीं हूं. . . . (व्यवधान) आत्मदाह की धमकी दी गई, आत्म हत्या तो स्वयं ही एक अपराध है और वह कायर लोग ही करते हैं जैसे औरतें कुंयें में कूदने की धमकी देती हैं. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप का समय समाप्त।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

बस दो मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रश्न यह था शासन के सामने कि इस आत्म-दाह की धमकी के होने से एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी और उस हालत में दफा १४४ का लगाना जरूरी था। आत्म हत्या तो खुद ही एक अपराध है अगर उसको १४४ लगाकर रोका गया तो वह तो अच्छा ही किया गया। राज नारायण जी आये ही नहीं और कहा गया कि वह गिरफ्तार किये गये, वह उस जलसे में थे ही नहीं। राज नारायण जी वहां गये ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तय करा दिया है सरकार से कि यूनियन से संबंधित आर्डिनेंस सदन के पटल पर नहीं आयेगा। जब यह तय हो गया था तो क्या जरूरत थी छात्र आन्दोलन को चलाने की ? . . . . (व्यवधान)

लज्जा आपको आनी चाहिये, आपको तो श्री राज नारायण का आभारी होना चाहिये कि जिन्होंने बिना किसी आन्दोलन के बात तय करा दी . . . (व्यवधान)

एस० एस० पी० के नौजवान . . (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यहां या हमारे जिले में जा कर वह देखें हम बराबर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और हम बाहर, भीतर जहां गलत चीज होती है, उसके खिलाफ लड़ते हैं और इस प्रवृत्ति को ही दफनाना चाहते हैं।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री मंजूर अहमद—

हमारे शम्भूनाथ जी ने एक बात कही.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री मंजूर अहमद—

आपने नाम लिया इसलिये मैं सदन को बताना चाहता हूं कि क्योंकि शम्भूनाथ चौधरी ने आया राम गया राम का जिक्र किया है इसलिए वह समझ लें कि हमारे साथ श्री सालिगराम जायसवाल जो हमारी राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं और अनेक एस० एस० पी० के राष्ट्रीय नेता हैं जिनको डाक्टर लोहिया.... (व्यवधान)

हम आखिर तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उप-नता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है । उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस आर्डिनेंस को वापस लेने का फैसला ले लिया है और इसके बाद ही आन्दोलन नहीं हुआ । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह आर्डिनेंस, जिसका उल्लेख हुआ है, सरकार ने वापस लेना स्वीकार कर लिया है ? यहां पर अभी-अभी कहा गया कि राजनारायण जी ने इस आर्डिनेंस को वापस करवा लिया है, इसलिये आन्दोलन की कोई जरूरत ही नहीं है । अभी-अभी माननीय चौधरी साहब ने यह कहा कि आर्डिनेंस को वापस लेना तय हो गया है और माननीय राजनारायण जी ने यह आश्वासन सरकार से ले लिया है । मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस अध्यादेश को वापस लेने का सरकार ने निर्णय कर लिया है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने, श्रीमन्, अपने दल की जो नीति है और जो इसका कार्यक्रम है, उसकी बात कही थी, न कि इस सरकार की ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, ७ तारीख को जो मैंने देखा, वह मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूं । श्रीमन्, ७ तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से यह देख रहा था कि युवक कांग्रेस के इलाहाबाद के आन्दोलनकारी यहां आये हुये थे । उन में नगर महापालिका के सभासद, श्री राजाराम जी अनुरागी, जो कि कांग्रेस के टिकट से विजयी हुये हैं, वे भी थे । वे कांग्रेस का झण्डा लिए हुए थे, जिस झण्डे को लेकर पुरानी कांग्रेस के मुख्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, और सरकार चला रहे हैं । उस झण्डे को लेकर पुलिस वालों ने फाड़ कर पटका । यह कितने लज्जा की बात है ? यह वही झण्डा था जिसके नीचे कांग्रेस वालों ने और अधिकांश दलों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जिस झण्डे को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसका अपमान हुआ, कितने शर्म की बात है ।

मैंने देखा श्रीमन्, कि जनेश्वर मिश्रा जी को उठाकर ले जाया गया वह गलत बात है, वे कोई बुड्ढे नहीं हैं, नौजवान व्यक्ति हैं । वे डरने वाले आदमी नहीं हैं । उनको पुलिस वालों ने धक्का दिया, उनका कुर्ता फट गया और फिर उनको उठाकर मोटर में ले गये । भाई राजनारायण जी माननीय गुप्ता जी के शासन काल में हवाई जहाज में बैठकर उत्तर प्रदेश से बिहार जाया करते थे । वे वहां पर खड़े थे और देख रहे थे कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय । वहां पर माननीय सालिगराम जायसवाल जी भी खड़े थे । ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाया गया जो उनके विरोधी थे । युवक कांग्रेस, इलाहाबाद, के एक अशोक पांडे

भी थे, उनको पुलिस वालों ने पकड़ कर मोटर पर पटका। यह भी मैंने देखा और जब वे हटने लगे तो उनकी पीठ में डण्डा खोंस दिया। लोग कहते हैं कि उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ। जिस समय वे मोटर में थे, उनको डण्डे से मारा गया। श्रीमन्, इतना तो मैंने देखा और यही मैंने आपके सामने कह दिया।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर सदन में काफी गर्मागर्मी हुई। जब कामरोको प्रस्ताव आया तब भी कुछ ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो और लाठी चार्ज हो गया हो।

श्रीमन्, आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि अभी तक जितने माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है किसी ने लाठी चार्ज की चर्चा नहीं की और इस कामरोकों प्रस्ताव में...

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मैंने यह कहा था कि बलपूर्वक रख दिया था....

श्री मैनेजर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, ये अगर भूल गये हों तो इन्हें फिर मौका दे दीजिए। वह घटना नहीं हुई। सवाल सिर्फ इतना ही है कि १४४ लगाई गई और १४४ में जिन लोगों ने भाग लिया उनकी गिरफ्तारी हुई। विवाद इतने तक सीमित रहा कि १४४ लगाना उचित था या अनुचित था। सरकार ने १४४ लगाने का फैसला किया। वह सरकार का निर्णय गलत था या वह फण्डामेन्टल राइट को कुचलने वाला था? उसकी आवश्यकता थी या नहीं थी? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें दो रायें हो सकती हैं कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। १४४ लगी, उसको तोड़ने वालों की गिरफ्तारियां हुयी। उनके मामलों का बाइज्जत फैसला भी हो गया। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुयीं उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है। ठीक कही है "पीर पराई" वाली बात माननीय शंभूनाथ चौधरी ने, वह सही है। आज हर मामले को राजनीति का मोहरा बनाने का प्रयास किया जाता है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इस संविद सरकार की भागीदार है, उसके लोग गिरफ्तार हुए इसलिए सारा वितन्डावाद किया जा रहा है कि मतभेद बढ़े। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यदि शासन की ओर से सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो तो यह सरकार की निष्पक्षता और न्यायपूर्ण निर्णय का उदाहरण है। जिस शासन में, जिस साझा सरकार में एक सोशलिस्ट पार्टी शामिल है और उसी शासन के द्वारा कानून की अवहेलना करने वाले माननीय नेताओं की गिरफ्तारी होती है वे भी गिरफ्तार किये जाते हैं। इससे बढ़कर सरकार की निष्पक्षता का क्या उदाहरण हो सकता है। (व्यवधान) हमारे भाई लाल बहादुर सिंह जी भी ताईद कर रहे हैं कि सही निर्णय सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने इस प्रकार अपनी निष्पक्षता का उदाहरण दिया है।

जहां तक धारा १४४ की बात है, आपको याद होगा उड़ीसा में एक बार आन्दोलन हुआ। कुछ लड़कियां जा रही थीं रास्ते से, कुछ मनचले शड़कों ने भद्दा सा गाना गाया। क्या वह सिनेमा का गाना है, "बोल संगम होगा कि नहीं" इस पर लड़कियों ने चप्पलबाजी की। उस पर लड़कों ने उत्पात मचाया। हड़ताल हुई। यहीं नहीं हुआ। ज्यादा दिन नहीं हुए, लड़कों ने जुलूस निकाला। लड़कों ने वहां के विधान सभा कक्ष में प्रवेश किया और सारा वहां का वातावरण अस्त व्यस्त हो गया। जब बाद में सवाल आया तो विभिन्न पक्षों के माननीय सदस्यों ने यही कहा कि यह शासन की अकर्मण्यता और नालायकी है।

[श्री मैनेजर सिंह]

इस शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की और प्रजातंत्र का यह जो पवित्र मंदिर है, यह भी भ्रष्ट हो गया। इसका वातावरण ही बिगाड़ दिया गया। यह शासन की नालायकी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि यदि १४४ धारा न लगाई जाय, और गिरफ्तार लड़कों को छोड़ दिया जाय तो क्या हो ? कल ही एक नौजवान ने यहां एक पर्चा फेंक दिया। यदि इस तरह से छूट दे दी जाय, हमारे नौजवान साथी ५०० की तादाद में जब चाहें यहां सदन में घुस आएं, उनको रोका न जाय, तो मान्यवर, इस जनतंत्र के मंदिर का फिर क्या हाल होगा ? कैसे यह जनतंत्र चलेगा ? भाई नेगी जी के दिमाग में शायद जनतंत्र की वह कल्पना न हो जो हम लोगों के दिमाग में है, लेकिन जो और हमारे साथी हैं जो जनतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रश्न पर जरा गंभीरता के साथ सोचें। आज कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है और जो अपने तरीके से उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। किंतु जिनका विश्वास जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने में है, जो उसको फलता फूलता देखना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह चाहते हैं कि यहां सदन में नारे बाजी होती रहे, यहां पर भी प्रदर्शन होते रहें ?

जहां तक अध्यादेश का सवाल है, जब वह सामने आयेगा मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। आज तो केवल प्रश्न यह है कि दफा १४४ जो लगी उसका औचित्य था या नहीं ? इसमें दो मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना है तो इस प्रकार की कार्यवाही उसमें सहायक ही होगी और उसका हमें समर्थन करना चाहिये।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

राष्ट्रीय झण्डा जो फाड़ा गया उस संबंध में आपकी क्या राय है ?

श्री मैनेजर सिंह---

मैं तो वहां था नहीं, मुझे मालूम नहीं कि वह फाड़ा गया या नहीं। लेकिन यह अहम सवाल है। माननीय गंगा प्रसाद जी आवेश में क्या कहते हैं वह तो समझ में आता नहीं, लेकिन सबको ऐसी घटना नहीं हुई है, झण्डा फाड़ा गया है, तो माननीय गृह मंत्री को उसकी जांच करानी चाहिए। राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान हम सबको करना चाहिये। किसी भी पार्टी का भी झण्डा क्यों न हो उसका भी सबको सम्मान करना चाहिये। उस राष्ट्रीय झण्डे के नीचे हम सारे लोगों ने कार्य किया है और अनेकों कुर्बानियां की हैं। उसका सम्मान होना चाहिये। अगर हम यह नहीं करेंगे तो जनतंत्र सुदृढ़ नहीं हो सकेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के झण्डा फाड़ने बात कई एक माननीय सदस्यों ने सदन में कही है। जो शिकायत माननीय कमलापति त्रिपाठी, माननीय उदित-नारायण शर्मा, माननीय रामकरन, बहन बाजपेयी, तथा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने की है जो मेरे पास भी है, आपके पास भी होगी, उसमें झण्डा फाड़ने की शिकायत नहीं की गई है। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उन्होंने देखा है, तो अगर वे लिख कर देंगे तो उसकी जांच कराई जायेगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह---

सदन में जो सूचना दी जाती है, क्या वह काफी नहीं है ?

*श्री हुकुम सिंह परिहार--

श्रीमन्, इस सदन में चर्चा हो रही है, यह चर्चा हमारे लिए बड़ी दुखद है। क्योंकि हमारी पार्टी के लोग उधर बैठे हुए हैं और हमारी ही पार्टी के लोगों की पिटाई हुई है।

(व्यवधान)

मुझे सुनकर बड़ा खेद हुआ, जब चौधरी शंभूनाथ जी ने कहा कि यह तो संसोपा का प्रदर्शन ही नहीं था। संसोपा के अध्यक्ष गिरफ्तार हुए, भूतपूर्व अध्यक्ष, सालिगराम जायसवाल, गिरफ्तार हुए और उसके पूर्व के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भदौरिया गिरफ्तार हुए, राज्य सभा--लोक सभा के सदस्य गिरफ्तार हुए, अखिल भारतीय स्तर के नेता गिरफ्तार हुए, फिर भी यह कह देना कि वह संसोपा का प्रदर्शन नहीं था, मेरी समझ में नहीं आया। यह संसोपा का प्रदर्शन था और संसोपा की युवक शाखा, युवजन सभा के नेतृत्व में वह हुआ था। युवजन सभा ने उसे आयोजित किया था, यह संसोपा की शाखा है युवकों में काम करने के लिये। हमारे गृहमंत्री जी ने अपने वक्तव्य से इस हाउस को गुमराह किया है और उनका वक्तव्य बिलकुल झूठा है और शरारतपूर्ण है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या "झूठा" शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप "असत्य" कहिए "झूठा" न कहें। कल लक्ष्मीरमण जी ने उसको वापस लिया था।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

मैं आपको एक घटना का स्मरण दिलाऊं, संसोपा के प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ, तो वहां के गृहमंत्री ने सदन में माफी मांगी थी--उन्होंने कहा कि मैं उसके लिये सरकार की ओर से पूर्ण माफी मांगता हूं। इसके विपरीत दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई जहां पर संविद की भागीदार संसोपा एक पार्टी है जो उसमें शामिल है। यहां की सरकार ने माफी नहीं मांगी और उसने घटना को उचित ठहराया है और लाठी चार्ज को असत्य ठहराया है। जो मंत्री संसोपा के यहां संविद सरकार में शामिल हैं वे बैठे सुनते रहे और अन्याय देखते रहे और अपनी गद्दियों में चिपके रहे हैं। संसोपा के सिद्धान्तों और नीतियों को छोड़कर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप पार्टीबाजी की बात फिर कहने लगे।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

मैं उस समय वहां था और घटना को मैंने स्वयं देखा है, छात्रों पर लाठी चार्ज होते देखा है। बेंतसिंह, छात्र नेता को चोटें आई हैं, मोहन सिंह जो युवक मोर्चा के नेता हैं उनके साथ भी दुर्घटना हुई है। किन्तु सरकार घटना पर पर्दा डाल रही है। इस पर सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये और माफी मांगनी चाहये।

श्रीमन्, दूसरी बात मुझे इस संबंध में कहनी है कि यह घटना क्यों घटी। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। श्रीमन, इसमें नाक का सवाल है। या तो सरकार की नाक रहे या बी० के० डी० की नाक रहे, यह सवाल उठा है। एक तरफ यह सरकार में शामिल संसोपा की नीतियों, आश्वासनों के सर्वथा खिलाफ है, दूसरी तरफ यह बी० के० डी० पार्टी की प्रतिष्ठा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह परिहार]

का सवाल बना हुआ है, जिसने अध्यादेश को सही ठहराकर उसको लागू किया है। जिसने बार बार कहा है कि इसको हम वापस नहीं लेंगे। एक कहावत इस संबंध में याद आती है। एक आदमी के दो लड़किया थीं। एक कुम्हार को व्याही थी और एक किसान को व्याही थी। (व्यवधान) वह लड़कियों के यहां गया पहले वह कुम्हार वाली लड़की के यहां गया। वर्षा के के दिन थे। उस लड़की ने कहा कि पिता जी अगर वर्षा हो गयी तो हम मर जायेंगे क्योंकि हमारा आवां बैठ जायगा। फिर वह दूसरी लड़की के यहां गया जो किसान के यहां थी। उस लड़की ने कहा कि वर्षा नहीं हुई हम मर जायेंगे क्योंकि फसल सूख जायगी। वह अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या हाल है। तो उसने कहा कि एक मरेगी।

श्री हरनरायन—

यह विधान सभा है। बीबी बच्चों की कहानी सुनाने का स्थान नहीं है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

इस अध्यादेश में एक ही नाक रह सकती है चाहे राजनारयण जी की या चौधरी चरण सिंह की। एक की जरूर कटेगी। माननीय वीरेन्द्र वर्मा, गृह मंत्री बी० के० डी० के हैं। अगर गृह मंत्री संसोपा का होता तो न गिरफ्तारियां होतीं न कुछ होता। (व्यवधान) अगर हो भी गयी होतीं तो उसी दिन ऐलान कर देते—श्रीमन्, मैं संसोपा का सदस्य हूं और बताना चाहता हूं कि संसोपा के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी। (व्यवधान) कोई भी संसोपा का शर्मदार मंत्री रहता तो उस दिन रिजाइन कर देता। माननीय मुख्य मंत्री संसोपा में फूट डालना चाहते हैं, इसलिये संसोपा के मंत्रियों को शपथ दिलायी है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। यह बैठते ही नहीं हैं।

(श्री शिवराज सिंह से) आप बोलना नहीं चाहते हैं ?

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

गृह मंत्री खड़े हुए थे इसलिये मैं बैठ गया था।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

मेरा प्रस्ताव है कि आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि आध घंटे बिलम्ब से विवाद शुरू किया गया। साढ़े चार बजे से न हो कर पांच बजे शुरू हुआ।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं इसका समर्थन करता हूं। इस पर मतदान ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मतदान लेने की जरूरत नहीं है। मैं आध घंटे का समय दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नियम ११ का उपनियम ६ देखिये। "निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे—

(६) किसी बैठक की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव," श्रीमन्, आपसे अनुज्ञा मांगी गयी....

श्री अध्यक्ष---

मैं कह रहा हूं कि आध घंटे बढ़ा देता हूं। लेकिन यह न कहिये कि आध घंटे देर से शुरू हुआ। पांच बजे से तय हुआ था। आध घंटे पहले से बढ़ा दिया गया था, दफा ५१ में हो गया, तो आध घंटे बढ़ा देता हूं। साढ़े सात बजे खत्म होगा।

*श्री शिवराज सिंह---

अध्यक्ष महोदय, ७ दिसम्बर को विधान सभा के सामने वर्तमान पांच दलीय सरकार के महत्वपूर्ण घटक एस० एस० पी० के प्रादेशिक स्तर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्ति से सुनिये।

श्री शिवराज सिंह---

अध्यक्ष महोदय, ७ दिसम्बर को विधान सभा के सामने वर्तमान पांच दलीय सरकार के महत्वपूर्ण घटक एस० एस० पी० के प्रादेशिक स्तर के लोगों को जो गिरफ्तारियां हुईं उसके विभिन्न पहलुओं पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला। मैं इस घटना से सम्बन्धित संसदीय पहलुओं को सदन के विचारार्थ रखना चाहता हूं। मान्यवर, सदन को स्मरण होगा कि वर्तमान सरकार का निर्माण जब हुआ था उसमें वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री का चयन वर्तमान घटकों की पार्टीज ने नहीं किया था बल्कि उनके राजनैतिक नेताओं ने किया था। मान्यवर, जो डिमान्सट्रेशन ७ तारीख को विधान सभा के समक्ष हुआ वह वर्तमान सरकार में सम्मिलित एक घटक एस० एस० पी० के नेताओं के माध्यम से .....

श्री हरनरायन---

व्यवस्था का प्रश्न है, यह विषय पर बोलें।

श्री शिवराज सिंह---

७ दिसम्बर को जो गिरफ्तारियां हुईं वह यह साबित करती हैं कि पांच घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक एस० एस० पी० का मुख्य मंत्री में विश्वास नहीं रहा है। दूसरा, पार्लियामेन्ट्री पहलू इस प्रश्न पर यह है कि यह कितना गलत है कि जिस पार्टी के लोग सरकार में हैं वही लोग सरकार के बाहर उसमें अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार के अन्दर लोकतंत्रीय ढांचा होता है और जनता का सरकार में विश्वास होता है, इसलिये आवश्यक है कि जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी का विश्वास उसमें आवश्यक है। उस पार्टी का विश्वास सरकार के अन्दर होना चाहिये। मान्यवर, डिमान्सट्रेशन में प्रादेशिक स्तर के नेताओं का पकड़ा जाना, एस० एस० पी० के चेयरमैन, श्री उग्रसेन, श्री जायसवाल और यह डिमान्सट्रेशन जार्ज फर्नांडीज के आदेश से हुआ था, यह इस बात का सबूत है कि वर्तमान सरकार के अन्दर जो एस० एस० पी० के लोग हैं ....

श्री अध्यक्ष--

आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह---

यह विशेष बात है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं है। आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह—

जो लोग सरकार में बैठे हुये हैं उनका कान्फीडेन्स सरकार में होना चाहिये। मान्यवर, तीसरी बात यह है कि कहां तक यह उचित था कि इस पर दफा १४४ लगाई जाय। श्रीमन्, मुझे इस विधान सभा का सन ५२ से सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मान्यवर, इस विधान सभा के सामने सैकड़ों प्रदर्शन अहिंसात्मक रूप से होते अपनी आंखों से देखा। श्रीमन, विधान सभा में जब पंत जी बैठा करते थे तो उस जमाने में भी प्रदर्शन हुआ करते थे। श्री राजनारायण जी की जोशीली तकरीर हुआ करती थीं और बाहर काफी शोर होता था लेकिन कभी इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुईं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जहां से हमने यह प्रणाली उधार ली है, वहां भी पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन हुआ करते हैं। संसदीय प्रणाली में इस प्रकार के डिमान्सट्रेशन का अधिकार जनता का महत्वपूर्ण अधिकार है। यह एक बेरोमीटर है जो जनता की कठिनाइयों को, उसकी आवश्यकताओं को विधान सभा को बतलाता है। श्रीमन, प्रदर्शन का भी एक महत्व है लोकतंत्रीय ढांचे के अन्दर। श्रीमन, मुझे तकलीफ हुई कि एक ऐसे प्रश्न के ऊपर जिस पर सरकार अपना मत बदल चुकी है और सारा सदन एक मत है कि उस अध्यादेश को बदलना है तो उस सम्बन्ध में शान्तिमय ढंग से प्रदर्शन हो जिसमें उस पार्टी के उच्च नेता शामिल हों जो कि सरकार में हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाय तो यह बरबरता की निशानी है। इस तरह श्रीमन्, जो एक मौलिक अधिकार नागरिकों का था उसे छीना गया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विधान सभा के सामने इस प्रकार के शान्तिमय डिमान्सट्रेशन करने की व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिये।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का शख्त अफसोस है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसके लिये आपसे चर्चा के लिये समय मांगा गया था, मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है और नाम के लिये दो मंत्री यहां हैं। इसके लिये हमने कामरोको प्रस्ताव दिया था जिसमें नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दल के नेताओं के भी हस्ताक्षर थे और इतना महत्वपूर्ण समझकर ही आपने सदन में चर्चा के लिये इस पर समय दिया था। लेकिन मुख्य मंत्री ने इतना भी आदर नहीं किया कि वे नेता विरोधी दल की बात को सुनने के लिये यहां रहते। इसी प्रोटेस्ट में नेता विरोधी दल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहां मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि बहन जी ने चर्चा नहीं की जिस समय यह प्रस्ताव इस रूप में आया। हमारे इलाहाबाद कारपोरेशन के सदस्य, श्री राजाराम अनुरागी जेल से छूट कर आये तो मैंने पूछा कि कुछ लाठी से चोट आयी। उन्होंने कहा कि मेरी पीठ पर दो लाठी पड़ीं और पीठ दर्द कर रही है। लेकिन ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारा झंडा फाड़ा गया। तो आज यह स्थिति आ गयी है कि तिरंगे झंडे को पुलिस के लोग फाड़ने की कोशिश करें। अगर उनमें यह चीज आ जायेगी तो जनतंत्र किधर जा रहा है। इसकी सीरियसनेस को, गम्भीरता को सोचने की बात सामने आ जाती है। गृह मंत्री जी ने कहा कि किसी को चोट नहीं आयी, किसी तरह का लाठी का प्रहार नहीं हुआ। श्रीमन्, मेरे पास उन लड़कों के नाम हैं जिनको चोटें आयीं। सत्यनारायण बर्नवाल के चोट आयी। जगन प्रसाद शुक्ला का नाखून कट गया था और उससे रात भर जेल में खून बहता रहा। यह लड़के कोई माफी मांगने तो गये नहीं थे और जेल जाने के लिये तैयार होकर आये थे और शान्तिमय तरीके से ही अपना कार्य करने आये थे। जब ट्रक पर उनको चढ़ाया गया, लादा गया, मार मार उनको उस पर चढ़ाया गया। किस प्रकार का अभद्र व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया? ट्रकों पर उनको फेंका गया। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और यह तो होना चाहिये कि

संसद सदस्यों के साथ जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं यदि इस प्रकार का व्यवहार होता है तो शासन के लियें यह बहुत ही निन्दनीय बात है। इसलिये मैं चाहती हूं कि जो आपको रिपोर्ट दी गई यह गलत रिपोर्ट दी गई है और वह सच्चाई से परे है। मैं मांग करती हूं कि पुनः इसकी जांच करवाई जाय और उन अधिकारियों को दंडित किया जाय जिन्होंने शान्तिमय ढंग से प्रदर्शन करते हुये लोगों को डंडे मारकर आहत किया और हमारे झंडे को फाड़ दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस डिबेट को साढ़े ७ बजे समाप्त कर दूंगा इस बात का खयाल करके आप लोग बोलें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक कि संसोपा के मंत्रियों के बारे में और उनके नेताओं के बारे में कहा गया है मैं बहुत संक्षेप में ही कुछ बताना चाहूंगा। संसोपा का जो रास्ता है और जो उसका चुनाव घोषणा-पत्र था उसके अनुरूप चलने के लिये ही हमने इस सरकार को बनाया है। हम उसी के अनुरूप चलेंगे और चलते हैं। हमारी जो ५ घटकों की सरकार बनी है उसमें हम अपने सिद्धान्तों के अनुसार ही कार्य करते हैं अन्दर भी और बाहर भी। ७ तारीख को जो घटना हुई और उस सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार हुये, उनसे मैं थाने में मिला हूं जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनमें से किसी ने भी शिकायत नहीं की कि उनको लाठी से मारा गया है या उनके साथ ऐसा कोई अभद्र व्यवहार किया गया है। कोई भी हमारे नेता, चाहे वे पार्लियामेंट के हों अथवा विधान सभा के हों, किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनको एक थप्पड़ भी मारा गया हो और उनको दफा १४४ के उल्लंघन करने पर बड़े भद्र तरीके से गिरफ्तार किया गया या यह पुलिस का फर्ज है कि वह कानून का पालन न होने पर कार्यवाही करे जो उसने किया। मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि अगर किसी प्रकार से यह सिद्ध हो जाय कि उन पर लाठी चार्ज किया गया होता तो मैं कुर्सी पर नहीं होता। यही संसोपा थी जिसने सवा ६ एकड़ का लगान न माफ होने पर सबसे अधिक विरोध किया था। आज जो लोग हमारे नेताओं के साथ बड़ा लाड़ प्यार दिखला रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तत्कालीन सरकार ने जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में पी० ए० सी० की तैनाती करवाई थी और वहां पर पुलिस को बैठा दिया था उस समय उनकी हमदर्दी विद्यार्थियों के साथ नहीं थी। जब उस सरकार ने ऐसा किया था उस समय मैं सरकार से बाहर था और मैं सदा ही उसका विरोध करता रहा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कानून बनने वाला है जो इस आदरणीय विधान सभा के अन्दर आने वाला है और उसकी जो रूप रेखा होगी वह यह आदरणीय सदन तय करेगा। जो कानून इस आदरणीय सदन में पास होगा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कानून पास हो जाता है उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। जो गिरफ्तारियां धारा १४४ के अन्दर हुई थीं वह जायज थीं, और जो व्यवहार उन लोगों के साथ हुआ, वह अच्छा था। मैं माननीय उग्रसेन जी से, श्री मिश्रा जी से मिला तथा और भी अन्य छात्र नेता थे, मैं थाने में उनसे मिला था। उन सभी से जब मैं मिलने गया तो किसी ने भी कोई शिकायत नहीं थी। अगर की होती तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं इस पद पर नहीं रहता। यह कहना बिलकुल असत्य है कि पुलिस वालों ने लाठी से मारा। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया है मैं उससे सहमत हूं। जहां तक दूसरी बात है .....

श्री अध्यक्ष—

आपका ५ मिनट समय पूरा हो गया।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय कमलापति त्रिपाठी यहां बैठे हैं उनकी सरकार ने ६-४-७० को दिल्ली में संसोपा के संसद के सदस्यों पर काफी बर्बतापूर्वक जुल्म किया। उन लोगों को मारा गया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

उस में माननीय नेता श्री राजनारायन, की टांग तोड़ दी गई थी। ऐसा वहां पर हुआ जहां पर १४४ की धारा लगी ही नहीं थी। क्या वहां पर जनतन्त्र का गला नहीं घोंटा गया ? क्या कान्स्टीट्यूशन का गला नहीं घोंटा गया ? यहां तो धारा १४४ लगी हुई थी और हमारी पुलिस धन्यवाद की पात्र है जिसने किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री द्वारा दिये गये बयान से सहमत हूं।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी मैं २ मिनट समय लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट में बोल ही न पायेंगे। अच्छा बोलिये।

श्री नगीना सिंह—

मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने अभी बयान दिया है मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वह कितनी बार संसोपा के कार्यक्रम के आधार पर जेल गये, इस आन्दोलन के सत्याग्रह में कितनी बार जेल गये.....(व्यवधान) मान्यवर, जिस कार्यक्रम के आधार पर संसोपा बनी है और जिस तरीके से ये मंत्री लोग सरकार में सरीक हुये हैं, मेरे पास उनके १३ नामों की लिस्ट है। (व्यवधान) मान्यवर, यह लोग जिस कुर्सी के लालच से घुसे बैठे हैं, इन लोगों ने संसोपा के नाम पर कालिख लगाई है। मान्यवर, मुझे यही कहना है कि ये लोग कभी किसी सत्याग्रह में जेल नहीं गये।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, अभी यह जो काम रोको प्रस्ताव था उस पर चर्चा हुई। आपने देखा होगा कि श्री शम्भूनाथ चौधरी ने, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं और जो पार्टी को कुछ दिन पहले छोड़ने वाले थे, मालूम नहीं किस कारण से रह गये, आज बड़ी वकालत संसोपा की की है।

श्री अध्यक्ष—

आप समझते हैं कि.....

(व्यवधान)

श्री राम करन (गोरखपुर)—

मान्यवर, एक बड़ी कहावत भोजपुरी की है जिसकी फटती है उस पीड़ा नहीं होती है दूसरे को होती है। बात शम्भूनाथ के लिये कही गयी लेकिन पीड़ा जगदीश गांधी को हो रही है। शम्भूनाथ जी आवेश में एक बात कह गये कि जब यह प्रदर्शन हुआ तो राजनारायण जी गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने यह कहा कि हमारे सिपाही बड़े बहादुर हैं। शम्भूनाथ जी इसकी सफाई देंगे कि राजनारायण जी जो सबसे बड़े क्रान्तिकारी थे, वे कैसे पीछे रह गये और दूसरे लोग ज्यादा क्रान्तिकारी हो गये।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन, यह विषयान्तर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह बतलायें कि इसका जवाब आपके गृह मंत्री कैसे दे देंगे। राजनारायण जी और आप के झगड़े का ?

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

उन्होंने यह कहा कि यह आर्डिनेन्स का मामला तय हो गया था लेकिन प्रदर्शन शुरू हो गया। यह बात भी शम्भूनाथ जी ने अपने भाषण में व्यक्त कर दी। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि शान्तिमय प्रदर्शन करने का हक जनतंत्र में हर एक को है। आपने यह भी देखा कि कानून की रक्षा के लिये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री दिल्ली तक प्रदर्शन करने के लिये गये। ठीक है जहां तक प्रदर्शन का सवाल प्रदर्शन के अन्दर जो घटना घटी सभी साथियों ने उसका विरोध किया। उसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें। झंडे के बारे में कहा गया कि लिख कर नहीं आया है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ७ तारीख की घटना है उसका जिक्र इसलिये नहीं किया जा रहा है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में फूट पड़े, गृह मंत्री जी जरा उस घटना की जांच करा लें और अपने को तसकीन करा लें। झंडा फाड़ने की बात थी और श्री जनेश्वर मिश्र ने लोक सभा के अध्यक्ष को टेलीफोन किया कि बल प्रयोग हुआ। अब जनेश्वर मिश्र जी की बात सही है या फिर रूपनाथ जी की बात सही है ? कहा गया कि जेल में मिलने गये थे। कौन जेल में मिलने गया ? जिस वक्त कैन्टूनमेंट में बैठे थे और राजनारायण जी गये तो वहां "राज नारायण गो बैक" के नारे लगाये गये और सफाई यह दी जा रही है कि कुछ हुआ ही नहीं साहब। मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि संजीदगी के साथ इस घटना पर विचार करके वह खेद प्रकाश करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस सदन में जो चर्चा हुई है बहुत कम माननीय सदस्यों ने ७ तारीख के वाकयात पर चर्चा की हमारे एस० एस० पी० के कुछ भाई एस०एस० पी० के मंत्रियों के खिलाफ कुछ इस प्रकार का प्रचार करने में लगे हुये हैं, मुझे इस बात का खेद है। माननीय मंजूर अहमद साहब यहां बैठे हुये हैं, वे भी गिरफतार किये जाने वालों में थे, अपने भाषण में एक शब्द भी उनकी जबान से ऐसा नहीं निकला कि उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया हो। मेरे पीछे राज्य मंत्री (गृह) बैठे हुये हैं, जिन भाइयों को गिरफ्तार किया गया उनसे बात-चीत करने पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके साथ किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार किया गया हो। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी जेल में भी गये थे...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जेल में नहीं गये।

(व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह परिहार—

एस० एस० पी० के जितने आदमी हैं....

(व्यवधान)

यह निर्णय ले लिया गया है कि विधान परिषद का कोई सदस्य मंत्री नहीं बनाया जायेगा। पार्टी में फूट डालने के लिये ऐसा किया गया है। जब से श्री सी० बी० गुप्ता की छाप पार्टी पर पड़ी है....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं और वे सुनते नहीं हैं। जब वे बोलते हैं तो हमें चुप रहना पड़ता है। उन्हें बैठ जाना चाहिये। तो मैं यह गुजारिश कर रहा था कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भी उनसे पुलिस स्टेशन पर जाकर मिले, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वह नेता हो अथवा कार्यकर्ता हो, इस बात की चर्चा नहीं की कि उनको पीटा गया या गाली-गलौज अथवा किसी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया हो । जहां तक दफ्तर और कमरों से खींचकर ले जाने की बात है, जांच करने के बाद जितनी लिखित सूचना मेरे पास आई है उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह शिकायत सही है.... (व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह परिहार---

छात्रों और उनके बीच गाली-गलौज हुआ था.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

तो जितने भी हमारे विरोध पक्ष के विभिन्न घटकों के नेता हैं उनमें से किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं की अपनी उस शिकायत में कि उनको कमरों से पकड़ कर इस प्रकार से ले जाया गया । जहां तक झंडे के फाड़ने की बात है मैं बहन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस झंडे के नेतृत्व में आज उनका दल कार्य कर रहा है, मैंने भी उस झंडे के नीचे अपना जीवन समाज की सेवा में दिया है और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे आपके पूर्वजों और वर्तमान नेताओं ने लड़ी है, इसी झंडे के नीचे । केवल इसी झंडे की बात नहीं है, किसी भी पार्टी के झंडे के साथ अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाय तो वह नाकाबिले बर्दाश्त है । इसी दृष्टि से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य तथ्यों सहित मेरे प्रकाश में यह चीज लायेंगे कि यह वास्तव में हुआ है तो मैं उन्हें यह यकीन दिलाता हूं कि मैं उसकी जांच करूंगा और जिसने उनके झंडे की तौहीन की है उसके ऊपर ऐक्शन लूंगा ।

इसके अतिरिक्त कानून की बात है । आपका यह सदन कानून बनाता है । लोक सभा और विधान सभाओं में बैठ कर हम लोग ही कानून बनाते हैं । हमारा फर्ज हो जाता है, हम चाहे जिस पार्टी के हों, कि हम उन कानूनों का पालन करें । अब कानून की आंखें नहीं होतीं । चाहे कोई भी एस० एस० पी० का हो, चाहे भारतीय क्रान्तिदल का हो, चाहे जनसंघ का हो, चाहे कांग्रेस (ओ०) का हो, कोई भी जो उस कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ कानून की कार्यवाही होगी और जो भी सरकार उस समय होगी, उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह कानूनों का पालन कराये । जिस दिन भी कानून की आंख हो जायगी, कानून देखकर कार्यवाही करने लगेगा, फिर वह कानून कानून नहीं रह जायगा, वह गवर्नमेंट फिर नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष---

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के खड़े होने पर) अगर आप (श्री वीरेन्द्र वर्मा) बैठ जांय तो आप बोल सकती हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं नहीं बैठ रहा हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आप बहन जी का तो कुछ आदर कीजिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं बहनों और भाइयों दोनों का आदर करता हूं और करता रहूंगा । लेकिन जहां तक कानून की बात है चाहे मैं इस स्थान पर हूं, चाहे आप इस स्थान पर हों, सरकार में कोई भी हो, जब कानून को पालन कराने का अधिकार किसी के पास होगा, तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है, उसकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कानून का ठीक प्रकार से पालन कराये । डेमोक्रेसी और जनतंत्र की रक्षा तभी हो सकती है । उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि यह सदन जो कानून बनाता है, उसकी अवहेलना न होने पाये और ईमानदारी के साथ कानूनों का पालन कराया जाय, बिना पक्षपात के, बिना किसी पार्टी के एफीलिएशन के कानून का पालन हो । इन बातों के साथ,

आपके जरिये अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी घटना ७ तारीख को घटी वह किसी विशेष चर्चा की अपेक्षा नहीं करती थी। इस प्रकार की चर्चा की, जिस प्रकार से कि उस पर चर्चा उठायी गयी। लखनऊ में, इसी कौंसिल हाउस के सामने अनेक इस प्रकार के वाक्ये हुए हैं, जब लाठी चार्ज आदि हुये हैं, लोगों की हड्डियां टूटी हैं, सर टूटे हैं और उन पर इस प्रकार की चर्चा उठाई गई है। अगर इस प्रकार की कोई बात हो जाती तब तो यकीनी तौर पर चर्चा का अच्छा विषय बन सकता था। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हुई उसमें वास्तविक तथ्यों की जानकारी कम और पोलीटिकल प्रतिद्वन्दता अधिक है। जो एस० एस० पी० के नेता गिरफ्तार हुये हैं वे कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, शम्भू नाथ जी को शिकायत है नहीं है और दूसरे आदमियों को उसका दुःख हो रहा है। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि विकल जी के चैलेन्ज को स्वीकार कर सकूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तानाशाही और नादिरशाही को खत्म कर दिया। मैं न तो तानाशाह हूं और न नादिरशाह, लेकिन जब तक इस स्थान पर हूं, यह मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि लोगों से कानून का पालन कराऊं और इसका मैं फिर से सदन को विश्वास दिलाता हूं।

(व्यवधान)

(इसके बाद सदन ७ बजकर १६ मिनट पर सोमवार, १४ दिसम्बर, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० दिसम्बर, १९७०।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर]

२८ मार्च, ७० से १० मई ७० तक कानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हुए अपराधों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण

अपराध		रिपोर्ट	जांच नहीं की गई	चालान/न्याया- लय में विचाराधीन	जांच जारी है	अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई
कत्ल	..	१०	—	८	१	१ (खारिज हुआ)
डकैती	..	१७	—	९	२	६ (३ खारिज हुए)
राहजनी	..	१७	—	४	—	१३ (५ खारिज हुए)
आत्महत्या	..	३	—	—	—	पंचायतनामे के बाद कोई कार्य-वाही आवश्यक नही प्रतीत हुई।
नक्बजनी	..	११४	२	१०	२	१०० (५ खारिज हुए)
बल्वे	..	४०	१७	१२	३	८ (४ खारिज हुए)

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३२–३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर]

चीनी मिलों के निजी फार्मों से सम्बन्धित सूचना

क्रम सं०	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	सीलिंग लागू होने से पहले मिल के नाम की भूमि का रकबा एकड़ में	सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि कारकबा एकड़ में	अतिरिक्त घोषित भूमि में से शासन को मिला कब्जा अथवा कब्जा न मिलने का कारण	कितनी भूमि उन्हीं मिल मालिकों को पट्टे पर दी गई तथा पट्टे की मियाद कब समाप्त हो रही है	अन्य विवरण यदि कोई हो
१	२	३	४	५	६	७	८
१—बरेली	..	केसर शुगर वर्क्स बहेड़ी	२०८८.०६	१५३६.००	मिल द्वारा रिट दायर कर देने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका है ।	प्रश्न ही नहीं उठता	
३—एटा	..	शेरवानी शुगर सिंडीकेट	६८१.०५	६२२.४६	तदैव	ददैव	
३—बाराबंकी	..	बुढ़वल चीनी मिल	४.१५	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	तदैव	
४—फैजाबाद	..	के० एम० शुगर मिल मसोधा (उपरोक्त मिल के मालिकान के नाम गौरियामउ, जिला बराबंकी फार्म)	४५.५	शून्य	तदैव	तदैव	
			७१५	७१५	७१५	शून्य	

क्रम सं०	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	सीलिंग लागू होने से पहले मिल के नाम की भूमि का रकबा एकड़ में	सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि रकबा एकड़ में	अतिरिक्त घोषित भूमि में से शासन को मिला कब्जा अथवा कब्जा न मिलने का कारण	कितनी भूमि उन्हीं मिल मालिकों को पट्टे पर दी गई तथा पट्टे की मियाद कब समाप्त हो रही है	अन्य विवरण यदि कोई हो
१	२	३	४	५	६	७	८
५—गोंडा	..	नवाबगंज चीनी मिल	१५५८.०७	७८३.५२	६६६.८१	कब्जे की पूरी ६६६.८१ एकड़ भूमि मिल को ३०—६—७० तक के अस्थायी पट्टे पर दी गयी थी ।	शेष ८६.७१ एकड़ भूमि पर अन्य लोग न्यायलयों के आदेशों से सीरदार या भूमि-धर दर्ज हो गये हैं ।
६—बस्ती	..	१—बस्ती शुगर मिल तथा वाल्टर गंज शुगर मिल	८८.२२	४८.०६	४८.०६	कोई भी भूमि पट्टे पर नहीं दी गई क्योंकि कब्जे के बाद अपीलेट कोर्ट से स्टे आर्डर आ गया है ।	
		२—मुन्डेरवा शुगर मिल ।	२१.५६	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता	
७—देवरिया	..	१—कानपुर शुगर वर्क्स गौरीबाजार ।	३३.१८	शून्य	तदैव	तदैव	
		२—देवरिया शुगर मिल ।	३७.०१	शून्य	तदैव	तदैव	

	३—सीताराम शुगर मिल वैताल-पुर ।	१३६.४३	२१.९५	१८.७८	कब्जा की गई भूमि मिल को ३०—६—७१ तक के लिये पट्टे पर दी गई थी । किन्तु सीलिंग ऐक्ट के नियम ५८ (४) का उल्लंघन होने के कारण पट्टा रद्द कर दिया गया ।
	४—प्रतापपुर कम्पनी लि० रामपुर ।	५३५.६०	४२३.४२	४०७.२६	पूरी ४०७.२६ एकड़ भूमि मिल को ३०—६—७१ तक के लिये पट्टे पर दी गई ।
	५—यू०पी० शुगर कंपनी सेवरही ।	२८८५.३३	२६१९.३६	मिला द्वारा रिट दायर कर देने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका है ।	प्रश्न ही नहीं उठता ।
८—गोरखपुर ..	१—पंजाब शुगर मिल धुधली ।	६६.००	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता
	२—महावीर शुगर मिल सिसवां बजार ।	४७४.००	१७७.००	१७७.००	पूरी १७७.०० एकड़ मिल को ३०—६—७० तक के लिये पट्टे पर दी गई थी ।
	३—सरैया शुगर मिल सरदारनगर	४९७.००	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता

क्रम सं०	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	सीलिंग लागू होने से पहले मिल के नाम की भूमि का रकबा एकड़ में	सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि का रकबा एकड़ में	अतिरिक्त घोषित भूमि में से शासन को मिला कब्जा अथवा कब्जा न मिलने का कारण	कितनी भूमि उन्हें मिल मालिकों को पट्टे पर दी गई तथा पट्टे की मियाद कब समाप्त हो रही है	अन्य विवरण यदि कोई हो
१	२	३	४	५	६	७	८
		४—पिपराइच शुगर मिल ।	४६.००	शून्य	तदैव	तदैव	
		५—गनेश शुगर मिल आनन्दनगर (परेन्दा)	८०८.००	७२०.००	नियत प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मिल द्वारा अपील दायर होने के कारण कब्जा लेने की कार्यवाही स्थगित है ।	तदैव	
६—नैनीताल ..		१—एल० एच० शुगर फैक्टरी काशीपुर ।	६७६.३०	६१५.१२	६१५.१२	पूरी ६१५.२१ एकड़ फैक्टरी को २४-१०-१९७० तक के लिये पट्टे पर दी गई थी ।	
		२—कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि० बाजपुर । ।	१११.००	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता	

१०—हरदोई	..	लक्ष्मी शुगर मिल	२९५.१२	१३७.९	१३७.०९	कोई भी भूमि मिल मालिकों को पट्टे पर नहीं दी गई।
११—सीतापुर	..	१—अवध शुगर मिल, हरगांव।	५३६.७५	४०९.४१ ३४५२.२७ (जिला खीरी में)	अतिरिक्त घोषित भूमि से संबंधित वाद जिला जज न्यायालय सेप्रति प्रेषित होने के कारण फिर से कार्यवाही की जा रही है।	प्रश्न ही नहीं उठता।
		२—लक्ष्मी शुगर मिल महोली।	८७४.०४	७७७.०४ (जिला खीरी में)	७७७.०४	शून्य
		३—सेसेरिया शुगर मिल, बिसवां	४४.१२	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता
१२—खीरी	..	हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला।	२७६६.३१	२५५५.४६	२५५५.४६	कुल अतिरिक्त भूमि मिल मालिकों को ३०—९—१९७० तक के लिये पट्टे पर दी गई थी।
१३—मेरठ	..	१—कोआपरेटिव शुगर मिल, बागपत	२०.१९	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता
		२—सिम्मावली शुगर मिल्स प्रा० लि० हापुड़।	७.६२	शून्य	तदैव	तदैव
		३—राम लक्ष्मण शुगर मिल्स महउद्दीनपुर।	३३.४६	शून्य	तदैव	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	सीलिंग लागू होने से पहले मिल के नाम की भूमि का रकबा एकड़ में	सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि का रकबा एकड़ में	अतिरिक्त घोषित भूमि में से शासन को मिला कब्जा अथवा कब्जा न मिलने का कारण	कितनी भूमि उन्हें मिल मालिकों को पट्टे पर दी गई तथा पट्टे की मियाद कब समाप्त हो रही है	अन्य विवरण यदि कोई हो
१	२	३	४	५	६	७	८
		४—दौराला शुगर मिल, सरधना।	२६२६.७५	२३४१.४८	२०९६.५८	शून्य	
		५—जसवंत शुगर मिल, मालियाना।	५८८.५९	१८.१५	१८.१५	१६.३४ एकड़ भूमि मिल मालिकों को ३०-६-१९७० तक के लिये अस्थायी पट्टे पर दी गई थी।	शेष १.८१ मिल मालिक को हदबन्दी अधिनियम की धारा १६ के अधीन बाग लगाने हेतु स्थायी रूप से दी गई है।
१४—सहारनपुर	..	१—सहारनपुर शुगर मिल।	१९.०५	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता	
		२—गंगा शुगर मिल देवबन्द।	३९.०६	शून्य	तदैव	तदैव	
		३—इकबालपुर शुगर मिल।	१०२.२८	शून्य	तदैव	तदैव	
		४—लक्सर शुगर मिल।	९२.२८	शून्य	तदैव	तदैव	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५—बिजनौर	..	१—अपर गैंजेज शुगर मिल, स्थोहारी ।	३३२६.००				नियत अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर हो गई है । कार्यवाही स्थगित है ।
		२—धामपुर शुगर मिल ।	१२५७.००				नियत अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर हो गई है । कार्यवाही स्थगित है ।
		३—बिजनौर शुगर मिल ।	मिल के नाम कोई फार्म नहीं था । मिल मालिकों के परिवार के ४ सदस्यों में से प्रत्येक के नाम ६२४ एकड़ भूमि है ।				तदैव
१६—रामपुर	..	रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री ।	१५७१.५३	६१८.८७		६१८.८७	कोई भी भूमि मिल मालिकों को पट्टे पर नहीं दी गई ।
१७—शाहजहांपुर	..	केरू एण्ड कम्पनी, रौजा ।	२१७.१५	१३१.६३		१३१.६३	६८.३७ एकड़ भूमि कम्पनी को ३०—६—१९७२ तक के लिये अस्थायी पट्टे पर दे दी गई है ।
१८—जौनपुर	..	रत्ना शुगर मिल, शाहगंज ।	३२२.६७	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	प्रश्न ही नहीं उठता	

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर]

क--१५,००० रुपये से अधिक लागत की योजनायें--२१

क्रम० सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
१	गोपेश्वर	५.८००
२	पोग्नाडांगी	२.७४०
३	गौचर	२.६५०
४	बगौथ	०.६०७
५	थुरसौल	०.५२७
६	थुनीमल्ली	०.६१०
७	मयापुर	०.७१८
८	लान्जीपोखरी	१.७००
९	तल्लानागपुर	१.२५०
१०	पोलतीर	०.१९०
११	बारह ग्रामों की	०.३०२
१२	दुरगढ़ धारणानी	१.३०२
१३	किमाना	१.०६३
१४	तिलवाड़ा	०.३१०
१५	सिरसी	०.४५५
१६	तोन प्रयाग	०.७९१
१७	पिलांग	०.२६७
१८	पिपलकोटी	०.९५२
१९	नाडुकेश्वर	०.३२७
२०	फाटा	०.४११
२१	रुद्रहन्डी	०.३०३

ख-- १५,००० रुपये तथा उससे कम लागत की योजनायें--६६

कुल लागत २,०९,००० रुपये

क्षेत्र विकास का नाम	योजनाओं का नाम
१--बिकास क्षेत्र दशोली ..	१--आमसेड़, २--थुड़साल, ३--डेलो, ४--मेरा, ५--फोज, ६--डुगरी, ७--मुतोल, ८--थुनी, ९--बडेरगांव, १०--बगथला मल्ला, ११--नारंगी,

क्षेत्र विकास का नाम	योजनाओं का नाम
	१२--पगना, १३--खनोली, १४--सेमा, १५--खेनुरी, १६--कुतरों, १७--घाट, १८--स्यारी ।
२--विकास क्षेत्र, नारायणबागड़ ..	१--मींग, २--अरखण्ड, ३--ताजपुर, ४--मनोडा, ५--रिखेतोली ।
३--विकास क्षेत्र, अगस्तमुनी ..	१--घिमतोली, २--क्यूंड, ३--खुरूड़, ४--पोला, ५--किणजाणी, ६--कुण्ड, ७--अरजौड़ी, ८--मणग ।
४--विकास क्षेत्र, जोशीमठ ..	१--कुई, २--डाडों, ३--डुंगा ।
५--विकास क्षेत्र, थराली ..	१--बमनबेरा, २--घेस ।
६--विकास क्षेत्र, नागपुर ..	१--मरडोगैर, २--खैडाखाल, ३--विनगाड़ ४--हरीशंकर, ५--चमेली, ६--उत्तरो, ७--गुडम मसौली ।
७--विकास क्षेत्र, कर्णप्रयाग ..	१--डुंगी, २--सोनी तल्ली, ३--फनोढ़, ४--माठा,
८--विकासक्षेत्र, गैरसेण ..	१--फरकण्डेमली, २--फरकण्डेतल्ली, ३--रुड़िया टाला, ४--खोपर, ५--तलोजी, ६--पिंडरवाल, ७--मखोली, ८--सोनियाण, ९--लाटुगैर, १०--बजियाणी, ११--जोलचोंरा, १२--महर-गांव ।
९--विकास क्षेत्र, खण्ड उखीमठ ..	१--विद्यापीठ, २--पालालपानी, ३--चलथा, ४--कुहेड़, ५--चन्दौला, ६--गैंड़, ७--फलाणा

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ३५१ पर]

थाना अमरोहा, जिला मुरादाबाद में १-१-६९ से ३१-५-७० तक दर्ज गोली मारने, डकैती तथा चोरी की रिपोर्टों के बारे मे सूचना

मामले जिसमें रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच नहीं की गयी	जिनमें जांच की गई	जिनमें चालान किया गया	अंतिम रिपोर्ट लगी
		गोली मारने की घटनाएं		
२७	९	१६	७	११
		डकैती की घटानाएं		
७	..	७	२	५
		चोरी की घटनाएं		
२८६	२८	२५८	३३	२२५

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर]

नकल चिक नम्बर ५६१ धारा १४७–१४८–३६०–३६५–३६७ भा० दं० वि० इ० न० सम्बन्धित थाना कुराए, जिला, हमीरपुर

ता० घटना––३–५–७०––समय दो या तीन बजे दिन व दरयाफ्त बतलाया ।

ता० सूचना––४–५–७०––समय २–१५ बजे ।

घटना स्थल––मौजा भहपुरा जलाला, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर ।

नाम वादी––श्री शिवराम प्रसाद, पुत्र जगन्नाथ प्रसाद, निवासी ग्राम मकरन्दपुर, थाना सजेती, जिला कानपुर ।

नाम मुल्जिमान––(१) झन्डू सिंह, (२) महावीर सिंह, (३) बलवीर सिंह, (४) रामलाल, (५) दीना केवट, आदि १७–१८ नफ[illegible]निनान ग्राम भौली व जलाला, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर ।

नकल तहरीर वादी

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, थाना कोतवाली कानपुर मान्यवर सेवा में निवेदन है कि मेरे पिता, श्री जगन्नाथ प्रसाद, पुत्र मन्नी लाल, निवासी मकरंदपुर, थाना सजेती, जिला कानपुर दिनांक ३–५–७० को ग्राम भहपुरा जलाला, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर ने केवटों की जमीन के झगड़ा संबंधी कार्य में गये थे क्योंकि वहीं के गरीब लोगों की काफी भूमि ग्राम मौली के ठाकुरों ने जबरन कब्जा कर लिया था जिस समय मेरे पिता, श्री जगन्नाथ प्रसाद जलाला के बन्धुवा केवट के दरवाजे दो या तीन बजे बैठे थे कि मौली व जलाला नि० श्री झण्डू सिंह व महावीर सिंह व बलवीर सिंह व रामलाल व दीना केवट, आदि १७–१८ आदमियों सहित लाठी ,कांता, बल्लम बंदूक, रिवाल्वर से लैस होकर आये और बुधुवा के दरवाजे से मेरे पिता, जगन्नाथ प्रसाद को जबरन उपरोक्त सभी लोगों न पकड़ लिया और मारते पीटते मौली जमुना घाट तक लाये और वहीं अधमरी हालत में डाल गये तथा उनका धोती, कुर्ता, घड़ी, चश्मा तथा २०० रु० भी छीन ले गये इसकी सूचना मुझे मोहान केवट ने दी तो मैं बैलगाड़ी से अपने पिता को लादकर अमेठी सड़क पर लाया और वहीं से कानपुर उर्सला में चिंताजनक हालत में दाखिल किया है उनके शरीर में तमाम चोटें हैं सारी घटना मेरे पिता ने मुझे बताई हैं । अतः निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर मुल्जिमान के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें । महान दया होगी । प्रार्थी, शिवराम प्रसाद आत्मज, जगन्नाथ प्रसाद, ग्राम मकरंदपुर, थाना सजेती, जिला कानपुर, दिनांक ३, ४ ५–७० ।

लेखक,
अवधराज हे० मु०,
४–५–७० ।

नोट––नकल मुताबिक असल है ।
ह०––राजेन्द्र सिंह का०
ता०––१६–६–७० ।
सत्य प्रतिलिपि––

(ह०) कृते ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कानपुर ।

Dying declaration of Sri jagannath Prasad s/o Manni Lal R/o Makrandpur P. S. Sajeti Kanpur aged about 60 years received in U. H- M. Hospital Kanpur time 2-20 A. M. on 4-5-1970.

आज मै सजेती थाना होता हुआ गऊ का घाट उतर करके जलाला भटपुरवा, जिला हमीरपुर करीब १० बजे दिन में पहुंचा ।मुझे बुलाने के लिये मेरे घर पर शिवराम और प्रसाद तथा एक आदमी और गये थे हम कल दिन में १० बजे गये थे और शाम को पांच बजे लौट आये थे ये सब भटपुरवा के रहने वाले हैं भाटपुरवा जलाला में करीब कई हजार बीघा जमीन ठाकुर लोग जबरदस्ती जोते हुए हैं। ये जमीन केवटों हरिजनों की है ये लोग मुझे बुलाने आये थे उन्होंने सारी समस्या बताई और कहा कि आप चलकर मीटिंग करके केवटों, चमारों को समझा दो कि ये लोग इन्तखाब आदि लेकर बेदखली की कार्यवाही करे उसके अलावा फौजदारी का एक मामला था जिसमें केवटों और एक ठाकुर को मौली वाले फंसाना चाहते थे । मगर उसमें फाइनल लगा दी गई मगर उसमें दरख्वास्त पड़ने पर उसकी सुनवाई ७ तारीख को होने वाली थी ।

जलाला में एक केवट के यहां मैंने करीब साढ़े ग्यारह बजे खाना खाया फिर थोड़ी देर लेटा करीब ढाई बजे करीब २० आदमी फरसा, बल्लम, चार देशी तमंचा, दो बंदूकों से लैस होकर आये। मैं बुधुवा केवट के मकान पर लेटा था और जग रहा था इन लोगो में से बलवीर सिंह मौली, दीना केवट, रामलाल केवट महावीर सिंह और झंडू सिंह के नाम जानता हूं बाकी लोगों को पहचान कर बता सकता हूं झंडू सिंह व बलवीर सिंह के पास बंदूकें थी, महावीर सिंह और रामलाल के पास देशी तमंचा थे, दीना के पास फरसा था आते ही इन लोगों ने बाहर बैठे हुए दो आदमियों को मारा और मेरे पास चौपार में आ गये वहां शिवराम बुधुवा आदि आठ दस आदमी बैठा था आते ही मुझको चारपाई से गिरा दिया और जूतों से मारना शुरू किया और कहते जाते थे यही साला दुश्मन है, केवट और चामारों को बरगलाये हुए है मुझे बाहर घसीट कर लाये और लाठियों से मारा जो सिर में बदन के और हिस्सों पर लाठी मारी दोनों हाथ दो आदमी पकड़ कर मौली गांव को ले चले बीच गांव से घसीटते और बुरी तरह मारते पीटते बालू पर चलाते हुए खीचते हुए ले चले रास्ते में तीन जगह खालिहान पड़े थे खलिहानों के सामने पहुंचने पर बुरी तरह मारा, मैंने पानी मांगा तो मेरे मुंह में पेशाब कर दिया एक जगह कहा कि साले को आग लगा कर फूंक दो और दिया सलाई भी जलाने लगा । मैं उठा मुझे दौड़ाते हुए लेकर गांव पहुंचे वहा मारा शराब मंगाई और जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की मेरे मुंह को भी काला करके घोड़ी पर घुमाने की बात कही मैं मार खाते बेहोश हो गया फिर एक सगड़ा पर बिठाया सबके सब कोटराघाट लाये और गालियों देकर सबके पांव छुवाये कहा कि आज से यहां कभी मत आना न हमीरपुर में दिखाई देना न नेतागिरी करना और न हमारे गांव के मामलों में पड़ना वरना जान से मार दिया जावेगा । यह धमकी दी अगर रिपोर्ट की तो दोनों लड़कों को जान से मारवा देंगे । मेरी घड़ी और नगद दो सौ रूपयें छीन लिये गये शायद मेरे कपड़े बुधवा के घरपर हो मैं नाव से होकर कोटरा धाट चला आया । और यहां मोहना केवट की गाड़ी पर लेट कर घर आया तुरन्त सग्गड़ की व्यवस्था करके मेरे लड़के और अन्य लोग नवेली लाये और वहां से जीप द्वारा अस्पताल लाया गया मेरे तन पर केवल अन्डर वीयर और बनियाइन रह गई थी । सुनकर तस्दीक किया ।

द०:--जगन्नाथ प्रसाद ।

नोट--नकल मुताबिक असल है (ह०) अपठनीय ।

३-५०-ए० एम० ।
द० (अंग्रेजी) श्री हीरा लाल साहब ।
मैजिस्ट्रेट, कानपुर, ता ४-५-७० ।